ISSN 2455-6181

वर्ष : 14 अंक : 2 फरवरी 2016 ₹ 10

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

'मन चंगा तो कठौती में गंगा'

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, 3 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड और निबंध प्रतियोगिता 2015 के समारोह में सीडी जारी करते हुए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री विजय सांपला, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, अपर सचिव श्री अरूण कुमार

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचंद गहलोत 2 फरवरी, 2016 को जयपुर में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन के अवसर पर डीएवीपी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए। राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री अरूण चतुर्वेदी और पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक (मी.एवं सं.), श्री ए.पी. फ्रेंक नोरोन्हा भी साथ हैं।

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

वर्ष : 14 ★ अंक : 2 ★फरवरी 2016 ★ कुल पृष्ठ : 60

सम्पादक
सुधीर हिलसायन

सम्पादक मंडल
चन्द्रवली
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
डॉ. प्रभु चौधरी

सम्पादकीय कार्यालय
सामाजिक न्याय संदेश
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15 **जनपथ, नई दिल्ली**-110001
सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588
सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625
फैक्स : 011-23320582
ई.मेल : hilsayans@gmail.com
editorsnsp@gmail.com

वेबसाईट: www.ambedkarfoundation.nic.in
(सामाजिक न्याय संदेश उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है)

व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी**, निदेशक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए इंडिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110064 से मुद्रित तथा 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित व **सुधीर हिलसायन**, सम्पादक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा सम्पादित।

सामाजिक न्याय संदेश में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। प्रकाशित लेखों /रचनाओं में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखकों /रचनाकारों का है। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए भी सामाजिक न्याय संदेश उत्तरदायी नहीं है। समस्त कानूनी मामलों का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन होगा।

RNI No. : DELHIN/2002/9036

इस अंक में

❖ सम्पादकीय/'मन चंगा तो कठौती में गंगा'	सुधीर हिलसायन	2
❖ विशेष लेख/सतगुरु रविदास : सिन्धु घाटी सभ्यता के वाहक	डॉ. मनोज कुमार	4
❖ महान् संत रविदास	कन्हैयालाल चंचरीक	9
❖ सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत संत रविदास	डॉ. ओ.पी. कोली	11
❖ 31 जनवरी, 2016 को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम : मन की बात में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन		13
❖ पुस्तक अंश/कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	18
❖ कैसे बने हिन्दी ललाट की बिंदी	डॉ. पूरन सहगल	32
❖ जानकारी/26 जनवरी, 2016 से लागू हुआ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015		36
❖ उन्नीसवीं किस्त/डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर – जीवन चरित	धनंजय कीर	37
❖ लंदन एक अविस्मरणीय अनुभव	स्वेक्षा खोबरागड़े	46
❖ हिन्दी सिनेमा में दलित स्त्री	वंदना	51
❖ कहानी/रिश्ते अनजाने या स्नेह की डोर	सुश्री प्रज्ञा चौधरी	55
❖ लघुकथा/पहचान	अशोक भाटिया	57

ग्राहक सदस्यता शुल्क : वार्षिक ₹ 100, द्विवार्षिक : ₹ 180, त्रैवार्षिक : ₹ 250

डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर ***डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन****, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम भेजें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।*

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588 सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625

सम्पादकीय

'मन चंगा तो

हमारे देश की पवित्र भूमि पर अनेकानेक साधु-सन्तों, ऋषि-मुनियों, महर्षियों और महामानवों ने जन्म लिया है और अपने अलौकिक ज्ञान से समाज को अज्ञान, अधर्म एवं अंधविश्वास के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले गए। चौदहवीं शताब्दी के दौरान देश में जात-पात, छुआ-छूत, पाखण्ड, अंधविश्वास का बोलबाला था। हिन्दी साहित्यिक जगत में इस काल को मध्यकाल कहा जाता है। मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहा गया। भक्तिकाल में कई बहुत बड़े सन्त पैदा हुए, जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों एवं बुराइयों के खिलाफ न केवल बिगुल बजाया, बल्कि समाज को टूटने से भी बचाया। इन सन्तों में से एक थे, सतगुरु रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म विक्रम संवत् 1433 को वाराणसी के निकट सीर-गोवर्धनपुर में हुआ था। इनके जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर में सात मंजिला विशाल भवन है। इसे श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है।

सन्त रविदास बचपन से ही दयालु एवं परोपकारी प्रवृत्ति के थे। वे अपने पैतृक व्यवसाय को बड़ी निष्ठापूर्वक करते थे।

सतगुरु रविदास अपने काम के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे। वे बाहरी आडम्बरों में विश्वास नहीं करते थे। एक बार उनके पड़ोसी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सतगुरु रविदास को भी गंगा-स्नान के लिए चलने को कहा। इस पर सतगुरु रविदास ने कहा कि मैं आपके साथ गंगा-स्नान के लिए जरूर चलता लेकिन मैंने आज शाम तक किसी को जूते बनाकर देने का वचन दिया है। अगर मैं आपके साथ गंगा-स्नान के लिए चलूंगा तो मेरा वचन तो झूठा होगा ही, साथ ही मेरा मन जूते बनाकर देने वाले वचन में लगा रहेगा। जब मेरा मन ही वहां नहीं होगा तो गंगा-स्नान करने का क्या मतलब। उन्होंने समझाते हुए कहा कि यदि हमारा मन सच्चा है तो कठौती में भी गंगा विराजमान होगी। सतगुरु रविदास के संदेश का सार प्रगतिशील आम जनों के बीच **'मन चंगा तो कठौती में गंगा'** लोक संदेश के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है।

सतगुरु रविदास ऐसे संतों में शुमार रहे हैं वे बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहते थे। इतना ही नहीं उनकी शिक्षाओं-संदेशों का इतना व्यापक असर होता था कि लोग उसे हाथों-हाथ ले लेते थे। अपनी जमीनी सोच व वाक्पटुता के कारण लोगों

कठौती में गंगा'

में उनकी अच्छी-खासी पकड़ थी। उनके शिष्यों में बहुत सारे ऐसे लोग शामिल रहे हैं जिनका समाज में अच्छा खासा रूतबा रहा है।

सन्त रविदास समाज में फैली जात-पांत, छुआछूत, सम्प्रदाय, वर्ण जैसी बुराइयों से बेहद दुःखी थे। समाज से इन बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए सन्त रविदास ने अनेक मधुर व भक्तिमयी रसीली कालजयी रचनाओं का निर्माण किया और समाज के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। सन्त रविदास ने अपनी वाणी एवं सदुपदेशों के जरिए समाज में एक नई चेतना का संचार किया। उन्होंने लोगों को पाखण्ड एवं अंधविश्वास छोड़कर सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रतिबद्धता वैज्ञानिक व सामाजिक चेतना के प्रति बहुत गहरी थी।

रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से व लोक सरोकार से ओत-प्रोत होती थी। इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का सन्तोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे।

उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गये। मीराबाई उनकी भक्ति-भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गयी थीं।

आज भी सन्त रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण सन्त रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं।

" सद्गुरू रविदास अपने काम के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे। वे बाहरी आडम्बरों में विश्वास नहीं करते थे। एक बार उनके पड़ोसी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सद्गुरू रविदास को भी गंगा-स्नान के लिए चलने को कहा। इस पर सद्गुरू रविदास ने कहा कि मैं आपके साथ गंगा-स्नान के लिए जरूर चलता लेकिन मैंने आज शाम तक किसी को जूते बनाकर देने का वचन दिया है। अगर मैं आपके साथ गंगा-स्नान के लिए चलूंगा तो मेरा वचन तो झूठा होगा ही, साथ ही मेरा मन जूते बनाकर देने वाले वचन में लगा रहेगा। जब मेरा मन ही वहां नहीं होगा तो गंगा-स्नान करने का क्या मतलब। उन्होंने समझाते हुए कहा कि यदि हमारा मन सच्चा है तो कठौती में भी गंगा विराजमान होगी। सद्गुरू रविदास के संदेश का सार प्रगतिशील आम जनों के बीच **'मन चंगा तो कठौती में गंगा'** लोक संदेश के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। "

(सुधीर हिलसायन)

सतगुरु रविदास: सिन्धु घाटी सभ्यता के वाहक

■ डॉ. मनोज कुमार

कुछ महान व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनको इतिहास में वो मान-सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार होतें हैं। क्योंकि, अगर उनका व्यक्तित्व और चिंतन सही रूप में समाज के सामने आ गया तो सामाजिक क्रांति होना लाजमी है। जातिगत मानसिकता की शिकार एक महान शख्सियत हैं- सतगुरु रविदास। जिनका अभी तक समाज से सही रूप में साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन अगर होगा तो निस्संदेह ही समाज की विरासत में गुणात्मक वृद्धि होगी। एक षड्यंत्र के तहत सतगुरु रविदास की वाणी में समय-समय पर अनेक मनगढ़ंत किवंदतियां शामिल कर दी गईं, जिससे उनके चिंतन को दिग्भ्रमित किया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जायेगा।

सुप्रसिद्ध लेखिका गेल ओम्वेट ने अपनी पुस्तक 'सीकिंग बेगमपुरा' में सतगुरु रविदास को सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में प्रथम व्यक्ति माना है जिन्होंने आदर्श भारतीय समाज का मॉडल पेश किया है। "वास्तव में, आदर्श भारतीय समाज का सपना 'यूटोपिया' अभिजात्य वर्ग के साहित्य की देन नहीं है, बल्कि यह तो जाति व्यवस्था का प्रखर विरोध करने वाली शख्सियतों में से एक महान शख्सियत संत रविदास की देन है, जिनका लोग भरपूर आदर और सम्मान करते हैं। संत रविदास, भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गीत 'बेगमपुरा' में आदर्श भारतीय समाज का 'यूटोपिया' प्रस्तुत किया है। 'बेगमपुरा' अर्थात बिना ग़मों का शहर, जो एक जातिविहीन, वर्गविहीन आधुनिक समाज है।"[1]

विश्वप्रसिद्ध रचना 'बेगमपुरा' की रचना करने वाले सतगुरु रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा, विक्रम संवत् 1433 में सीरगोवर्धनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था।[2] यही दिन सरकारी कलैण्डर में 'गुरु रविदास जयंती' के रूप में दर्ज होता है। इनके जन्म स्थान सीरगोवर्धनपुर में सात मंजिला भव्य धर्मस्थान निर्मित किया गया है और उसके अनेकों गुम्बद स्वर्णमंडित हैं। इस धर्मस्थान का नाम रखा गया है- श्री गुरु रविदास जन्म स्थान।[3] इसी स्थान पर प्रत्येक वर्ष इनका जन्मदिवस बड़े धूम-धाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पूरे देश और विदेशों (अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,

ऑस्ट्रिया, स्पेन, सऊदी अरब, दुबई, ग्रीस, पुर्तगाल, अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, स्कॉटलैंड, इटली आदि) से लाखों लोग इनके जन्मदिवस पर पंहुचते हैं। इनके परिवार का परिचय इस प्रकार है– "पिता जी– संतोख दास जी, माता जी– कलसी देवी जी। दादा जी– कालू राम जी, दादी जी– लखपति जी। पत्नी– लोना देवी जी, पुत्र– विजय दास जी।"[4]

इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उस समय बहुत सी चीजें चमड़े की बनती थी। इनके पिता संतोख दास जी का एक प्रति ित चर्म उद्योग था। "उनके यहां चमड़े का अच्छा कारोबार था। चमड़े का कमोना अर्थात खालों की सफाई और रंगाई होती थी तथा चमड़े के सामान जैसे जूते, जीन, लगाम, ड़ोल, मशक और पुर इत्यादि भी तैयार होते थे। अच्छा कारखाना था। जिसमें बहुत से कारीगर काम करते थे।"[5] इनके कारोबार का व्यापार पूरे भारत देश में तो होता ही था साथ ही साथ ईरान, इराक, सऊदी अरब तक होता था। कारोबार से बड़ी अच्छी आमदनी होती थी।

पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छे होने और भरा-पूरा परिवार होने के कारण सतगुरु रविदास का बचपन बहुत ही अच्छे और हंसी-खुशी के वातावरण में बीता। किशोर अवस्था से सतगुरु रविदास प्रतिदिन गरीब साधुओं को जूते मु त में दे दिया करते थे और उनसे विभिन्न विषयों पर लम्बी चर्चाएं करते थे। इसी प्रकार इनका अधिकतर समय समाज सेवा और साधुजनों से विचार-विमर्श में ही बीत जाता था। परिवार के कारोबार में इनका मन नहीं लगता था। इनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र कारोबार को विकसित करने और परिवार की समृद्धि में ही मन और समय लगाये। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ाने के लिए इनके पिता ने चंबा (हिमाचल प्रदेश) की एक भले परिवार की बेटी लोना देवी से इनका विवाह कर दिया। और अपने पुत्र को अलग से अपनी गृहस्थी बसाने और चलाने का आदेश दिया। घर से अलग होकर अपनी गृहस्थी चलाने के लिये इन्होंने स्वयं मोची का कार्य भी किया। परन्तु, इस सब के बावजूद भी सतगुरु रविदास अधिकतर समय चिन्तन-मनन एवं विचार गो ियों में लगाया करते थे। धीरे-धीरे इनके ज्ञान की आभा समाज में चारों तरफ फैलने लगी। समाज में इनकी पहचान बनने लगी,

इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उस समय बहुत सी चीजें चमड़े की बनती थी। इनके पिता संतो दास जी का एक तिि त चर्म उद्योग था। उनके यहां चमड़े का अच्छा कारोबार था। चमड़े का कमोना अर्थात् ालों की सफाई और रंगाई होती थी तथा चमड़े के सामान जैसे जूते, जीन, लगाम, डोल, मशक और पुर इत्यादि भी तैयार होते थे। अच्छा कार ाना था। जिसमें बहुत से कारीगर काम करते थे।"

इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होने लगे। अपने तेजस्वी पुत्र का सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन-मनन और समाज में बढ़ते इनके प्रभाव से इनके पिता बहुत प्रभावित हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने सतगुरु रविदास को फिर से अपने घर-परिवार में शामिल कर लिया और इनके स्वतंत्र विचारों का सम्मान करते हुए सभी प्रकार का सहयोग देना भी प्रारम्भ कर दिया। घर पर हंसी-खुशी का माहौल बन गया।

सतगुरु रविदास और लोना देवी एक आदर्श दम्पति के तौर पर जाने जाते थे। उनका परस्पर व्यवहार प्रेम पूर्ण और सम्मानजनक था। सतगुरु रविदास के सामाजिक कार्य तो जग में प्रसिद्ध थे ही, उनकी पत्नी लोना देवी भी एक अच्छी औषधि ज्ञाता थी। लोना देवी खुद गांव-गांव जाकर गरीब असहाय लोगों का इलाज करती, लोगों को साफ़-सफाई से रहने, सेहत का ध्यान रखने और मस्तिष्क और शरीर को सक्रिय बनाये रखने की सलाह देती। इस प्रकार दोनों ही पति-पत्नी सामाजिक कार्यों में लगे रहते। दोनों एक दूसरे का भरपूर सहयोग और सम्मान करते थे। दोनों एक आदर्श दम्पति के तौर पर प्रसिद्ध थे।

अछूत समाज में परम्परागत रूप से चली आ रही ज्ञान-पद्धति और विभिन्न विद्वानों के साथ विचार-गो ियों, चर्चाओं और वाद-संवाद के माध्यम से इन्होंने स्वयं ज्ञान अर्जित किया। इनका कोई गुरु नहीं था। "रविदास जी का कोई गुरु नहीं था।"[6]

इन्होंने अपने विचारों को वाणी दी, जो कि सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली है। इनकी वाणी सिख समुदाय के धार्मिक ग्रन्थ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहिब' में विभिन्न रागों में दर्ज है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि इन्हें संगीत विद्या का भी बहुत गहरा ज्ञान था। "वर्तमान समय में इनकी वाणी 27 रागों में उपलब्ध होती है जो कि इनके संगीत के प्रयोग का सबसे बड़ा प्रमाण है।"[7] इसी 'श्री गुरु ग्रन्थ साहिब' में 40 से भी अधिक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग 'ग्रन्थ' में अन्य किसी महापुरुष द्वारा नहीं किया है। यह प्रमाणित करता है कि इनका शब्द भण्डार कितना पृथक एवं विशाल रहा होगा। इनकी वाणी में पंजाबी, अरबी, फ़ारसी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी आदि अनेक

भाषाओं के शब्दों का खूब प्रयोग हुआ जिससे प्रमाणित होता है कि इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने एशिया के लगभग सभी देशों के साथ-साथ सुदूर ईरान, इराक, सऊदी अरब आदि देशों की यात्राएं की और अपने तार्किक और प्रभावशाली विचारों से लोगों को प्रभावित किया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने जिन साधु-महापुरुषों की टोली से मिलकर आध्यात्मिक संतुष्टि का अनुभव किया, वह टोली सतगुरु रविदास की अगुवाई में चुहड़ काने (पाकिस्तान) में विश्राम कर रही थी। गुरु नानक देव ने महापुरुषों की इसी टोली के साथ ही 'सच्चा सौदा' किया था। सतगुरु रविदास और गुरु नानक देव के मध्य हुआ यह 'सच्चा सौदा' भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में प्रसिद्ध है। इनके समय के अनेक राजा-रानियों और विशाल जन-समुदाय ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। "चितौड़ की प्रसिद्ध महारानी मीराबाई, राजा बेन सिंह, महाराणा सांगा, महारानी झाला बाई, राजा नागर मल (हरदेव सिंह), राणा वीर सिंह बघेल, बीबी भानमती, महाराणा कुम्भा, राजा रतन सिंह, सिकंदर लोधी, अलावादी बादशाह, बिजली खान आदि अनेक लोग उनके अनुयायी हुये।"[8] लगभग 52 राजा-रानी इनके शिष्य बने।[9]

अनेक विभूतियों ने भी इनकी मुक्त-कन्ठ से प्रशंसा की है, इनमें से कुछ हैं- कबीरदास, मीराबाई, झालाबाई, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, भाई गुरदास, नामदेव, सधना, सेन, पीपा, धन्ना, बाबा फरीद, एकनाथ, पिथु साहिब, गुलाल, दरबारी दास, रज्जब, ध्रुवदास, हरी दास, सूरदास, दयाबाई, नारायण, रज्जब अली, नाभादास, प्रियदास, बालक राम, जयगोपाल, चरणदास दादू दयाल, गरीबदास, दर्शनदास, सेवादास, तुकाराम, पलटु दास, कमाल, अनंतदास, कल्याणदास, सुन्दरदास, रूपराज आदि। और, आज तो लाखों-करोड़ों लोग इनके विचारों को आदर्श मानते हैं, इनको अपना आराध्य मानते हैं और अपने आप को सगर्व 'रविदासिया' कहते हैं, जिसके उदाहरण देश ही नहीं विदेशों में भी बड़े स्तर पर दिखाई पड़ते हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) में सन् 2011 में दशकीय जनगणना हुई जिसमें 11,058 लोगों ने आधिकारिक रूप से 'रविदासिया धर्म' अपनाया।

राजपूत रानी मीराबाई को सतगुरु रविदास ने अपना शिष्य स्वीकार किया और दीक्षा दी। वह भी उस वक्त जब नारी को हिन्दू धर्म में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं था। जब मीराबाई के पति की असमय मृत्यु हो गयी, तो राजपूताने की प्रथा अनुसार मीराबाई को सती होना था। लेकिन सतगुरु रविदास ने मीराबाई और उसके परिवार को समझाया और मीराबाई को सती होने से रोका। इस तरह उन्होंने सतीप्रथा बंद करवाने की परम्परा की नींव डाली। मीराबाई ने अपने सतगुरु की याद में चित्तोड़गढ़ (राजस्थान) के किले में स्थित कुम्भा श्याम मंदिर (मीरा मंदिर) के प्रांगण में सतगुरु रविदास की चरण पादुकाएं बनवाई हैं।[10]

सतगुरु रविदास ने ही पंजाबी भाषा की लिपि 'गुरुमुखी लिपि' का निर्माण किया। लाहौर की अदालत में यह मुकदमा भी चला कि गुरुमुखी लिपि का निर्माण किसने किया? इस मुकदमे का फैसला 11 मार्च, 1932 में आया जिसमें यह माना गया कि 'गुरुमुखी लिपि' का निर्माण सतगुरु रविदास ने ही किया है।[11] एक नई भाषा का निर्माण कर इन्होंने विश्व सभ्यता की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इनकी वाणी विविध आयाम लिए हुए है। समाज के अनेक पहलुओं को इन्होंने उजागर किया है, कुछ उदाहरणों को देखा जा सकता है।

इतिहास में सबसे पहले पराधीनता (दूसरे की गुलामी) को पाप इन्होंने ही कहा है-

पराधीनता पाप है,
जान लेहु रे मीत।
रविदास दास पराधीन सों,
कोन करे है ीत।।''[12]

मेरे मित्रों जान लो कि पराधीनता (गुलामी) पाप है और गुलाम व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता।

खाद्य सुरक्षा की बात भी भारतीय इतिहास में सबसे पहले इन्होंने ही उठाई-

ऐसा चाहूं राज मैं,
जहां मिलै सबन को अ ।
छोट बड़ो सब सम बसै,
रविदास रहे स ।। [13]

(मैं ऐसे शासन की स्थापना करना चाहता हूं जिसमें प्रत्येक मनुष्य को अन्न उपलब्ध हो, कोई भूखा न रहे अर्थात सभी को खाद्य सुरक्षा। मैं ऐसा राज्य का निर्माण करना चाहता हूं, जिसमें अमीर और गरीब बिना किसी भेदभाव के समान रूप से रह सकें, ऐसे राज्य की स्थापना ही मुझे सुख और खुशी प्रदान कर सकती है।)

इस पद में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के शासन की याद ताजा की है और उसे फिर से उसे स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है।

विश्व फलक के महान चिन्तक कार्ल मार्क्स से भी पहले इन्होंने 'स्वराज' के विचार को प्रतिपादित किया-

रविदास मानुष करि बसन कूं,
सु कर है दुई ठावं।
इक सु है स्वराज महिं,
दूसर मरघट गांव।।''[1]

(सतगुरु रविदास 'स्वराज' का महत्व स्थापित करते हुए कहते हैं- मनुष्य के सुख और शांतिपूर्वक जीने के लिए दो स्थान ही निर्धारित हैं। एक है 'स्वराज' यानि 'स्वयं का राज', और दूसरा है शमशान घाट अर्थात 'मृत्यु'। यानि किसी की पराधीनता स्वीकार करना मृत्यु समान है।)

विद्या के महत्व को स्थापित करते हैं-

सत विद्या को पढ़े,
ाप्त करे सदा ज्ञान।
रविदास कहे बिन विद्या,
नर को जान अजान।।''[15]

(जिस प्रकार बाबा साहब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर 'साक्षर' और 'शिक्षित' में भेद करते हैं उसी प्रकार सतगुरु रविदास कहते हैं- केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है अपितु सही शिक्षा (सत विद्या) प्राप्त करने के बाद जो मनुष्य समाज कल्याण हेतु प्रयास करता है वही असली ज्ञानी है। अन्यथा उसे अज्ञानी ही मानना चाहिए।)

धर्म के ढकोसलों को नकारते हैं-

पांडे हरि विच अंतर डाढा।
मुंड मुंडावें सेवा पूजा
भ्रम का बंधन गाढ़ा।।''[16]

अरे पाण्डे (ब्राह्मण) तुझमें और भगवान में बहुत अंतर है। तुमने तो पाखंडवाद फैला दिया है, जिसमें तुम लोगों के सिर मुंडवाते हो, तरह-तरह से पूजा करवाते हो, भ्रम का गहरा जाल फैलाये बैठे हो। जबकि मनुष्य और प्रकृति रुपी भगवान का सम्बन्ध अति सहज है।

धर्मनिर्पेक्षता की बात करते हैं-

मुसलमान सों दोस्ती हिन्दुअन
सों कर ीत।
रविदास जोति सभ नाम की है
सभ हैं अपने मीत।।''[17]

(सतगुरु रविदास ने उपदेश दिया है कि अपने पूर्वजों की संस्कृति जो कि सिन्धु घाटी सभ्यता की संस्कृति है उसका पालन करना है। उसके अनुसार धर्म के आधार पर किसी से भी नफरत नहीं करनी।)

जाति के आधार पर नहीं, गुण के आधार पर ही सम्मान देने की बात करते हैं-

रविदास बा ण मत पूजिए,
जउ होवे गुण हीन।
पुजहिं चरण चांडाल के,
जउ होवे गुन परवीन।।''[18]

(केवल जाति के आधार पर गुणरहित ब्राह्मण को सम्मान देने का निषेध किया है। जबकि चांडाल जाति के उस व्यक्ति का भी आदर सत्कार करने का उपदेश दिया है जो गुणों से परिपूर्ण है।)

रविदास जन्म के कारने होत
न कोऊ नीच।
नर कूं नीच करि डारि है
ओछे करम की कीच।।''[19]

(जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। मनुष्य को नीचा उसका ओछा व्यवहार बनाता है।)

जात-जात में जात है ज्यों
केलन में पात।
रविदास न मानुष जुड़ सकें
जो लों जात न जात।।''[20]

(सतगुरु रविदास वर्ण और जाति आधारित विभाजन का पोस्ट-मार्टम करते दिखते हैं- जाति में जाति ऐसे समाहित है जैसे केले के पेड़ का तना, जिसमें एक के बाद एक परत छूपी रहती है। परन्तु वहां कोई ठोस पदार्थ नहीं होता। इसी प्रकार जाति में भी जाति बना दी गई है, लेकिन उनको भी बांटने का कोई ठोस आधार नहीं है। फिर भी जाति आधारित भेदभाव व्याप्त है जब तक भेदभाव व्याप्त है तब तक मनुष्य एक दुसरे से जुड़ नहीं सकता।)

झूठे मंदिर एवं पाखंडी पंडितों को लताड़ते हैं-

थोथा पंडित थोथी वाणी,
थोथी नाम बिन सबै कहानी।
थोथा मंदिर भोग विलास,
थोथी आन देव की आसा।।''[21]

सतगुरु रविदास ब्राह्मणों के प्रपंचों पर व्यंग्य करते हैं- ब्राह्मण और उनकी वाणी दोनों ही खोखली हैं। जिन कहानियों में नाम (हमारे पूर्वजों के नाम) नहीं वो हमारे लिए खोखली हैं। मंदिरों में भोग-विलास और शोषण होता है और वहां देवता होने सम्बन्धी दावा भी खोखला अर्थात झूठा है।

चारों वेदों का खंडन किया है-

चारिउ वेद किया डोति।
जन रविदास करै दण्डोति।।''[22]

(सतगुरु रविदास ने चारों वेदों का खंडन किया है, हमारे समाज के लिए व्यर्थ घोषित किया है। और ऐसे व्यक्ति को जन-समुदाय दंडवत प्रणाम करता है।)

अब बि परधान तिहि
करहि डंडउति।
तेरे नाम सरणाइ रविदासु दासा।।''[23]

जब काशी (वाराणसी) के ब्राह्मण वाद-विवाद प्रतियोगिता में सतगुरु रविदास से पराजित हो गए। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणों के प्रधान इनको दंडवत प्रणाम करते हैं। इन्हें पालकी में बैठाते हैं और पालकी को अपने कन्धों पर उठा कर पूरी काशी नगरी में भ्रमण करवातें हैं। सतगुरु रविदास बताते हैं कि ऐसा तभी संभव हुआ है जब मैं 'नाम' (अर्थात पूर्वजों के नाम) की शरण में चला गया हूं। सतगुरु रविदास ने ध्यान (मैडिटेशन) की एक विशिष्ट पद्धति बताई है जिसमे 'नाम' अर्थात अपने पूर्वजों के नाम, उनके संघर्ष, उनकी वीरताओं, उनकी परम्पराओं, उनके सिन्धु घाटी के शासनकाल आदि को स्मरण करना है, उनका ध्यान (मैडिटेशन) करना है। यह थोड़े देर के लिए प्रतिदिन करना है। यह प्रक्रिया हमारा इतिहास जानने और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है।

सतगुरु रविदास में असीम साहस और बोल्डनैस झलकती है। वे डंके की चोट पर 'कह रविदास चमार', 'कह रविदास खलास चमारा', 'कह रविदास विचार' आदि, स्वाभिमान से लबालब शब्दों का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। और एक प्रकार से तथाकथित जाति व्यवस्था के पोषकों को करारा जवाब देते हैं। शायद, इसी साहस ने इनको उस विचारात्मक स्तर तक पहुंचा दिया जहां से इन्होंने संपूर्ण समाज के लिए आदर्श समाज का मॉडल दिया, वह मॉडल है- 'बेगमपुरा'।

बेगमपुरा सहर को नाउ।
दु ु अन्दोहु नहीं तिहि ठाउ।।
ना तसवीस ि राजु न मालु।
वफु न ता तरसु न जवालु।।
अब मोहि ूब वतन गह पाई।
उहां ैरी सदा मेरे भाई रहा।।
काइमु दाइमु सदा पातसाही।
दोम न सोम एक सो आही।।
आबादानु सदा मसहूर।

उहां गनी बसहि मामूर॥
तिउ तिउ सैल करहि जिउ भावै।
महरम महल न को अटकावै॥
कहि रविदास लास चमारा।
जो हम सहरी सु मीतु हमारा॥''[2]

बेगमपुरा (बे गम पुरा) अर्थात बिना गमों का शहर (पुरा)। वहां कोई चिंता (तसवीस) नहीं है, न ही माल पर टैक्स (खिराजु) लगता है। वहां खौफ (खवफु), धौखा (खता), लाचारी (तरसु) और अभाव (जवालु) नहीं है। अब मुझे (मोहि) ऐसे देश (वतन) की गहन (गहि) समझ हो गयी है। वहां मनुष्य का सदैव ही भला (खैरी) होता है। वहां सही विचारों की हुकुमत (पातसाही) है, जो कि स्थिर और शास्वत (काइमु दाइमु) है। वहां कोई दूसरे (दोम) और तीसरे (सोम) दर्जे का नहीं है सभी एक समान हैं। वहां कोई धर्म, नस्ल, वर्ण, जाति, लिंग, स्थान, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। हमेशा आजीविका (आबादान) श्रम प्रधान होने के कारण वो स्थान हमेशा प्रसिद्ध बना रहता है। यह श्रमण परम्परा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जोडती है और सतगुरु रविदास उसी समानता आधारित राज को प्राप्त करने का आव्हान करते है। वहां रहने वाले व्यक्ति (गण) कानून (मामूर) के अनुसार आचरण करते हैं। व्यक्ति जहां (तिउ) चाहे उसे वहां जाने की स्वतंत्रता है। न ही राजा के कर्मचारी (महरम) कहीं आने जाने से रोकते हैं और न ही महल की ऐसी व्यवस्था है कि किसी की आजादी का हनन किया जाये। बेखौफ (खलास) चमार रविदास कहता है कि जो उस नगर (बेगमपुरा) के विचार के समर्थक हैं वही मेरे साथी हैं, मित्र हैं।

प्रसिद्ध लेखिका गेल ओम्वेट के अनुसार- यूरोप के टॉमस मूर ने आदर्श समाज की परिकल्पना 'यूटोपिया' का विचार वर्ष 1516 ई. में दिया, लेकिन टॉमस मूर से भी कहीं पहले, संत रविदास ने आदर्श समाज की परिकल्पना 'बेगमपुरा' के रूप में विश्व के सामने रख दी थी।[25] इनके 'बेगमपुरा' पद में जो विचार निहित हैं वही विचार 'भारतीय संविधान' में निहित हैं, वही विचार संयुक्त राष्ट्र संघ के 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र' के आर्टिकल-1 में भी निहित हैं। इनके विचारों का लक्ष्य "विश्व कल्याण हेतु विश्वबंधुत्व की भावना का प्रसार करना"[26] है।

आसाढ़ संक्रांति, विक्रम संवत् 1584 को इनका शरीरांत हो गया।[27]

डॉ. मीरा गौतम ने लिखा है- "रविदास जैसे संत इस लोक में महानायक हैं देशकाल और इतिहास के अंतराल को लांघते हुये ये महानायक अपने निर्णय स्वयं करते हैं, ऐसे निर्णय जिन्हें शताब्दियां नकार नहीं सकतीं और सहस्राब्दियां जिनकी प्रतीक्षा करती हैं।"[28] हिंदी साहित्य के महान हस्ताक्षर सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' सतगुरु रविदास को चरण छूकर नमस्कार करते हैं।[29]

अंत में कहा जा सकता कि जिन्हें अब तक समझा नहीं गया, जाना नहीं गया, जो हमारी विरासत के पुरोधा हैं, जो हमारे पूर्वज हैं और जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की परम्पराओं से जोड़ते हैं आज अगर उनके चिंतन को गंभीरता से संज्ञान में लिया जाये तो हमारे पूर्वजों के इतिहास को पहचानने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। अगर इनकी वाणी का सही अर्थों में अनुसरण किया जाये तो विश्व फलक पर भी एक समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित समाज का निर्माण करना मुश्किल नहीं होगा। और, इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने से भारत का विश्व गुरू बनने का सपना बहुत ही जल्दी पूरा हो सकता है। ■

सन्दर्भ-

(1) सीकिंग बेगमपुरा, गेल ओम्वेट, नवयाना पब्लिकेशन, एम 100, प्रथम मंजिल, साकेत, दिल्ली-17, संक्-2008, पृकृ 7
(2) अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर, सीरगोवर्धनपुर, वाराणसी, उक्प्रक्, संक्-2010, पृकृ 2
(3) www.gururavidassguruji.com
(4) अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर, सीरगोवर्धनपुर, वाराणसी, उक्प्रक्, संक्-2010, पृकृ 2
(5) संत प्रवर रैदास साहेब, चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु, बहुजन कल्याण प्रकाशन, 360/183, मातादीन रोड, लखनऊ 3, उक्प्रक्, संक्-1969, पृकृ 1
(6) दलितों की समस्या और समाधान, एम.एल. सागर, सागर प्रकाशन, 290/223, मैनपुरी, दरीबा, उक्प्रक्, संक्-2011, पृकृ 77
(7) गुरु रविदास वाणी में संगीत, डॉ. दिनेश कुमार 'शिक्षार्थी', सम्यक प्रकाशन, 32/3, पश्चिम पुरी, नयी दिल्ली-63, संक्-2014, पृकृ 126
(8) अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी (सटीक), सुरिन्द्र दास बावा, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, वाराणसी, उ.प्र., संक्-2010, पृकृ 12
(9) सतगुरु रविदास, प्रेमदास जस्सल, सूर्याप्रभा प्रकाशन, 2/9, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-2, संक्-2009, पृकृ 42
(10) www.chittorgarh.com/ meera - bai - places - related.asp
(11) गुरुमुखी के 34 अक्षर, परम पारस महंत दरबारी, प्रिंटर- ज्ञानी महेंदर सिंह 'रतन', श्री गुरुमत प्रैस, अमृतसर, पंजाब, संक् अप्रैल 1933
(12) अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर, सीरगोवर्धनपुर, वाराणसी, उक्प्रक्, संक्-2010, पृकृ 2
(13) वही, पृकृ 170
(14) वही, पृकृ 170
(15) वही, पृकृ 177
(16) वही, पृकृ 36
(17) वही, पृकृ 167
(18) वही, पृकृ 164
(19) वही, पृकृ 164
(20) वही, पृकृ 165
(21) वही, पृकृ 81
(22) वही, पृकृ 41
(23) वही, पृकृ 67
(24) वही, पृकृ 2
(25) सीकिंग बेगमपुरा, गेल ओम्वेट, नवयाना पब्लिकेशन, एम 100, प्रथम मंजिल, साकेत, दिल्ली-17, संक्-2008, कवर पेज
(26) क्रांतिकारी संत शिरोमणि गुरु रविदास, कमलेश कुमारी रवि, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि., 4697/3, 21 ए, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2, संक्-2105, पृकृ7
(27) अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर, सीरगोवर्धनपुर, वाराणसी, उक्प्रक्, संक्-2010, पृकृ 2
(28) गुरु रविदास : वाणी एवं महत्व, डॉ. मीरा गौतम, वाणी प्रकाशन, 4695, 21 ए, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, संक्-2003, पृकृ 6
(29) अणिमा, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', लोकभारती प्रकाशन, पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001, संक् 2015

(लेखक ने रविदास के जीवन-दर्शन पर दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएच.डी. उपाधि प्राप्त की है)।

महान् संत रविदास

■ कन्हैयालाल चंचरीक

काशी मे जन्मे रविदास का जन्म संवत् 1441 विक्रमी से लेकर 1455-56 के बीच माघी पूर्णिमा के दिन बैठता है। वे दीर्घजीवी संत थे। कबीर से पहले उनका जन्म हुआ था। उनके जीवन काल में दिल्ली में सिकन्दर लोदी की सल्तनत थी। उसकी कबीर से अनबन थी किन्तु रविदास से अच्छे संबंध बताए गए हैं। उनका निर्वाण संवत् 1576 या ईसवी सन् 1519 माना गया है। अनंतानंद, कबीर, पीपा, धन्ना, सेन की परंपरा में रविदास को संत शिरोमणि तो कबीर को क्रांतिदृष्टा संत सुधारक माना गया है।

अनंतदास ने 16वीं सदी में (सन् 1589 के आसपास कबीर, पीपा के साथ-साथ रविदास का परिचय (पर्चियां) लिखी।

डॉ. रामकुमार वर्मा ने रविदास को मीरा का गुरू माना है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी इन्हें परम् संत कहते हैं।

नाभादास ने उनकी प्रशंसा में छंद रचा। परम संत रविदास ने जाति को स्वार्थी लोगों की उपज बताया। उनके बारे में अनेक जनश्रुतियां प्रचलित है जो उनकी महानता, लोकप्रियता की द्योतक हैं। अनपढ़ होते हुए भी विद्या में, ज्ञान-भक्ति में किसी से कम नहीं थे।

मध्य युगीन भारतीय इतिहास के दौर में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संकट था। समाज विघटन की ओर था। हिन्दू समाज विशेषकर शूद्र और निम्न वर्ग की शिल्पी जातियों पर धर्म परिवर्तन एवं इस्लामीकरण का दबाव था। अस्पृश्यता के कारण समाज ऊंच-नीच का दंश झेल रहा था जिसकी परिणति समाज विघटन में हो रही थी।

बुद्ध की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांति फीकी पड़ चुकी थी। नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा दूषित हो चुकी थी। लेकिन रविदास और कबीर तथा अन्य संत भक्ति आंदोलन के संतों-भक्तों ने निम्न और वंचित वर्गों में ही नहीं वरन् पूरे हिन्दू समाज में नव प्राण, नई चेतना, जीवन शक्ति का संचार किया और अपनी बानियों, पदों द्वारा समदर्शी निर्गुण, निराकार की महिमा को जागरण का आधार-स्तंभ बनाया।

हम यहां जन्मना अस्पृश्य जाति के संत, परम भक्त, संत शिरोमणि रविदास के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वर भक्ति के सहारे सर्वहारा, कृषि कर्मियों, श्रमिकों, शिल्पियों में आत्म सम्मान, आत्मगौरव का भाव भरा और स्पष्ट किया कि प्रभु के समक्ष कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उन्होंने कहा कोई भी काम छोटा नहीं होता। श्रम की साधना ईश्वराधना है। इससे अस्पृश्यता, ऊंच-नीच, निर्योग्यताओं, सामाजिक बहिष्कार, शोषण और दासता झेल रही शिल्पी जनता में नव जागरण की लहर दौड़ गई। अब तक निम्न जातियों के लोग जात पांत की परिधि में बंधे होने से ज्ञान, भक्ति, उपासना, सामाजिक समरसता से वंचित थे। रविदास ने सामाजिक जड़ता को तोड़ा। नैतिक मूल्यों को नए अर्थ प्रदान किए। कट्टरता के समर्थको को समरसता के सिद्धांत से अभिभूत किया। उदार बनाया।

काशी में जन्म

रविदास काशी के निकट महुआ डीह में साधारण चर्मकार जाति में पैदा हुए थे। पूरे उत्तर भारत, पंजाब, मध्य प्रांत, गुजरात, महाराष्ट्र में जहां भी चर्मकार जाति की बहुलता है, रविदासी गद्दिया, रविदासी, गुरुद्वारे, मंदिर स्थापित है। प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के दिन देश भर में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। उन्हें सभी वर्गों के लोग श्रद्धा से याद करते हैं।

रविदास ने सगर्व कहा: ''जाति भी ओछी, पांत भी ओछी, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियौ है कहे रविदास चमारा।

कबीर जैसे क्रांतिदर्शी, समाज सुधारक और समकालीन संत-भक्त युग पुरुष ने उनके बारे में ठीक ही कहा:

मोहि भावे भक्ति मिलनिया के,
बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाबे
कंगना पाए चमैनियां के।

(प्रभु को सद्हृदया भीलनी की भक्ति अच्छी लगी, जिसके हाथ के झूठे बेर भगवान ने खाए, बड़े-बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाते हैं, कुछ नहीं मिलता, गंगा ने स्वयं प्रकट होकर रविदास की भक्ति, श्रद्धाभाव स्वीकारा और स्वर्ण कंगन प्रदान किए)।

दरअसल रविदास के विषय में कई मिथक, दंत कथाएं प्रचलित हैं। जिनके प्रभाव में काशी के ब्राह्मण उन्हें चमत्कारी ईश्वर भक्त मानने लगे थे। उन्हें दंडवत् प्रणाम करते थे।

उनके दोहे, पद, साखियां भक्ति भाव में रंगे हुए हैं। कट्टर हिंदू समाज भी उन बानियों का कायल हो गया। निम्न जाति, मुस्लिम धर्म परिवर्तन का शिकार हो रही थी, मुस्लिम सूफियों का प्रभाव बढ़ रहा था, रविदास ने समाज में नए प्राण फूंके और अपनी विचारधारा से लोगों को जगाया।

रविदास का समदर्शी प्रभु, निराकार-निर्गुण ब्रह्म जातीय एकता,

जातीय स्वाभिमान, राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी की संत-भक्ति आंदोलन की लहर कबीर और रविदास के पदों-बानियों से ब्रह्म ज्ञान, सदुपदेश, उदारता का आधार बन गई।

बौद्ध धर्म अनास्थावादी दर्शन था। जातियों में बंटा हिन्दू समाज, बहुलतावादी दार्शनिक विचारधाराओं से बोझिल समाज को बदली परिस्थितियों में शक्तिशाली, समर्थ, समदर्शी ब्रह्म की आवश्यकता थी। ईसाई मत, इस्लाम के मानने वाले करोड़ों यूरोप, अरब देशवासी दृढ़ धार्मिक आस्थाओं के बल पर ही समर्थ बने।

इस विचार को सिर्फ संत-भक्त कवियों ने समझा जिनमें कबीर-रविदास पहली पंक्ति में आते हैं। इसी समर्थ-समदर्शी ब्रह्म के कारण हिन्दू समाज जिनमें निम्न-वंचित-हाशिए पर पहुंचे शिल्पी वर्ग के लोग भी थे। जातीय एकता और नव जागरण के अनुयायी बने। संत मत के उदय ने उनमें उदारता, सदाशयता, जातीय एकता, उच्च नैतिकता, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक उत्कर्ष के भाव भर दिए। यद्यपि रविदास और संत कबीर अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका ब्रह्म ज्ञान हिन्दू धर्म की मान्यताओं का निचोड़ था।

रविदास निर्मल हृदय के संत थे। सबके हित चिंतक थे। हृदय की पवित्रता पर जोर देते थे। उनका मानना था, गंगा स्नान पवित्र भावना, पवित्र हृदय की विचारधारा, शुचिता से जुड़ा है: ''मन चंगा, तो कटौती में गंगा।''

उनका कथन बताता है मन में मैल नहीं, मलिनता नहीं तो काठ की कढ़ौती में जो जल है, श्रम साधना का जो प्रतिफल है, वही गंगा पूजा, गंगा स्नान है।

रविदास की गर्वोक्ति है:

''जाके कुटुम में डेढ़ सम ढोर ढोबंत
फिरहि अजहु बनारस आसपास।
आचार सहित विप्र करहिं डंडवत्
तिनि तनै रविदास दासा नुदासा।''

रविदास तो ईश्वर का दास है, उसके घर सभी लोग मृत पशुओं को ढोने वाले रहे जो बनारस के आसपास रहते हैं, लेकिन प्रभु के उपासक रविदास को तो ब्राह्मण दंडवत् प्रणाम् करते हैं क्योंकि वह तो निर्मल हृदय प्रभुदास है। उन्होंने जातीय विषमता पर प्रहार किया। यथा:

''रविदास एकहि नूर से जिमि उपज्चौ संसार।
ऊंच नीच किस विधि भये, बामन सूद चमारा।।''

रविदास ने कहा पूरा संसार एक ही ईश्वर के पुत्र हैं। ब्राह्मण, शूद्र, चमार मानवकृत भेद हैं। काशी के अनाड़ी, दंभी पाखंडी रविदास के तर्कों, उनके चमत्कारों के सम्मुख नव मस्तक थे।

''रविदास उपजहिं एक बंद सो रामहिं एक समाना।''

सभी प्राणी मां के गर्भ से पैदा होते हैं। सभी प्रभु समदर्शी हैं। भेदभाव तो मनुष्य जाति के स्वार्थी लोगों ने पैदा किए।

गुरू ग्रंथ साहिब और रविदास

सिख धर्म के गुरूओं ने उनकी बानियों को अपने पवित्र ग्रंथ में संजोया जिसके मानने वाले करोड़ों है। रविदास के भजन नित्य प्रति पूरे विश्व के गुरूद्वारों में बड़ी श्रद्धा के साथ आज भी गाए जाते हैं। गुरूग्रंथ साहिब में उनके 40 पद-बानी संकलित हैं। उनका यह भजन पूरे विश्व में गुरूद्वारों की सिख संगत श्रवण करती हैं:

अब कैसे छूटै राम रट लागी।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।।
जाकी अंग अंग बास समानी।
प्रभु जी तुम धन हम वन मोरा।
जैसे चितवत चंद्र चकोरा।
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती।।
जाकी जोति जरै दिन राती।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा।।
जैसे सोनहि मिलत सुहागा।
प्रभु जी तुम स्वामी हम दाता।
ऐसी भगति करै रैदासा।।

संत रविदास की रचनाएं वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुई है। अन्य संकलनों में भी उनकी बानियां हैं।

रविदास ईश्वर की साधना, संगति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सत्संग को महात्म्य स्वीकार करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक अन्य पद में प्रभु का स्मरण करते हुए रविदास कहते हैं:-

प्रभु जी संगति शरन तुम्हारी
जग जीवन राम मुरारी।
गली गली कौ जल बहि आयौ
सुर सरि जाय समायों।
संगति के परताप महातम
नाम गंगोदय पायौ।।
स्वांति बूंद बरसै फणि ऊपर
सीस विषै होइ जाई।
वही बूंद के मोती उपजै
संगति की अधिकारी।।
तुम चंदन हम रेंउ वापुरे
निकट तुम्हारे आसा।
संगति के परताप महातम,
आवै वास सुवासा।।
जाति भी ओछी, करम भी ओछी
औदा कसब हमारा
नीचे से प्रभु ऊंच कियौ है
कहै रविदास चमारा।।

बनारस में सिकन्दर लोदी

मैकालिफ के अनुसार सिकन्दर लोदी जो दिल्ली का सुलतान (बादशाह) था सन् 1488 के आसपास बनारस आया था उसी वर्ष उसका राज्याभिषेक हुआ था।

उस समय काशी में रविदास की कीर्ति चरम पर थी। वे समरसता, विमल हृदय, निर्मल वाणी के संत माने जाते थे। ऐसी स्थिति में संभव है सुलतान से उनका साक्षात्कार संभव है।

लेकिन साक्षात्कार होने या न होने से रविदास की महानता, उनके असंख्य भक्तों, अनुयायियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हां, यह बात प्रसिद्ध है सुलतान ने कबीर को कष्ट दिया था।

आजकल पंजाब में रविदासी डेरों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये डेरे गुरूद्वारों की शक्ल में रविदास की विमल कीर्ति के प्रतीक हैं। वैसे भी सिखों ने धर्म ग्रंथ में अन्य संतों की तरह रविदास के चालीस पद-भजन संकलित हैं। यह उनकी लोकप्रियता का अनुपम प्रमाण है। ■

सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत संत रविदास

■ डॉ. ओ.पी. कोली

वंदनीय संतों को सभी लोग याद करते हैं। उनके भजन-दोहे पद किसान, कामगार, पढ़े, बेपढ़े लोग सुबह शाम दुहराते हैं। ऐसे संतों में कबीर, रविदास सर्वोपरि हैं। संत ज्ञान, भक्ति, संत्संग, सहिष्णुता की बात करते हैं। सदाचार की शिक्षा देते हैं। उनकी वाणी एकता की प्रतीक होती है। मिलजुल कर साथ रहने सहने, साथ खान पान, अच्छे व्यवहार की बातें संत बानियों में बिखरी हुई हैं। इसे प्रभु भक्ति के साथ-साथ जातीय एकता, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति भी कह सकते हैं। इतिहास के मध्य युग में संत ऐसे समय में अवतरित हुए जब हिन्दुत्व, हिन्दू समाज खतरे में था। हिन्दू जनता पर कष्ट छाया हुआ था। इस्लाम स्वीकारने या धर्म परिवर्तन का जोर था। इमामों, मुल्लाओं, मौलवियों का दबाव था। फकीर और पीर इसके खिलाफ अवश्य थे, लेकिन उनकी तख्त ताज संभाले यवन शासकों पर सौहार्द, सहिष्णुता की बात का कम ही असर था। कुछेक यवन शासक दयालु जरूर थे, लेकिन हाकिम हुक्काम सदैव आम जनता को सताने में कोई कसर नहीं रखते थे।

इसीलिए जात पांत के सर्वथा विरुद्ध संतों ने लोगो में जागृति, चेतना और ज्ञान के सहारे कौमी एकता की लहर, अमृत रस बरसाने के लिए प्रभु भक्ति का आश्रय लिया। **'नींचहि ऊंच करै कौरा गोविन्द काहू ते न डरै'** ऐसा रविदास ही कह सकते थे। गर्व से जूते बनाने वाले संत रविदास, कपड़ा बुनने वाले कबीर के

प्रभु, निराकार ब्रह्म शक्तिमान है। उनका ईश्वर सभी साधारण लोगों, किसानों, शिल्पियों, कारीगरों, व्यापारियों से लेकर समर्थ पंडितों, पुरोहितों, उच्च वर्गों तक को शासकों के प्रकोप, अत्याचारों, धर्म परिवर्तन के भय, खतरों से बचाने में समर्थ चिन्हित किया गया है। कन्हैयालाल चंचरीक ने दोनों पर शोध रचनाएं लिखी है।

संत रविदास की पूरी की पूरी बानी, पद, गेय भजन प्रभु आराधना, ईश्वर की व्यापक शक्ति, जगत नियंता के गुणगान से भरे हुए हैं।

आश्चर्य है रूढ़िवाद, जातीय संकीर्णता, ऊंच नीच के गढ़ बनारस जैसे ब्राह्मण पुरोहित वादी नगर में अत्यंत छोटे तबके में उत्तीर्ण रविदास ने निर्गुण भक्ति की जो गरिमामयी भागीरथी प्रवाहित की उसकी अमृतमय बूदों ने पूरे हिन्दू समाज को एकता के सूत्र में पिरो दिया। समता की गांठ में बांध दिया। जिससे उच्च जातियों तथा दलितों तथा शोषित जातियों में स्फूर्ति एवं नए प्राण जगे। महात्मा बुद्ध जिस युग में पैदा हुए थे तब समाज में धर्म और जाति परिवर्तन की कोई समस्या नहीं थी। मध्य युगीन इतिहास में सल्तनतों के उदय के साथ-साथ धार्मिक वैमनस्य और पूरे समाज पर इस्लामीकरण की काली छाया फैली हुई थी जिसे संत रविदास और कबीर की बाणियों ने मिटा दिया, ध्वस्त कर दिया।

एक पद में रविदास कहते हैं कि प्रभु तुम तो दीनों पर कृपा करने वाले हो, हमारे बंधनों (कष्टों) को दूर करने की अनुकंपा करें-

पावन जस माधौ तेरा,
तू दासन अघमोचन मेरा।
कीरति तेरी पाप विनासै,
लोक वेद यूं गावैं।।
जो हम पाप करें नहिं भूधर,
तो तू कहा नसावै।।
जब लग अंग पंक परसै
तो जल कहा पखारै।
मन मलीन विषयारस लंपट,
तौ हरि नांव संभारै।।
जो हम विमल हृदय चित
अंतर दोष कवन परिधरि हों।
कह रैदास प्रभु तुम दयाल हो,
बंधनमुक्त कब करिहों।।

संत रविदास की दृढ़ धारणा थी कि हम सब प्राणी सीधे साधे शुद्ध हृदय के हैं, अब हमें (यवनों से) मुक्त कराओ। इस पद का भाव यही है कि हम सब जातीय एकता के सूत्र में आबद्ध हैं। आक्रांता जाति हमारा क्या बिगाड़ लेगी।

संत रविदास का निराकार ब्रह्म घट घट वासी है। उसकी सर्वव्यापकता शब्दों से परे है- पैर पाताल में सीस आकाश-ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवान शिव ने खोजा, सनकादि खोजते फिरे, विराट विश्व के निर्माण कर्ता ब्रह्मा उसे पूरी उम्र तक खोज नहीं पाए ऐसे परमब्रह्म का उपासक भक्त रैदास उसकी यशगाथा गाता है। भाव यही है कि हिन्दू जन जानस को भक्ति का आश्रय लेकर यानी एकता के सूत्र में बंधकर खड़े हो जाना चाहिए।

उनका भक्ति भाव में सराबोर पद इस प्रकार है-

अविगत नाथ निरंजन देवा।
मैं क्या जानूं तुमरी सेवा।।
बांधू न बंधन, छाऊं न छाया।
तुमको सेऊं निरंजन राया।।
चरन पताल, सीस असमाना।
सो ठाकुर कस संपुट समाना।।
शिव, सनकादिक अंत न पाया।
ब्रह्मा खोजत जनम गंवाया।।
तोडू न पाती, पूजूं न देवा।
सहज समाधि करूं हरि सेवा।।
नख परस्वेद जाके सुरसरि धारा।
रोमावली अट्ठारह मारा।।
चार वेद जाके सुमिरत सांसा।
भक्ति हेतु गावै रैदासा।।

डॉ. श्याम सिंह शशि के शब्दों में रविदास की काशी के पंडित चरण वंदना करते थे। वे दिव्य शक्तियों से अभिभूत ऊंचे दर्जे के प्रभु भक्त थे।

निसंदेह संत रविदास दूरदृष्टा थे। ब्राह्मण हो या छोटी या पिछड़ी जाति का, मुस्लिम हो या पीर, ईश्वर को पूजता हो या मस्जिद में अल्लाह की रट लगाता हो, सभी एक मालिक, ब्रह्म के बंदे हैं। ऐसी रविदास की मान्यता थी।

इस पद में यही भाव उभरता है जो उनकी व्यापक दृष्टि, समरसता, सामाजिक सौहार्द की प्रतीक है-

खालिक सिकस्ता मैं तेरा।
दे दीदार, उमेदगार-बेकरार जिउ मेरा।।
औवल आखिर इल्लिाह।
आदम मौज फरिस्ता बन्दा।।
जिसकी पनाह पीर पैगम्बर,
क्या गरीब क्या गंदा।।
तू हाजरा हजूर जोग एक।
और नहीं है दूजा।।
जिसके इश्क आसरा नाहीं।
क्या नवाज क्या पूजा।।
नाली दोज हनोज बेबखत।
किमि खिदमतगार तुम्हारा।।
दर मादा दर ज्वाब न पावै।
कहि रैदास बेचारा।।

निराकार ईश्वर की सर्व व्यापकता, विश्व बंधुत्व की उदार भावना रविदास जैसे संत ही पाने के अधिकारी थे।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में ''रविदास जैसे संतों से हमें पारमार्थिक और सांस्कृतिक दान मिला है। उनके हृदय के उदगारों से छंद जगमगाते हैं।''

विद्वान लेखक और विचारक कन्हैयालाल चंचरीक ने हिन्दी अंग्रेजी में रविदास की रचनाओं, जीवन और दर्शन पर पुस्तकें लिखी हैं। उनके प्राणवान् शब्दों में ''संत रविदास काशी में अपने उदार विचारों और समता-सौहार्दमयी जीवन शैली से पूजे जाते थे। ऐसी किंवदंतियां प्रचलित हो गई थीं कि वे ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और करिश्माई व्यक्तित्व के धनी संत हैं। उनकी ख्याति राजपूताना, गुजरात और पंजाब तक फैल गयी थी। संत समाज में उनका सम्मान था। वे रूढ़ियों के खिलाफ थे। ऊंच नीच के विरुद्ध थे। क्योंकि ब्रह्म तो समदर्शी है। वे सामाजिक सुधारों, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बन गए थे। उनकी विमल वाणी ने समाज को जातीय सदाशयता का पाठ पढ़ाया। समकालीन संतों के साथ-साथ श्रीगुरु ग्रंथ साहेब में उनकी रचनाएं संकलित है। अनेक विश्वविद्यालयों में शोध हुआ हैं।'' पूरे भारत विशेषतया उत्तर प्रदेश, राजस्थान बिहार, मध्य प्रदेश साथ ही पंजाब में संत रविदास की बड़ी मान्यता है।

संत रविदास और उनके समकालीन संतों पर दृष्टिपात करते हैं तो सुख, परम् शांति, नवचेतना, स्फूर्ति मिलती है। आज के अधिकांश संत धन-संपदा, प्रभुता के पीछे, प्रचार के पीछे भाग रहे हैं देश विदेश में मठ, आश्रम, मंदिर बना लिए हैं। भय है पीढ़ियां उन्हें शायद ही याद करें।

बनारस में परम् संत रविदास और उनकी कीर्ति ध्वज फहराने वाला रविदास मंदिर (रविदास धाम) का दर्शनीय स्थल है जिसकी संकल्पना राष्ट्र नेता बाबू जगजीवनराम ने की थी। प्रतिवर्ष विद्वत जगत जहां उनकी रचनाओं पर विचार गोष्ठियां आयोजित करता है, वहां देश के लाखों-करोड़ों रविदासी भाई उनकी स्मृति में रविदास जयंती मनाते हैं। ■

संदर्भित ग्रंथ

1. परशुराम चतुर्वेदी: उत्तर भारत कीसंत परंपरा, प्रयाग, संवत् 2008
2. कन्हैयालाल चंचरीक, संत रविदास जीवन और दर्शन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008
3. स्वामी रामानंद शास्त्री, संत रविदास और उनका काव्य, हरिद्वार, 1955
4. मीराबाई की पदावली, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सवत् 200.)

31 जनवरी 2016 को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधन

मेरे प्यारे देशवासियो,

2016 की ये पहली 'मन की बात' है। 'मन की बात' ने मुझे आप लोगों के साथ ऐसे बांध के रखा है, ऐसे बांध के रखा है कि कोई भी चीज़ नज़र आ जाती है, कोई विचार आ जाता है, तो आपके बीच बता देने की इच्छा हो जाती है। कल मैं पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने के लिये राजघाट गया था। शहीदों को नमन करने का ये प्रतिवर्ष होने वाला कार्यक्रम है। ठीक 11 बजे 2 मिनट के लिये मौन रख करके देश के लिये जान की बाज़ी लगा देने वाले, प्राण न्योछावर करने वाले महापुरुषों के लिये, वीर पुरुषों के लिये, तेजस्वी-तपस्वी लोगों के लिये श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर होता है। लेकिन अगर हम देखें, हम में से कई लोग हैं, जिन्होंने ये नहीं किया होगा। आपको नहीं लगता है कि ये स्वभाव बनना चाहिए, इसे हमें अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी समझना चाहिए? मैं जानता हूं मेरी एक 'मन की बात' से ये होने वाला नहीं है। लेकिन जो मैंने कल feel किया, लगा आपसे भी बातें करूं। और यही बातें हैं जो देश के लिये हमें जीने की प्रेरणा देती हैं। आप कल्पना तो कीजिए, हर वर्ष 30 जनवरी ठीक 11 बजे सवा-सौ करोड़ देशवासी 2 मिनट के लिये मौन रखें। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस घटना में कितनी बड़ी ताक़त होगी? और ये बात सही है कि हमारे शास्त्रों ने कहा है –

"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम" – "हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों।" यही तो राष्ट्र की सच्ची ताकत है और इस ताकत को प्राण देने का काम ऐसी घटनायें करती हैं।

मेरे प्यारे देशवासियो, कुछ दिन पहले मैं सरदार पटेल के विचारों को पढ़ रहा था। तो कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। खादी के संबंध में सरदार पटेल ने कहा है, हिन्दुस्तान की आज़ादी खादी में ही है, हिन्दुस्तान की सभ्यता भी खादी में ही है, हिन्दुस्तान में जिसे हम परम धर्म मानते हैं, वह अहिंसा खादी में ही है और हिन्दुस्तान के किसान, जिनके लिए आप इतनी भावना दिखाते हैं, उनका कल्याण भी खादी में ही है। सरदार साहब सरल भाषा में सीधी बात बताने के आदी थे और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने खादी का माहात्म्य बताया है। मैंने कल 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्य तिथि पर देश में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जितने लोगों तक पहुंच सकता हूं, मैंने पत्र लिख करके पहुंचने का प्रयास किया। वैसे पूज्य बापू विज्ञान के पक्षकार थे, तो मैंने भी टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों ऐसे भाइयों-बहनों तक पहुंचने का प्रयास किया है। खादी अब एक symbol बना है, एक अलग पहचान बना है। अब खादी युवा पीढ़ी के भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है और खास करके जो-जो holistic health care और organic की तरफ़ झुकाव रखते हैं, उनके लिए तो एक उत्तम उपाय बन गया है। फ़ैशन के रूप में भी खादी ने अपनी जगह बनाई है और मैं खादी से जुड़े लोगों का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने खादी में नयापन लाने के लिए भरपूर प्रयास किया है। अर्थव्यवस्था में बाज़ार का अपना महत्व है। खादी ने भी भावात्मक जगह के साथ-साथ बाज़ार में भी जगह बनाना अनिवार्य हो गया है। जब मैंने लोगों से कहा कि अनेक प्रकार के fabrics आपके पास हैं, तो एक खादी भी तो होना चाहिये। और ये बात लोगों के गले उतर रही है कि हां भई, खादीधारी तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर दसों प्रकार के fabric हैं, तो एक और हो जाए। लेकिन साथ-साथ मेरी

बात को सरकार में भी एक सकारात्मक माहौल पनप रहा है। बहुत सालों पहले सरकार में खादी का भरपूर उपयोग होता था। लेकिन धीरे-धीरे आधुनिकता के नाम पर ये सब ख़त्म होता गया और खादी से जुड़े हुए हमारे ग़रीब लोग बेरोज़गार होते गए। खादी में करोड़ों लोगों को रोज़गार देने की ताकत है। पिछले दिनों रेल मंत्रालय, पुलिस विभाग, भारतीय नौसेना, उत्तराखण्ड का डाक-विभाग - ऐसे कई सरकारी संस्थानों ने खादी के उपयोग में बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छे Initiative लिए हैं और मुझे बताया गया कि सरकारी विभागों के इस प्रयासों के परिणामस्वरूप खादी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, इस requirement को पूरा करने के लिए, सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त-extra-18 लाख मानव दिन का रोज़गार generate होगा। 18 lakh man-days, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा jump होगा। पूज्य बापू भी हमेशा Technology के upgradation के प्रति बहुत ही सजग थे और आग्रही भी थे और तभी तो हमारा चरखा विकसित होते-होते यहां पहुंचा है। इन दिनों solar का उपयोग करते हुए चरखा चलाना, solar energy चरखे के साथ जोड़ना बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। उसके कारण मेहनत कम हुई है, उत्पादन बढ़ा है और qualitative (गुणात्मक) परिवर्तन भी आया है। ख़ास करके solar चरखे के लिए लोग मुझे बहुत सारी चिट्ठियां भेजते रहते हैं। राजस्थान के दौसा से गीता देवी, कोमल देवी और बिहार के नवादा ज़िले की साधना देवी ने मुझे पत्र लिखकर कहा है कि solar चरखे के कारण उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हमारी आय double हो गयी है और हमारा जो सूत है, उसके प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। ये सारी बातें एक नया उत्साह बढ़ाती हैं। और 30 जनवरी, पूज्य बापू को जब स्मरण करते हैं, तो मैं फिर एक बार दोहराऊंगा - इतना तो अवश्य करें कि अपने ढेर सारे कपड़ों में एक खादी भी रहे, इसके आग्रही बनें।

प्यारे देशवासियो, 26 जनवरी का पर्व बहुत उमंग और उत्साह के साथ हम सबने मनाया। चारों तरफ़, आतंकवादी क्या करेंगे, इसकी चिंता के बीच देशवासियों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और आन-बान-शान के साथ प्रजासत्ताक पर्व मनाया। लेकिन कुछ लोगों ने हट करके कुछ बातें कीं और मैं चाहूंगा कि ये बातें ध्यान देने जैसी हैं, ख़ास-करके हरियाणा और गुजरात, दो राज्यों ने एक बड़ा अनोखा प्रयोग किया। इस वर्ष उन्होंने हर गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसका ध्वजवंदन करने के लिए, उन्होंने उस गांव की जो सबसे पढ़ी-लिखी बेटी है, उसको पसंद किया। हरियाणा और गुजरात ने बेटी को माहात्म्य दिया। पढ़ी-लिखी बेटी को विशेष माहात्म्य दिया। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' - इसका एक उत्तम सन्देश देने का उन्होंने प्रयास किया। मैं दोनों राज्यों की इस कल्पना शक्ति को बधाई देता हूं और उन सभी बेटियों को बधाई देता हूं, जिन्हें ध्वजवंदन, ध्वजारोहण का अवसर मिला। हरियाणा में तो और भी बात हुई कि गत एक वर्ष में जिस परिवार में बेटी का जन्म हुआ है, ऐसे परिवारजनों को 26 जनवरी के निमित्त विशेष निमंत्रित किया और वी.आई.पी. के रूप में प्रथम पंक्ति में उनको स्थान दिया। ये अपने आप में इतना बड़ा गौरव का पल था और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान का प्रारंभ हरियाणा से किया था, क्योंकि हरियाणा में sex-ratio में बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। एक हज़ार बेटों के सामने जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या बहुत कम हो गयी थी। बड़ी चिंता थी, सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ गया था। और जब मैंने हरियाणा पसंद किया, तो मुझे हमारे अधिकारियों ने कहा था कि नहीं-नहीं साहब, वहां मत कीजिए, वहां तो बड़ा ही negative माहौल है। लेकिन मैंने काम किया और मैं आज हरियाणा का हृदय से अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने इस बात को अपनी बात बना लिया और आज बेटियों के जन्म की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। मैं सचमुच में वहां के सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया है, उसके लिए अभिनन्दन करता हूं।

पिछली बार 'मन की बात' में मैंने दो बातें कही थीं। एक, एक नागरिक के नाते हम महापुरुषों के statue की सफाई क्यों न करें! statue लगाने के लिये तो हम बड़े emotional होते हैं, लेकिन बाद में हम बेपरवाह होते हैं। और दूसरी बात मैंने कही थी, प्रजासत्ताक पर्व है तो हम कर्तव्य पर भी बल कैसे दें, कर्तव्य की चर्चा कैसे हो? अधिकारों की चर्चा बहुत हुई है और होती भी रहेगी, लेकिन कर्तव्यों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए! मुझे खुशी है कि देश के कई स्थानों पर नागरिक आगे आए, सामाजिक संस्थायें आगे आईं, शैक्षिक संस्थायें आगे आईं, कुछ संत-महात्मा आगे आए और उन सबने कहीं-न-कहीं जहां ये statue हैं, प्रतिमायें हैं, उसकी सफ़ाई की, परिसर की सफ़ाई की। एक अच्छी शुरुआत हुई है, और ये सिर्फ़ स्वच्छता अभियान नहीं है, ये सम्मान अभियान भी है। मैं हर किसी का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ख़बरें मिली हैं, बड़ी संतोषजनक हैं। कुछ लोग संकोचवश शायद ख़बरें देते नहीं हैं। मैं उन सबसे आग्रह करता हूं - MyGov portal पर आपने जो statue की सफ़ाई की है, उसकी फोटो ज़रूर भेजिए। दुनिया के लोग उसको देखते हैं और गर्व महसूस करते हैं।

उसी प्रकार से 26 जनवरी को 'कर्तव्य और अधिकार' - मैंने लोगों के विचार मांगे थे और मुझे खुशी है कि हज़ारों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया।

मेरे प्यारे देशवासियो, एक काम के लिये मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। हमारे देश में किसानों के नाम पर बहुत-कुछ बोला जाता है, बहुत-कुछ कहा जाता है। खैर, मैं उस विवाद में उलझना नहीं चाहता हूं। लेकिन किसान का एक सबसे बड़ा संकट है, प्राकृतिक आपदा में उसकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। उसका साल बर्बाद हो जाता है। उसको सुरक्षा देने का एक ही उपाय अभी तो ध्यान में आता है और वो है फ़सल बीमा योजना। 2016 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा किसानों को दिया है – 'प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना'। लेकिन ये योजना की तारीफ़ हो, वाहवाही हो, प्रधानमंत्री को बधाइयां मिलें, इसके लिये नहीं है। इतने सालों से फ़सल बीमा की चर्चा हो रही है, लेकिन देश के 20-25 प्रतिशत से ज्यादा किसान उसके लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, उससे जुड़ नहीं पाए है। क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले एक-दो साल में हम कम से कम देश के 50 प्रतिशत किसानों को फ़सल बीमा से जोड़ सकें? बस, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिये। क्योंकि अगर वो फ़सल बीमा के साथ जुड़ता है, तो संकट के समय एक बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और इस बार 'प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना' की इतनी जनस्वीकृति मिली है, क्योंकि इतना व्यापक बना दिया गया है, इतना सरल बना दिया गया है, इतनी टेक्नोलॉजी का Input लाए हैं। और इतना ही नहीं, फ़सल कटने के बाद भी अगर 15 दिन में कुछ होता है, तो भी मदद का आश्वासन दिया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, उसकी गति तेज़ कैसे हो, बीमा के पैसे पाने में विलम्ब न हो – इन सारी बातों पर ध्यान दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि फ़सल बीमा

मेरे प्यारे देशवासियो, एक काम के लिये मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। हमारे देश में किसानों के नाम पर बहुत-कुछ बोला जाता है, बहुत-कुछ कहा जाता है। ैर, मैं उस विवाद में उलझना नहीं चाहता हूं। लेकिन किसान का एक सबसे बड़ा संकट है, ा तिक आपदा में उसकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। उसका साल बर्बाद हो जाता है। उसको सुरक्षा देने का एक ही उपाय अभी तो ध्यान में आता है और वो है फ़सल बीमा योजना। 2016 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा किसानों को दिया है – ' धानमंत्री फ़सल बीमा योजना'। लेकिन ये योजना की तारीफ़ हो, वाहवाही हो, धानमंत्री को बधाइयां मिलें, इसके लिये नहीं है। इतने सालों से फ़सल बीमा की चर्चा हो रही है, लेकिन देश के 20-25 तिशत से ज्यादा किसान उसके लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, उससे जुड़ नहीं पाए है।

की प्रीमियम की दर, इतनी नीचे कर दी गयी, इतनी नीचे कर दी गयी हैं, जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नयी बीमा योजना में किसानों के लिये प्रीमियम की अधिकतम सीमा खरीफ़ की फ़सल के लिये दो प्रतिशत और रबी की फ़सल के लिए डेढ़ प्रतिशत होगी। अब मुझे बताइए, मेरा कोई किसान भाई अगर इस बात से वंचित रहे, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? आप किसान नहीं होंगे, लेकिन मेरी मन की बात सुन रहे हैं। क्या आप किसानों को मेरी बात पहुंचायेंगे? और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको अधिक प्रचारित करें। इसके लिए इस बार मैं एक आपके लिये नयी योजना भी लाया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी 'प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना' ये बात लोगों तक पहुंचे। और ये बात सही है कि टी.वी. पर, रेडियो पर मेरी 'मन की बात' आप सुन लेते हैं। लेकिन बाद में सुनना हो तो क्या? अब मैं आपको एक नया तोहफ़ा देने जा रहा हूं। क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी मेरे 'मन की बात' सुन सकते हैं और कभी भी सुन सकते हैं। आपको सिर्फ़ इतना ही करना है – बस एक missed call कर दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से। 'मन की बात' के लिये मोबाइल फ़ोन का नंबर तय किया है – 8190881908 आठ एक नौ शून्य आठ, आठ एक नौ शून्य आठ। आप missed call करेंगे, तो उसके बाद कभी भी 'मन की बात' सुन पाएंगे। फ़िलहाल तो ये हिंदी में है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको अपनी मातृभाषा में भी 'मन की बात' सुनने का अवसर मिलेगा। इसके लिए भी मेरा प्रबन्ध जारी है।

मेरे प्यारे नौजवानो, आपने तो कमाल कर दिया। जब start-up का कार्यक्रम

16 जनवरी को हुआ, सारे देश के नौजवानों में नयी ऊर्जा, नयी चेतना, नया उमंग, नया उत्साह मैंने अनुभव किया। लाखों की तादाद में लोगों ने उस कार्यक्रम में आने के लिए registration करवाया। लेकिन इतनी जगह न होने के कारण, आखिर विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम किया। आप पहुंच नहीं पाए, लेकिन आप पूरा समय on-line इसमें शरीक हो करके रहे। शायद कोई एक कार्यक्रम इतने घंटे तक लाखों की तादाद में नौजवानों ने अपने-आप को जोड़ करके रखा और ऐसा बहुत rarely होता है, लेकिन हुआ! और मैं देख रहा था कि start-up का क्या उमंग है। और लेकिन एक बात, जो सामान्य लोगों की सोच है कि start-up मतलब कि I.T. related बातें, बहुत ही sophisticated कारोबार। start-up के इस event के बाद ये भ्रम टूट गया। I.T. के आस-पास का start-up तो एक छोटा सा हिस्सा है। जीवन विशाल है, आवश्यकतायें अनंत हैं। start-up भी अनगिनत अवसरों को लेकर के आता है।

मैं अभी कुछ दिन पहले सिक्किम गया था। सिक्किम अब देश का organic state बना है और देश भर के कृषि मंत्रियों और कृषि सचिवों को मैंने वहां निमंत्रित किया था। मुझे वहां दो नौजवानों से मिलने का मौका मिला – IIM से पढ़ करके निकले हैं – एक हैं अनुराग अग्रवाल और दूसरी हैं सिद्धि कर्णाणी। वो start-up की ओर चल पड़े और वो मुझे सिक्किम में मिल गए। वे North-East में काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और herbal पैदावार हैं, organic पैदावार हैं, इसका global marketing करते हैं। ये हुई न बात!

पिछली बार मैंने मेरे start-up से जुड़े लोगों से कहा था कि 'Narendra Modi App' पर अपने अनुभव भेजिए। कइयों ने भेजे हैं, लेकिन और ज्यादा आयेंगे, तो मुझे ख़ुशी होगी। लेकिन जो आये हैं, वो भी सचमुच में प्रेरक हैं। कोई विश्वास द्विवेदी करके नौजवान हैं, उन्होंने on-line kitchen start-up किया है और वो मध्यम-वर्गीय लोग, जो रोज़ी-रोटी के लिए आये हुए हैं, उनको वो on-line networking के द्वारा टिफ़िन पहुंचाने का काम करते हैं। कोई मिस्टर दिग्नेश पाठक करके हैं, उन्होंने किसानों के लिए और ख़ास करके पशुओं का जो आहार होता है, animal feed होता है, उस पर काम करने का मन बनाया है। अगर हमारे देश के पशु, उनको अच्छा आहार मिलेगा, तो हमें अच्छा दूध मिलेगा, हमें अच्छा दूध मिलेगा, तो हमारा देश का नौजवान ताक़तवर होगा। मनोज गिल्दा, निखिल जी, उन्होंने agri-storage का start-up शुरू किया है। वो scientific fruits storage system के साथ कृषि उत्पादों के लिए bulk storage system develop कर रहे हैं। यानि ढेर सारे सुझाव आये हैं। आप और भी भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे बार-बार 'मन की बात' में अगर start-up की बात करनी पड़ेगी, जैसे मैं स्वच्छता की बात हर बार करता हूं, start-up की भी करूंगा, क्योंकि आपका पराक्रम, ये हमारी प्रेरणा है।

मेरे प्यारे देशवासियो, स्वच्छता अब सौन्दर्य के साथ भी जुड़ रही है। बहुत सालों तक हम गंदगी के खिलाफ़ नाराज़गी व्यक्त करते रहे, लेकिन गंदगी नहीं हटी। अब देशवासियों ने गंदगी की चर्चा छोड़ स्वच्छता की चर्चा शुरू की है और स्वच्छता का काम कहीं-न-कहीं, कुछ-न-कुछ चल ही रहा है। लेकिन अब उसमें एक कदम नागरिक आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने स्वच्छता के साथ सौन्दर्य जोड़ा है। एक प्रकार से सोने पे सुहागा और ख़ास करके ये बात नज़र आ रही है रेलवे स्टेशनों पर। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों देश के कई रेलवे स्टेशन पर वहां के स्थानीय नागरिक, स्थानीय कलाकार, students – ये अपने-अपने शहर का रेलवे स्टेशन सजाने में लगे हैं। स्थानीय कला को केंद्र में रखते हुए दीवारों का पेंटिंग रखना, साइन-बोर्ड अच्छे ढंग से बनाना, कलात्मक रूप से बनाना, लोगों को जागरूक करने वाली भी चीज़ें उसमें डालनी हैं, न जाने क्या-क्या कर रहे हैं! मुझे बताया किसी ने कि हज़ारीबाग़ के स्टेशन पर आदिवासी महिलाओं ने वहां की स्थानीय सोहराई और कोहबर आर्ट की डिज़ाइन से पूरे रेलवे स्टेशन को सज़ा दिया है। ठाणे ज़िले के 300 से ज्यादा volunteers ने किंग सर्किल स्टेशन को सजाया, माटुंगा, बोरीवली, खार। इधर राजस्थान से भी बहुत ख़बरें आ रही हैं, सवाई माधोपुर, कोटा। ऐसा लग रहा है कि हमारे रेलवे स्टेशन अपने आप में हमारी परम्पराओं की पहचान बन जायेंगे। हर कोई अब खिड़की से चाय-पकौड़े की लॉरी वालों को नहीं ढूंढ़ेगा, ट्रेन में बैठे-बैठे दीवार पर देखेगा कि यहां की विशेषता क्या है। और ये न रेलवे का Initiative था, न नरेन्द्र मोदी का Initiative था। ये नागरिकों का था। देखिये नागरिक करते हैं, तो कैसा करते हैं जी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुझे कुछ तो तस्वीरें मिली हैं, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं और तस्वीरें देखूं। क्या आप, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर या कहीं और स्वच्छता के साथ सौन्दर्य के लिए कुछ प्रयास किया है, क्या मुझे आप भेज सकते हैं? ज़रूर भेजिए। मैं तो देखूंगा, लोग भी देखेंगे और औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। और रेलवे स्टेशन पर जो हो सकता है, वो बस स्टेशन पर हो सकता है, वो अस्पताल में हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, मंदिरों के आस-पास हो सकता है, गिरजाघरों के आस-पास हो सकता है, मस्जिदों के आस-पास हो सकता है, बाग़-बगीचे में हो सकता है, कितना सारा हो सकता है! जिन्होंने ये विचार आया और जिन्होंने

इसको शुरू किया और जिन्होंने आगे बढ़ाया, सब अभिनन्दन के अधिकारी हैं। लेकिन हां, आप मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजिए, मैं भी देखना चाहता हूं, आपने क्या किया है!

मेरे प्यारे देशवासियो, अपने लिए गर्व की बात है कि फ़रवरी के प्रथम सप्ताह में 4 तारीख़ से 8 तारीख़ तक भारत बहुत बड़ी मेज़बानी कर रहा है। पूरा विश्व, हमारे यहां मेहमान बन के आ रहा है और हमारी नौसेना इस मेज़बानी के लिए पुरजोर तैयारी कर रही है। दुनिया के कई देशों के युद्धपोत, नौसेना के जहाज़, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के समुद्री तट पर इकट्ठे हो रहे हैं। International Fleet Review भारत के समुद्र तट पर हो रहा है। विश्व की सैन्य-शक्ति और हमारी सैन्य-शक्ति के बीच तालमेल का एक प्रयास है। एक joint exercise है। बहुत बड़ा अवसर है। आने वाले दिनों में आपको टी.वी. मीडिया के द्वारा इसकी जानकारियां तो मिलने ही वाली हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और सब कोई इसको बल देता है। भारत जैसे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारत का सामुद्रिक इतिहास स्वर्णिम रहा है। संस्कृत में समुद्र को उदधि या सागर कहा जाता है। इसका अर्थ है अनंत प्रचुरता। सीमायें हमें अलग करती होंगी, ज़मीन हमें अलग करती होगी, लेकिन जल हमें जोड़ता है, समुद्र हमें जोड़ता है। समंदर से हम अपने-आप को जोड़ सकते हैं, किसी से भी जोड़ सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले विश्व भ्रमण करके, विश्व व्यापार करके इस शक्ति का परिचय करवाया था। चाहे छत्रपति शिवाजी हों, चाहे चोल साम्राज्य हो – सामुद्रिक शक्ति के विषय में उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई थी। आज भी हमारे कई राज्य हैं कि जहां समुन्दर से जुड़ी हुई अनेक परम्पराएं जीवित हैं, उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं। विश्व जब भारत का मेहमान बन रहा है, नौसेना की शक्ति का परिचय हो रहा है। एक अच्छा अवसर है। मुझे भी सौभाग्य मिलेगा इस वैश्विक अवसर पर उपस्थित रहने का।

मेरे प्यारे देशवासियो, अपने लिए गर्व की बात है कि फ़रवरी के थम सप्ताह में तारी . से 8 तारी . तक भारत बहुत बड़ी मेज़बानी कर रहा है। पूरा विश्व, हमारे यहां मेहमान बन के आ रहा है और हमारी नौसेना इस मेज़बानी के लिए पुरजोर तैयारी कर रही है। दुनिया के कई देशों के युद्धपोत, नौसेना के जहाज़, आंध्र देश के विशा ापत्तनम के समु ी तट पर इकट्ठे हो रहे हैं। International Fleet Review भारत के समु तट पर हो रहा है। विश्व की सैन्य-शक्ति और हमारी सैन्य-शक्ति के बीच तालमेल का एक यास है। एक joint exercise है। बहुत बड़ा अवसर है।

वैसे ही भारत के पूर्वी छोर गुवाहाटी में खेल-कूद समारोह हो रहा है, सार्क देशों का खेल-कूद समारोह। सार्क देशों के हज़ारों खिलाड़ी गुवाहाटी की धरती पर आ रहे हैं। खेल का माहौल, खेल का उमंग। सार्क देशों की नई पीढ़ी का एक भव्य उत्सव असम में गुवाहाटी की धरती पर हो रहा है। ये भी अपने आप में सार्क देशों के साथ नाता जोड़ने का अच्छा अवसर है।

मेरे प्यारे देशवासियो, मैंने पहले ही कहा था कि मन में जो आता है, मन करता है, आपसे खुल करके बांटूं। आने वाले दिनों में दसवीं और बारहवीं की परीक्षायें होंगी। पिछली बार 'मन की बात' में मैंने परीक्षा के संबंध में विद्यार्थियों से कुछ बातें की थीं। इस बार मेरी इच्छा है कि जो विद्यार्थियों ने सफलता पाई है और तनावमुक्त परीक्षा के दिन कैसे गुज़ारे हैं, परिवार में क्या माहौल बना, गुरुजनों ने, शिक्षकों ने क्या role किया, स्वयं ने क्या प्रयास किये, अपनों से सीनियर ने उनको क्या बताया और क्या किया? आपके अच्छे अनुभव होंगे। इस बार हम ऐसा एक काम कर सकते हैं कि आप अपने अनुभव मुझे 'Narendra Modi App' पर भेज दीजिये। और मैं मीडिया से भी प्रार्थना करूंगा, उसमें जो अच्छी बातें हों, वे आने वाले फ़रवरी महीने में, मार्च महीने में अपने मीडिया के माध्यम से प्रचारित करें, ताकि देशभर के students उसको पढ़ेंगे, टी.वी. पर देखेंगे और उनको भी चिंतामुक्त exam कैसे हो, तनावमुक्त exam कैसे हो, हंसते-खेलते exam कैसे दिए जाएं, इसकी जड़ी-बूटी हाथ लग जाएगी और मुझे विश्वास है कि मीडिया के मित्र इस काम में ज़रूर मदद करेंगे। हां, लेकिन तब करेंगे, जब आप सब चीज़ें भेजेंगे। भेजेंगे न? पक्का भेजिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद, दोस्तो। फिर एक बार अगली 'मन की बात' के लिए अगले महीने ज़रूर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। ■

कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया

■ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

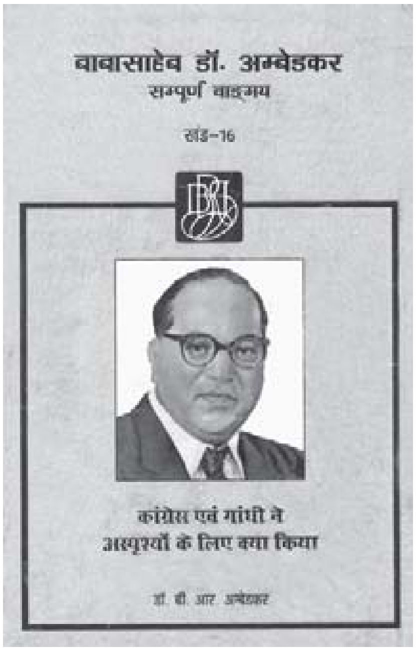

पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी राय दी कि थोड़े समय के लिए स्थगन लाभप्रद होगा। मैंने समझ लिया कि कोई चालबाजी होगी, तो मैंने कहा-

"स्थगन के पहले मैं यहां कहना चाहूंगा। ऐसे समय में जबकि समझौता वार्ता चल रही हो, दूसरे अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को भी अपना मामला तैयार करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक दलित वर्गों की समस्या का संबंध है, हमने पहले इस अल्पसंख्यक उप-समिति को अपना मत प्रकट कर दिया है।

मुझे जो करना है, वह यह है कि मुझे समिति के सामने एक संक्षिप्त वक्तव्य देना है जिसमें मुझे यह बताना है कि हमें विभिन्न विधानमंडलों में कितना-कितना प्रतिनिधित्व चाहिए।[1] उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं सोचता। मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि साप्रदायिक मुद्दे पर समझौता वार्ता होने जा रही है। परंतु आरंभ में ही मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहूंगा। हम नहीं चाहते कि कोई संदेह बाकी रहे कि जो लोग समझौता वार्ता चला रहे हैं, उन्हें जानना होगा कि समिति में समझौता करने वाले वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं। श्री गांधी अथवा उनसे समझौता करने वाले, जो भी पक्ष हो और जो भी स्थिति हो निस्संदेह उनका समझौता मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। मैं स्पष्ट रूप से इस बैठक में बताए देता हूं।"

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि विभिन्न अल्पसंख्यकों द्वारा पेश किए गए दावे उनके अपने दावे हैं इनका दूसरे अल्पसंख्यको के दावों से कोई सरोकार नहीं। इसलिए जो भी समझौता एक अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के साथ या दूसरे दल के साथ अल्पसंख्यकों के दावों की अनदेखी करके करेगा, तो जहां तक मेरा संबंध है, मैं उसमें भागीदार नहीं रहूंगा। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसी विशेष समुदाय को कोई महत्व मिलेगा या नहीं, परंतु मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि महत्व प्राप्त करने का दावा कोई भी करें या कोई भी किसी को महत्व दे, परंतु मेरे हिस्से में से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं।"

तदुपरान्त जो हुआ वह कार्यवाही के निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट हो जाएगा-

"चेयरमैन - कोई भ्रांति नहीं रह जानी चाहिए। इस समिति के सामने अंतिम रूप से फैसला हो जाना चाहिए और जब अल्पसंख्यकों अथवा समुदायों में कोई विरोधाभास आ जाए, तो उन दलों को चाहिए कि उन विवादास्पद मुद्दों के समाधान के लिए कुछ समय निकाल कर हल कर लें। ऐसा कदम महत्वपूर्ण और आवश्यक सिद्ध होगा, जिसमें आम सहमति पर पहुंचा जा सकता है।''

डॉ॰ अम्बेडकर - मैंने अपनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है।

"चेयरमैन - डॉ॰ अम्बेडकर ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और ऐसे ढंग से की है कि उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। वह स्पष्टीकरण इस समिति के समक्ष विचार-विमर्श के समय आ जाएगा। मैं वहीं कहना चाहूंगा, जिससे हम सभी एक दूसरे के सहयोग से सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंच सकें। जो केवल दो या तीन दलों के बीच में ही न हो, बल्कि सर्वसम्मत निर्णय हो।''

"चेयरमैन - स्थिति यह है कि अब हम कार्यवाही स्थगित करते हैं और बाद में अपनी बैठकें शुरू करेंगे। आप में से दो अथवा तीन दलों में जब तक समझौता वार्ता चल रही है, हमें दूसरे अल्पसंख्यको के दावे भी सुनने होंगे। मैं सोचता हूं कि वैसा करना हितकर होगा। इसमें समय बचेगा और इससे उस समरसता की सम्भावना को भी ठेस नहीं पहुंचेगी जो हमारे सिख मित्रों, गांधी तथा सर आगा खां तथा उनके मित्रों के बीच स्थापति हो सकेगी।''

"डॉ॰ अम्बेडकर - मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या ऐसी उपसमिति नियुक्त करना संभव नहीं होगा, जिसमें विभिन्न समुदायों के सदस्य हों साथ में कांग्रेस प्रतिनिधि भी हो, जो स्थगन काल में एक साथ बैठकर समस्या पर बहस कर ले।''

"चेयरमेन – मैं यह राय देने जा रहा था। मुझे वैसी समिति नियुक्त करने के लिए कहिए वरन् स्वयं कीजिए। मैंने आप सबको बैठक के लिए आमंत्रित किया हैं क्या आप लोग अनौपचारिक ढंग से अपने आप बैठक करके ऐसा वार्तालाप नहीं कर सकते थे, जिससे वहां पर आप जो बात करेगें, उससे कोई पृष्ठभूमि उभर कर सामने आए।

"डॉ॰ अम्बेडकर – जैसा आप चाहे।

"चेयरमैन – वैसा करना अधिक अच्छा होगा।

स्थगन काल में तीनों पक्षों का आपस में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके पश्चात पहली अक्तूबर 1931 में जब अल्पसंख्यक समिति की पुन: बैठक हुई तो श्री गांधी ने कहा –

"प्रधानमंत्री जी पिछली रात महामहिम आगा खां तथा अन्य मुस्लिम मित्रों से वार्तालाप करने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम जिस उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं, उस निर्णय में एक सप्ताह का स्थगन काल होना चाहिए। इस विषय में मुझे अपने साथियों से विचार करने को कोई समय नहीं मिला। वे निस्संदेह मेरे प्रस्ताव से सहमत होंगे।"

इस प्रस्ताव का समर्थन सर आगा खां ने भी किया। मैं उसका विरोध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। जो कुछ मैंने कहा वह कार्यवाही के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हैं –

"डॉ॰ अम्बेडकर – धन्यवाद, परन्तु पता नहीं है कि आज मैं जिस स्थिति में हूं, उससे क्या प्रस्तावित समिति से काम करने से मुझे कोई लाभ होगा। इसका कारण यह है – पहले ही दिन श्री गांधी ने हमें बतलाया था कि उन्होंने संघीय ढ़ाचा समिति के सामने यह कह दिया है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते मुसलमानों और सिखों के अतिरिक्त किसी अन्य दल को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वह एग्लो-भारतीयों, दलित वर्गों और भारतीय ईसाइयों को राजनैतिक मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं मेरे विचार से मैं इस कमेटी में ऐसा कह कर शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक सप्ताह पहले दलित वर्गों के प्रश्न पर श्री गांधी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ था और दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य हम लोग कल जब श्री गांधी से उनके कार्यालय में मिले, तो उन्होंने हम से स्पष्ट रूप से कहा कि संघीय ढांचा समिति के सामने जो कुछ उन्होंने कहा था, उसी रवैये पर वह अडिग और वही उनका सुविचारित मत है। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक दलित वर्गों को उस अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता नहीं होगी, तब तक मैं नहीं समझता कि इस संबंध श्री गांधी द्वारा प्रस्तावित कमेटी में मेरे शामिल होने से कोई मतलब हल होगा। इसलिए जब तक हमें यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि यह समिति इस ढंग से कार्य करती है कि सभी समुदाय जिनके लिए पिछले वर्ष अल्पसंख्यक उप समिति ने भारत के भावी संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी, मैं नहीं समझता कि मैं स्थगन के प्रस्ताव का समर्थन हृदय से कर सकूं। मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं।''

"डॉ॰ अम्बेडकर – मैं अपनी स्थिति और भी स्पष्ट करता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने जो कुछ कहा उससे लोगों में कुछ भ्रांतिया पैदा हो गई हैं। मुझें स्थगन पर आपत्ति नहीं है। मैं समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाने वाली किसी समिति का सदस्य बनने

डॉङ अम्बेडकर – धन्यवाद, परन्तु पता नहीं है कि आज मैं जिस स्थिति में हूं, उससे क्या प्रस्तावित समिति से काम करने से मुझे कोई लाभ होगा। इसका कारण यह है – पहले ही दिन श्री गांधी ने हमें बतलाया था कि उन्होंने संघीय ढ़ाचा समिति के सामने यह कह दिया है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते मुसलमानों और सिखों के अतिरिक्त किसी अन्य दल को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वह ए लो-भारतीयों, दलित वर्गों और भारतीय ईसाइयों को राजनैतिक मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं मेरे विचार से मैं इस कमेटी में ऐसा कह कर शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक सप्ताह पहले दलित वर्गों के प्रश्न पर श्री गांधी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ था और दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य हम लोग कल जब श्री गांधी से उनके कार्यालय में मिले, तो उन्होंने हम से स्पष्ट रूप से कहा कि संघीय ढांचा समिति के सामने जो कुछ उन्होंने कहा था, उसी रवैये पर वह अडिग और वही उनका सुविचारित मत है।

पर भी एतराज नहीं उठा रहा हूं। यदि वे मुझे इस समिति का सदस्य बनने का सम्मान प्रदान करते हैं तो इसमें शामिल होने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि यह समिति किस समस्या पर विचार करने जा रही है। क्या हिंदू और मुसलमान के बीच जो परस्पर-विरोधी रवैया हैं उससे संबंधित प्रश्न पर विचार किया जाना है? क्या उस समिति में पंजाब के सिक्खों और मुसलमानों के प्रश्न पर विचार किया जाना है, अथवा ईसाइयों, ऐंग्लोइंडियनों और दलित वर्गों के प्रश्न पर भी बातचीत होगी?''

"चर्चा आरंभ करने से पहले यदि हम यह भली भांति समझ ले कि यह समिति हिंदू और मुसलमानों, हिन्दुओं और सिक्खों के प्रश्न पर विचार करने के साथ-साथ ईसाइयो, ऐंग्लोइंडियनों तथा दलित वर्गों के प्रश्न पर भी विचार करने की जिम्मेदारी निभायेगी तो मैं इस बात के लिए पूरी तरह सहमत हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव को बिना किसी आपत्ति के पारित किया जाए। मैं फिर भी यह कहना चाहता हूं कि यदि मेरी बात नहीं मानी गई और इस अन्तराल का उपयोग केवल हिंदू-मुश्लिम प्रश्नों को सुलझाने के लिए किया गया तो मैं यह जोर देकर कहुंगा कि इस प्रश्न पर स्वयं अल्पसंख्यक समिति को ही विचार करना चाहिए और किसी अन्य अनौपचारिक समिति को इस सांप्रदायिक प्रश्न पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।''

श्री गांधी - "प्रधानमंत्री एवं मित्रों। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने अपने कार्य की जो रूपरेखा बनाई है, उसके विषय में कुछ लोगों को भ्रम हैं मैं सोचता हूं डॉक्टर अम्बेडकर, कर्नल गिडने तथा अन्य मित्रगण, जो कुछ होने जा रहा है, उससे बिना बात परेशान हो रहे हैं। किसी भी वर्ग के राजनैतिक हितों को नकारने वाला मैं कौन होता हूं। यदि मैं एक भी राष्ट्रीय हित की अनदेखी करता हूं तो मैं उस विश्वास के योग्य नहीं हूं जो कांग्रेस ने मुझमें कांग्रेस का प्रतिनिधि होने के नाते प्रकट किया है। निस्संदेह इन विषयों पर मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे उन्हीं विचारों पर दृढ़ रहना है। प्रत्येक वर्ग के हित की रक्षा करने के बहुत से तरीके है। हम सबको मिलकर एक योजना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को अपने विचारों पर बल देने से रोका नहीं जाएगा।''

"इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी को अपने विचार प्रकट करने में किसी प्रकार का भय हो। प्रत्येक को समान अधिकार होगा। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी पर अपने विचारों को थोपूं। मैंने केवल राष्ट्र हित में अपने विचार प्रकट किए थे और जब-जब अवसर आएगा, मैं अपने विचार पेश करूंगा। उनको स्वीकार करना न करना आप पर निर्भर है। इसलिए कृपया आप लोग अब अपना ध्यान इस ओर लगाएं कि यदि आप सोचते हैं कि इस गोलमेज सम्मेलन में मुंह चढ़ाए बैठे रहने की अपेक्षा एक साथ बैठकर विचार करने का तरीका ठीक है, तो आप इस स्थगन को ही नहीं मानेंगे, बल्कि इन अनौपचारिक बैठकों के लिए मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें आप हृदय से सहयोग करेंगे।''

"चेयरमैन - अब मैं इसे प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, मेरे दिमाग में यह बात स्पष्ट है कि हम समय व्यर्थ नहीं गवांयेगे। अब से और दूसरी बैठक होने के अंतराल में जैसा कि श्री गांधी ने कहा, अनौपचारिक बैठकें होंगी और मुझे आशा है कि आप सभी दलों के लोग उस अवसर का लाभ उठाएंगे।"

स्थगन के बाद हुई अनौपचारिक बैठक में जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह बैठक पूरी तरह असफल रही। इसके अध्यक्ष श्री गांधी थे। श्री गांधी ने सांप्रदायिक प्रश्न के जटिलतम भाग अर्थात् पंजाब में सिख-मुस्लिम झगड़े से आरंभ किया। किसी स्तर तक मामला सुलझता लगा, जबकि दोनों पक्ष पंच के फैसले के लिए सहमत हो गए। यद्यपि सिख चाहते थे कि जब तक पंच का नाम प्रकट करने के लिए तैयार न थे। अस्पृश्यों जैसे दूसरे अल्पसंख्यकों की समस्या हल करने में श्री गांधी को रूचि नहीं थी यद्यपि उन्होंने दूसरे अल्पसंख्यकों की मांगों की सूची प्रस्तुत करने के लिए उनके प्रतिनिधियों से कहा था। श्री गांधी ने उनकी मांगों को सुना, परंतु अनसुना करने के लिए। क्या श्री गांधी ने उन मांगों को बैठक में विचार करने के लिए रखा? जैसे ही सिखों और मुसलमानों के बीच समझौता विफल हुआ वैसे ही श्री गांधी ने बैठक भंग कर दी। अल्पसंख्यक समिति की बैठक 8 अक्तूबर 1931 को हुई। प्रधानमंत्री ने श्री गांधी को पहले बोलने के लिए कहा। श्री गांधी ने कहा-

"प्रधानमंत्री एवं मित्रों! बड़े खेद एवं दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के मध्य आपसी वार्तालाप द्वारा सांप्रदायिक प्रश्न को पारस्परिक सहमति के आधार पर हल करने की दिशा में मैं एकदम नाकाम रहा। एक सप्ताह निरर्थक गंवाने के लिए प्रधानमंत्री एवं मित्रों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जब मैंने इस कठिन कार्य को अपने हाथों में लिया था मैं सोचता था कि इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी। मुझे धैर्य एवं संतोष इसी बात में है कि मैंने इसका हल ढूंढ़ निकालने में कोई कसर नहीं उठा रखी।''

''परंतु यह कहना पूर्णतया सत्य नहीं होगा कि हमारी बातचीत पूर्णतया विफल रही। वार्तालाप की असफलता का कारण भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। हम लगभग सभी लोग उन दलों के जिनका हमें प्रतिनिधित्व करना था निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, हमें सरकार ने नामनिर्देशित किया है। उस बैठक में एक सर्वमान्य हल पर पहुंचने के लिए जिन प्रतिनिधियों की उपस्थिति नितांत आवश्यक थी, वे भी उस शिष्टमंडल में नहीं थे। आगे मैं कहना चाहूंगा कि यह अल्पसंख्यक समिति बुलाने का समय नहीं था, इसमें यथार्थ की भावना नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमे क्या प्राप्त करना है। यदि हमें यह ज्ञात होता कि हम चाहते है, उसके बदले ऐसी

असफलता हाथ लगेगी, तो हम वही रूक जाते और इस अपवित्र विवाद से बचे रहते। यदि हमारे मतभेद गहरे हो गए हैं और यदि वे विदेशी प्रभुत्व के कारण उभर कर न आते, तो समाधान स्वराज्य संविधान की बुनियाद न रह कर उसका कलश बन गया होता। मुझे लेशमात्र भी संदेह नहीं कि स्वतंत्रता की सूर्य किरणों में सांप्रदायिकता का हिमखंड पिघल जाएगा।''

"इसलिए मेरा सुझाव है कि अल्पसंख्यक समिति अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी जाए और संविधान के मूल सिद्धांतों की शीघ्र रचना की जाए। इस बीच सांप्रदायिक समस्या का सही हल निकालने का अनवरत प्रयास होना चाहिए। हमें अपना ध्यान सब बातों से हटाकर मुख्य कार्य संविधान निर्माण पर केंद्रित करना होगा।''

"मुझे समिति को यह बताने की जरूरत नहीं कि मेरी असफलता का अर्थ यह नहीं कि सांप्रदायिक समस्या का सर्वमान्य हल तलाश करने की सभी आशाएं धूमिल हो गई। मेरी असफलता का अर्थ मेरी घोर पराजय भी नहीं है। मेरे शब्दकोष में ऐसा शब्द ही नहीं है। मेरी स्वीकारोक्ति का अर्थ केवल विशेष प्रयत्नों का असफल होना है, जिनके लिए हमें आपने एक सप्ताह का समय दिया था।''

"मेरी स्वीकारोक्ति का अर्थ है कि मेरी असफलता जिसे सफलता की दिशा में एक सीढ़ी मानी जाए और मैं आप सभी से ऐसा करने का आप्रह्रान करता हूं। सांप्रदायिक समस्या का हल ढूढंने में हमे चाहे जितनी भी असफलता मिले और गोलमेज सम्मेलन के प्रयत्न विफल हो जाते है, तो भी मेरी यह राय है कि भावी संविधान में यह एक धारा जोड़ दी जाए कि जिस मुद्दों पर निर्णय लिया जा सकता है उनकी जांच परख की जाए तथा अंतिम निर्णय देने के लिए एक पंचाट बना दिया जाए।"

सभी ने बहस के दौरान श्री गांधी के इस आरोप को गलत बताया कि प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामजद किए गए थे और वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा –

इसलिए मेरा सुझाव है कि अल्पसंख्यक समिति अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी जाए और संविधान के मूल सिद्धांतों की शीघ्र रचना की जाए। इस बीच सांप्रदायिक समस्या का सही हल निकालने का अनवरत प्रयास होना चाहिए। हमें अपना ध्यान सब बातों से हटाकर मुख्य कार्य संविधान निर्माण पर केंद्रित करना होगा।''

मुझे समिति को यह बताने की जरूरत नहीं कि मेरी असफलता का अर्थ यह नहीं कि सांप्रदायिक समस्या का सर्वमान्य हल तलाश करने की सभी आशाएं धूमिल हो गई। मेरी असफलता का अर्थ मेरी घोर पराजय भी नहीं है। मेरे श दकोष में ऐसा श द ही नहीं है। मेरी स्वीकारोक्ति का अर्थ केवल विशेष प्रयत्नों का असफल होना है जिनके लिए हमें आपने एक सप्ताह का समय दिया था।

"प्रधानमंत्री जी! पिछली रात जब औपचारिक बैठक की समाप्ति के बाद हम लोग बैठक से विदा हुए थे तो हम सबको कम से कम यह राय थी कि जब हम लोग अगली बैठक में शामिल होंगे तो हम में से कोई भी इस प्रकार के भाषण नहीं देगा, जिसमें आरोप की भावना हो। मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि श्री गांधी ने उस आपसी समझौते का गला घोंट दिया। मुझे यह कहने का मौका मिला है कि श्री गांधी ने वहीं से अपनी बात आरंभ की जो उनकी नजर में असफलता का कारण था। अब मैं अपने विचार से वही बाते बताता हूं, जिन्हें मैं औपचारिक बैठक में किसी समझौते पर पहुंचने की असफलता का कारण समझता हूं। मैं उन पर यहां पर बहस नहीं करना चाहता। अल्पसंख्यक समिति की बैठक अनिश्चित काल तक स्थगित करने के प्रस्ताव में श्री गांधी की जो बात मुझे कुछ खटकी वह ये थी कि उन्होंने अपनी सीमाए लांघी, उन्होंने अपने को अपनी स्थिति में सीमित नहीं रखा, उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों पर, जो यहां गोलमेल सम्मेलन में बैठे है, छींटाकशी की। श्री गांधी ने कहा था कि सभी प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामजद किस गए हैं और वे अपने संबंधित समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम इस बात से इंकार नहीं कर करते हैं कि हम सरकार द्वारा नामजद किए गए हैं और वे अपने संबंधित समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि हम सरकार द्वारा नामजद किए गए हैं, परंतु जहां तक मेरा संबंध है, इस बात में तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं कि यदि इस सभा के लिए दलित वर्गों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाता, तो निश्चय ही मैं ही यहा चुन कर आता। प्रश्न यह नहीं है कि मैं सरकार द्वारा नामजद किया गया हूं अथवा नहीं। मैं अपने उस समुदाय का पूर्णरूपेण प्रतिनिधित्व करता हूं। इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए।''

"महात्मा गांधी सदा से इस बात का दावा करते रहे है कि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है और इतना जोरदार प्रतिनिधित्व करती है जितना मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह एकदम झूठा और गैरजिम्मेदाराना दावा है और इस दावे से संबंधित लोग इससे सर्वथा इंकार करते हैं।''

"मुझे अल्मोड़ा जिले का दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष का तार मिला। मैं समझता हूं, वह संयुक्त प्रात: में है, जहां से मेरा कोई परिचय नहीं हैं और कभी मैं वहां गया भी नहीं हूं। वह तार इस प्रकार है-

"यह सभा कांग्रेस में अपने अविश्वास की घोषणा करती है और उसने देश के अंदर और बाहर जो रवैया अख्तियार किया है तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो हथकंडे अपनाए गए है, उनकी भर्त्सना करती है।"

''मैं इसे और आगे नहीं पढ़ना चाहता। परंतु, यह कह सकता हूं कि मैं समझता हूं कि श्री गांधी अस्पृश्यों के बीच में अपनी स्थिति का जायजा लेना चाहेंगे, तो उन्हें सच्चाई का पता चल जायेगा। यद्यपि कांग्रेस में ऐसे भी लोग होंगे, जो दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति दिखलाते होंगे, परंतु दलित वर्ग के लोग कांग्रेस में नहीं हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। मैं इन विवादित बिंदुओं पर नहीं जाना चाहता। ये मुख्य प्रस्तावना से कुछ अलग प्रतीत होते है। गांधी जी ने जो मुख्य बात रखी वह यह थी कि यह समिति अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। इस प्रस्ताव के संबंध में मैं पूर्णत: सर मोहम्मद शफी के विचारों से सहमत हूं। इसके लिए केवल दो विकल्प हैं या तो अल्पसंख्यक कमेटी कोई संतोषजनक हल खोजे और यदि यह संभव न हो, तो ब्रिटिश सरकार इस समस्या का समाधान स्वयं करे। हम ऐसे किसी तीसरे दल के पंच निर्णय पर इसे छोड़ देने के लिए सहमत नहीं हो सकते, जिसका ब्रिटिश सरकार जैसा जिम्मेदाराना भाव न हो।''

''प्रधानमंत्री, मुझे एक बात स्पष्ट-करने की अनुमति दे कि दलित वर्गो ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को तुरंत सत्ता हस्तांतरित करने के लिए अभी कोई उत्तेजना नहीं दिखाई, न वे इसके लिए आतुर है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी कुछ विशेष शिकायतें है और मैं समझता हूं कि मैं उन शिकायतों को बहुत सही और स्पष्ट ढंग से पेश किया है वास्तव में सच तो यह है कि दलित वर्ग के लोग राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण के लिए व्याकुल नहीं है। स्पष्ट: उनकी स्थिति इस प्रकार की है कि वे सत्ता हस्तांतरण के लिए आतुर नहीं हैं, परंतु यदि इस समय राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए जो होहल्ला मचा हुआ है ब्रिटिश सरकार उसका सामना करने में अपने को बेबस पाता है। हम यह जानते है कि दलित वर्ग के लोग वर्तमान परिस्थितियों में इसका प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है। तब हमारा निवेदन यह है कि सत्ता हस्तांतरण कुछ शर्तो के साथ ऐसी व्यवस्था में हो कि किसी गिरोह के हाथ में सारी शक्ति न चली जाए अथवा कुछ लोगों के गिरोह की मुट्ठी में न दब जाए चाह ये मुसलमान हो या हिंदू। वरन् वह हल ऐसा हो कि अपने-अपने समुदाय के अनुपात में सत्ता में सबको हिस्सा मिले। इस विचार से मुझे ऐसा नहीं लगता कि संघीय ढांचा हिस्सा मिले। इस विचार से मुझे नहीं लगता कि संघीय ढांचा समिति में मैं उस समय तक कैसे भाग लू जब तक कि मैं यह नहीं समझ पाऊं कि उस समय तक मेरी तथा मेरे समुदाय की क्या स्थिति होगी।"

प्रधानमंत्री ने अपने समापन में कहा-

"हम बैठक स्थगित करते हैं। मैं दुबारा आप लोगों की बैठक बुलाऊंगा। इस बीच में चाहूंगा कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि है वे भी अपनी और से प्रयत्न करें।

यदि आप लोगों में कोई आम सहमति हो जाती है, तो मेरी राय है कि उससे सबकों अवगत कराए......। ब्रिटिश सरकार आपके समझौते में आड़े नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमने अब तक जो निराशाजनक बातें सुनी, उन्हें छोड़कर अब अपने दिलों में यह बात रखे कि ब्रिटिश सरकार आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार कृतसंकल्प है कि भारत में ऐसा सुधार किया जाए जो हमारे विचारों से मेल खाता हो और जिससे स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ता हो। यही हम चाहते हैं। मैं सभी प्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि प्रगति में किसी प्रकार के रोड़े न अटकाएं।

IV

प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुसार अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने इस उद्देश्य से अनौपचारिक बातचीत की कि वे इसका कोई हल निकाले। उन्होंने आपस में विचार-विमर्श कर एक करार तैयार किया और उसे 13 नवंबर 1931 को अल्पसंख्यक समिति की बैठक की पूर्वसंध्या पर प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया। उस बैठक का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा-

"आरंभ से ही इस समिति का कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज मुझे इस बात पर खेद है कि आप सब लोग एक सर्वमान्य समाधान पर पहुंचने में असफल रहे हैं।

"कल रात एक प्रतिनिधिमंडल मुझ से मिला था जिसमें मुसलमानों, दलित वर्गों तथा कुछ हद तक भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और ब्रिटिश समुदाय के प्रतिनिधि थे। वे कल रात हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिले। उनके पास तैयार किया गया वह सहमति पत्र भी था, जिस पर उन सबकी आम राय थी। उन्होंने मुझे बतलाया कि उस समझौते में ब्रिटिश भारत की 46 प्रतिशत जनता की मांग समाविष्ट है।''

"उस समय तुरंत उस पर विचार करने का समय नहीं था। मैं समझता हूं मुझे दिया वह समझौता पत्र कमेटी के अधिवेशन मैं अधिकृत रूप में जाए और

इसके लिए मैं आगा खां से जवाब देने के लिए कहूंगा कि वह उस समझौता पत्र को यहां प्रस्तुत करें।"

आगा खां उठ खड़े हुए और बोले–

"प्रधानमंत्री में मुसलमानो, दलित वर्गों, एंग्लोइंडियनों, यूरोपियनों और भारतीय ईसाइयों की ओर से वह समझौता प्रस्तुत करता हूं, जिसमें वे सभी लोग सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने में सफल हुए, जो गोलमेज सम्मेलन की सांप्रदायिक समिति से संबंधित है। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते है कि इस कठिन और जटिल प्रस्ताव पर यह समझौता बहुत सोच विचारकर किया गया है और इसे संपूर्ण रूप में लिया जाना चाहिए। इस समझौते के सभी अंश एक दूसरे के पूरक हैं।"

यह दस्तावेज अल्पसंख्यक समझौता (माइनोरिटीज पैक्ट) के नाम से प्रसिद्ध हैं निस्संदेह श्री गांधी जी के भाषण ने सबका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया इस समझौते से श्री गांधी बिफर उठे। वह अल्पसंख्यक समझौता प्रस्तुत करने और विशेषकर अछूतों को पृथक राजनीतिक अधिकारों पर मान्यता मिल जाने के कारण, आग बबूला हो गए। श्री गांधी ने जो कहा वह इस प्रकार था –

"मैंने जो कुछ पहले कहा था, उसे दोहराना चाहता हूं कि हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को जो समझौता मान्य होगा कांग्रेस उसे हमेशा स्वीकार करेगी। दो शब्द तथाकथित अस्पृश्यों के विषय में कहना चाहूंगा कि दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मैं समझता हूं, परंतु अस्पृश्यों के बारे में जो बातें की गई है, वह हम सब का अंग भंग है। इससे जन्म–जन्मांतर तक विभाजन की रेखा खिंच जाएगी। मैं अस्पृश्यों के महत्वपूर्ण हितों का सौदा नहीं करूंगा, चाहे भारत की स्वतंत्रता भी दाव पर लगी हो। मैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप में अस्पृश्यों की बहुसंख्या का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करता हूं। मैं यहां पर केवल कांग्रेस की ओर से ही नहीं बोल रहा हूं। वरन् अपनी ओर से भी बोल रहा हूं और मेरा दावा है कि यदि अस्पृश्यों में जनमतसंग्रह कराया जाए, तो उनके मत मुझे मिलेंगे और मेरा स्थान शीर्ष पर होगा। मैं भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अस्पृश्यों से कहूंगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली तथा आरक्षण उनके इस कलुषित अलगाव को मिटाने का सही तरीका नहीं है। यह उन्हीं के लिए लज्जा की बात नहीं है, वरन् कट्टर हिंदुओं के लिए भी लज्जाजनक है।''

मैंने जो कुछ पहले कहा था, उसे दोहराना चाहता हूं कि हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को जो समझौता मान्य होगा कांग्रेस उसे हमेशा स्वीकार करेगी। दो श द तथाकथित अस्पृश्यों के विषय में कहना चाहूंगा कि दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मैं समझता हूं, परंतु अस्पृश्यों के बारे में जो बातें की गई है, वह हम सब का अंग भंग है। इससे जन्म–जन्मांतर तक विभाजन की रेखा खिंच जाएगी। मैं अस्पृश्यों के महत्वपूर्ण हितों का सौदा नहीं करूंगा, चाहे भारत स्वतंत्रता भी दाव पर लगी हो। मैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप में अस्पृश्यों की बहुसंख्या का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करता हूं। मैं यहां पर केवल कांग्रेस की ओर से ही नहीं बोल रहा हूं। वरन् अपनी ओर से भी बोल रहा हूं और मेरा दावा है कि यदि अस्पृश्यों में जनमतसंग्रह कराया जाए, तो उनके मत मुझे मिलेंगे और मेरा स्थान शीर्ष पर होगा।

"यह समिति और सारी दुनिया समझ ले कि आज हिंदू सुधारकों की एक संस्था है, जो अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने का प्रण ले चुकी हैं हम नहीं चाहते हैं कि सरकारी कागजात पर तथा जनगणना में अस्पृश्यों का पृथक वर्ग दर्शाया जाए। सिख लोग जैसे हैं, निरंतर बने रहे, मुसलमान और यूरोपियन लोग भी। क्या अस्पृश्य भी निरंतर अस्पृश्य बने रहेंगे? मैं आगे और स्पष्ट कहूंगा कि अस्पृश्यता बनी रहने की अपेक्षा हिंदू धर्म का नामोनिशान मिट जाना बेहतर होगा। अतः डॉक्टर अम्बेडकर की आकांक्षा है कि अस्पृश्यों की उन्नति होने के लिए सम्मान प्रदर्शन करते हुए मैं उनकी भावना और योग्यता का सम्मान करता हूं परंतु यहां मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि उन्होंने गलत दिशा में सिर खपाया है। उन्हें जो कटु अनुभव हुए हैं, शायद उसी की छाप उनके निर्णय पर हैं इससे मुझे यह कहते हुए दुख होता हैं यदि इस विषय पर मैं चुप्पी साध लूंगा, तो मैं उनके हितों के प्रति वफादार नहीं होऊंगा जो मुझे जी जान से प्यारे हैं। मैं उनके अधिकारों को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा, चाहे उसके बदले मुझे सारे विश्व का साम्राज्य ही क्यों न

मिल जाए? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं और कहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर जो दावा पेश करते हैं, जैसे कि वह भारत के समस्त अस्पृश्यों की ओर से बोलते हैं, इससे हिंदू धर्म का विभाजन होगा, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। यदि अस्पृश्य इस्लाम अथवा ईसाइयत ग्रहण करना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बर्दाश्त करूंगा कि हिंदू धर्म गांव-गांव में दो भागों में विभाजित हो जाए। जो अस्पृश्यों के राजनैतिक अधिकारों के हितों की बात करते हैं, वे भारत को नहीं जानते कि भारत का समाज किस प्रकार बना है। इसलिए मैं पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चाहे मैं अकेला भी रह जाऊं, मैं अंतिम सांस तक इसका विरोध करूंगा।"

चेयरमैन ने, यह जानकर कि उसमें कोई सर्वमान्य समझौता नहीं हो पाया है, अल्पसंख्यक समिति के अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के पहले, प्रतिनिधियों को परामर्श देते हुए कहा –

"क्या इस समिति के समस्त सदस्यगण सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए मुझसे लिखित अनुरोध करेगें और मेरे द्वारा किए गए फैसले को स्वीकार कर लेगें? मैं समझता हूं कि यह अच्छा प्रस्ताव है.........क्या सदस्यगण ऐसा अनुरोध करते हुए यह प्रण करेगें कि मैं किसी वर्ग या व्यक्ति से ऐसा नहीं चाहता हूं, चाहे वह अस्थायी ही हो और आप सभी लोग उस पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे? मैं अभी ऐसा नहीं चाहता, मैं कहता हूं कि क्या आप लोग इस विश्वास के साथ दिए गए फैसले को मानेगे और नये संविधान के अनुसार पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे और अपने नाम लिखकर देंगे? मैंने कई वर्गों से कम से कम कुछ व्यक्तियों से भी समय-समय पर कहा है, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इससे स्थिति में सरलता आएगी, परंतु उसे दरकिनार करते हुए उन बातों को न भूल जाएं, जो मैंने बैठक का आरंभ करते हुए कही थी कि संविधान निर्माण की अपेक्षा सरकार को सांप्रदायिक मतभेदों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।"

V

इस प्रकार अल्पसंख्यक समिति द्वारा सांप्रदायिक समस्या का हल ढूंढ निकालने के समस्त प्रयत्नों पर पानी फिर गया। समिति में बहस के कारण श्री गांधी का ध्यान अस्पृश्यों की ओर गया। प्रत्येक ने अनुभव किया कि श्री गांधी अस्पृश्यों के कट्टर शत्रु हैं। अस्पृश्यों के प्रश्न पर श्री गांधी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अपना सारा ध्यान केंद्रीत कर दिया, जैसे कि श्री गांधी का गोलमेज सम्मेलन में जाने का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों की मांगों की काट करना ही रहा हो। जो श्री गांधी के मित्र थे वे भी अस्पृश्यों की मांगों के प्रति श्री गांधी का वास्तविक रूप देखकर सकते में पड़ गए। मुसलमानों तथा सिखों की मांग पर श्री गांधी की सहमति तथा अस्पृश्यों की मांग को नकार देना उनके लिए बड़े अचरज की बात थी। उन्होंने इस विषय पर जो कुछ स्पष्टीकरण मांगे श्री गांधी उनका विरोध करने का कोई तार्किक उत्तर नहीं दे सके। गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी का तर्क यहीं था कि हिंदुओं ने अस्पृश्यों के उद्धार का कार्य गंभीरता से लिया है और इसलिए उन्हें राजनैतिक संरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं। गोलमेज सम्मेलन के बाहर श्री गांधी ने इसके विपरीत हो कारण प्रस्तुत किया था वह इस प्रकार है – श्री गांधी ने अपने पक्ष में कहा –

"मुसलमान और सिख भली भांति संगठित हैं, परंतु अस्पृश्य नहीं। उनमें राजनैतिक चेतना बहुत कम है। वे काफी सताए हुए और भयाक्रांत है, उनके प्रति भीषण दुर्व्यवहार हुआ है। मैं उन्हें भय से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। यदि उनके लिए पृथक मतदान की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो गांवों में उनकी दशा बहुत दयनीय हो जाएगी। वहां कट्टर हिंदुओं का ही प्रभुत्व हैं वहां हिंदुओं का ही उच्च वर्ग है, जिन्होंने युगों से अस्पृश्यों की उपेक्षा का पश्चाताप करना है। यह पश्चाताप उनका सामाजिक सुधार तथा उनकी सेवा करके ही किया जा सकता है, उनके लिए पृथक निर्वाचन मांग कर नहीं। पृथक मतदान से उनके और हिंदुओं के बीच झगड़े खड़े होंगे और उन्हें हिंदुओं से अलगकर देंगे। आपको समझ लेना चाहिए कि मैं सिखों और मुसलमानों के विशेष प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को सहन कर सकता हूं, मुझे विश्वास है कि अस्पृश्यों के लिए यह गंभीर खतरे की बात होगी। मुझे विश्वास है कि अस्पृश्यों के लिए यह गंभीर खतरे की बात होगी। मुझे विश्वास है कि अस्पृश्यों के लिए पृथक मतदान वर्तमान सरकार की ताजा तरकीब है। केवल इस बात की आवश्यकता है कि मतदान सूची में उनके नाम होने चाहिए और संविधान में उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाएं। ऐसे मामलों में जहां उनके साथ अनुचित व्यवहार किए जाए और उनके प्रतिनिधि को जानबूझकर बाहर कर दिया जाए, तो उन्हें विशेष चुनाव पंचाट का अधिकार हो कि चुने गए अभ्यर्थी को हटा कर उस व्यक्ति को सीट देने का अवसर दें, जो हार गया था। पृथक मतदान से वे सदा के लिए अलग हो जाएंगे। मुसलमान सदा मुसलमान रहेगा। क्या आप अस्पृश्यों को सदा के लिए अस्पृश्य ही बनाए रखना चाहते हैं? पृथक मतदान इस बात की है कि अस्पृश्यता समाप्त की जाए और जब आप इतना कर लेंगे, तब जो पृथकता का भाव उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग पर लादा गया है, समाप्त हो जाएगा। जब आप पृथकता के भेद को नष्ट कर देंगे, तब आप किसे पृथक निर्वाचन देंगे? आप यूरोप के इतिहास पर दृष्टिपात करे। क्या आपने श्रमिक वर्ग अथवा वहां की महिलाओं को पृथक मतदान अधिकार दिया था? आप अछूतों को वयस्क मताधिकार देकर उन्हें संरक्षण प्रदान करे। यहां तक कि दंभी हिंदू भी उनसे वोट मांगने जाएंगे।''

"तब आप पूछेंगे कि क्या डॉ. अम्बेडकर तब भी उनके प्रतिनिधि के रूप में पृथक मतदान अधिकार की मांग करेंगे? मैं डॉ॰ अम्बेडकर की बड़ी इज्जत

करता हूं। उन्हें क्षुब्ध होने का पूरा अधिकार हैं यह स्वयं उनके धैर्य की बात है कि वे हमारा सिर नहीं तोड़ सकते। वह आजकल इतने अधिक अविश्वास और शंका से भरे हुए हैं कि उन्हें उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुझता। उन्हें प्रत्येक हिंदू अस्पृश्यों का पक्का शत्रु नजर आता है और यह स्वाभाविक है। आरंभ में दक्षिणी अद्धीका में मेरे साथ भी यही स्थिति थी। मैं जहां कहीं जाता यूरोपियन लोगों द्वारा सताया जाता। यह डॉ॰ अम्बेडकर के लिए स्वाभाविक है कि उनके खून में उबाल आ जाए, परंतु उन्होंने जो पृथक मतदान की मांग की है, उससे समाज सुधार नहीं होगा, भले ही वे सत्ता और अपनी हैसियत बढ़ा लें। परंतु इससे अस्पृश्यों का कोई हित नहीं होगा। मैं साधिकार यह कह सकता हूं, क्योंकि मैं उन अस्पृश्यों के साथ रहा हूं और वर्षों तक उनके सुख-दुख में हिस्सेदार रहा हूं।"

गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी केवल प्रचार से संतुष्ट न थे। जब उन्होंने देखा कि प्रचार करने से भी कोई आशातीत सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो वे षड़्यंत्र पर उतर आए। जब श्री गांधी ने सुना कि प्रधानमंत्री की राय के अनुसार अल्पसंख्यक समझौता प्रस्तुत होने वाला है और उस समझौते से अस्पृश्यों को सभी अन्य अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलने वाला है, विशेषकर मुसलमानों के समर्थन से तो श्री गांधी परेशान हो गए, तो उन्होंने अस्पृश्यों को अलग-थलग करने के लिए नया पासा फेंका। इसके लिए श्री गांधी ने मुसलमानों की 14 मांगे मान ली और उन्हें अस्पृश्यों से अलग करने की योजना बनाई यद्यपि वे ऐसा करने के लिए पहले सहमत नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान अस्पृश्यों को समर्थन दे रहे हैं, तब श्री गांधी ने उनकी 14 सूत्रीय मांग इस सौदेबाजी के साथ मानने के प्रति सहमति प्रकट की कि वे अस्पृश्यों को समर्थन न दें। जो सुलहनामा तैयार किया गया वह इस प्रकार था –

गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी केवल प्रचार से संतुष्ट न थे। जब उन्होंने देखा कि प्रचार करने से भी कोई आशातीत सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो वे षड़यंत्र पर उतर आए। जब श्री गांधी ने सुना कि प्रधानमंत्री की राय के अनुसार अल्पसंख्यक समझौता प्रस्तुत होने वाला है और उस समझौते से अस्पृश्यों को सभी अन्य अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलने वाला है, विशेषकर मुसलमानों के समर्थन से तो श्री गांधी परेशान हो गए, तो उन्होंने अस्पृश्यों को अलग-थलग करने के लिए नया पासा फेंका। इसके लिए श्री गांधी ने मुसलमानों की 1 मांगे मान ली और उन्हें अस्पृश्यों से अलग करने की योजना बनाई यद्यपि वे ऐसा करने के लिए पहले सहमत नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान अस्पृश्यों को समर्थन दे रहे हैं, तब श्री गांधी ने उनकी 1 सूत्रीय मांग इस सौदेबाजी के साथ मानने के प्रति सहमति प्रकट की कि वे अस्पृश्यों को समर्थन न दें।

गांधी मुस्लिम समझौते का प्रारूप गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधि

टेलीफोन : विक्टोरिया – 2360
तार : कोर्ट लाइफ – लंदन

क्वीन्स हाउस
57-सेंटजेम्स कोर्ट
बकिंघम गेट लंदन,
एस.डब्ल्यू 1
6 अक्तूबर, 1931

श्री गांधी तथा मुस्लिम प्रतिनिधियों की कल रात 10 बजे जिन प्रस्तावों पर बहस हुई थी, वे दो भागों में विभाजित हैं– अपने हितों की सुरक्षा के लिए मुसलमानों ने जो प्रस्ताव रखे तथा श्री गांधी ने कांग्रेस की नीति के संबंध में जो प्रस्ताव रखे। उन दोनों प्रस्तावों पर श्री गांधी ने स्वीकृति प्रदान की और वे मुस्लिम प्रतिनिधि-मंडल के सामने विचारार्थ रखे गए –

मुस्लिम प्रस्ताव

1. पंजाब और बंगाल में मुसमलमानों की संख्या 1 प्रतिशत अधिक है। परंतु यह प्रश्न मुसलमानों पर छोड़ दिया जाए कि नया संविधान लागू होने से पहले सदन में सदस्य संख्या का 51 प्रतिशत संरक्षण मुसलमानों को संयुक्त मतदान के द्वारा दिया जाए या नहीं।
2. दूसरे प्रांतों में जहां पर मुसलमान अल्पमत में हैं वर्तमान अनुपात जारी रहें, परन्तु सीटें संयुक्त मतदान के अधीन सुरक्षित रहें अथवा पृथक पृथक मतदान के, इस पर मुस्लिम मतदाता संविधान के अंतर्गत जनमतसंग्रह द्वारा निर्णय करें और उनका निर्णय स्वीकार किया जाए।
3. यह कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में अग्रेंजी राज के प्रतिनिधियों की कुल संख्या का 26

प्रतिशत मुसलमान प्रतिनिधियों का होना चाहिए और 7 प्रतिशत कम से कम मुसलमान होने चाहिए। यह उस कोर्ट में से होना चाहिए जो भारतीय राज्यों को आवंटित किया जाये अर्थात् पूरे सदन का एक तिहाई प्रतिनिधित्व मुसलमानों को मिलना चाहिए।

4. यह कि अवशिष्ट अधिकार अंग्रेजी राज की प्रांतीय सरकारों में अंतर्निहित होने चाहिए।
5. यह कि निम्नांकित विषयों पर भी सहमति हुई थी–

   (I) सिंध[1], (II) उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत[2] (III) सेवाएं[3], (IV) मंत्रिमंडल[4] (V) मौकिक अधिकार तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों में संरक्षण। (vi) किसी भी संपद्राय के विरूद्ध कानून बनाने पर सुरक्षात्मक उपाय।

श्री गांधी का प्रस्ताव

1. यह कि मतदान अधिकार पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए।
2. वहां पर सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त किसी को सरंक्षण नहीं होगा।
3. कांग्रेस मांग करती है कि–

   (I) पूर्ण स्वतंत्रता, (II) सेना पर तुरंत एवं पूर्ण नियंत्रण, (III) विदेशी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण, (IV) वित्त पर पूर्ण नियंत्रण, (V) किसी स्वतंत्र अधिकार द्वारा सार्वजनिक ऋणों (डैट्स) और दायित्यों की जांच करना। (vi) हिस्सेदारी के विषय में दोनों पक्षों को निरस्ति का अधिकार।

यह सत्य है कि इस समझौते के प्रारूप में अस्पृश्यों का कही भी उल्लेख नहीं किया गया। परंतु मुसलमान-सिखों के अतिरिक्त किसी अन्य समुदाय को समर्थन न देने के लिए बचनबद्ध थे- इस बात से साफ स्पष्ट है कि वे अस्पृश्यों को कोई समर्थन नहीं देना चाहते थे। इस षड्यंत्र में श्री गांधी ने मुंह की खाई जो स्वाभाविक था। मुसलमान, जो अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे, अपने वायदे पर नहीं टिक सके और अस्पृश्यों की मांगों के विरोध पर चुप लगा गए और उसका विरोध नहीं किया। श्री गांधी अस्पृश्यों को दबाने की धुन में इतना बोखलाए कि भले बुरे का भेद ही नहीं कर सके। श्री गांधी अपने शब्दों पर टिके नहीं रहे। अल्पसंख्यक समिति में श्री गांधी ने कहा था कि यदि समिति अस्पृश्यों के पृथक मतदान की मांग पर सहमत होती है, तो उसे इसका अधिकार हैं उसका अर्थ था बहुमत के फैसले को मानना। परंतु जब उन्हें मालूम हुआ कि दूसरे अल्पसंख्यक अस्पृश्यों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, तब श्री गांधी का मुसलमानों के पास आकर उनकी चौदह सूत्रीय मांग बेहिचक स्वीकार कर ले, जिन्हें कांग्रेस हिंदू महासभा, यहां तक कि साइमन कमीशन भी अस्वीकर कर चुका था। श्री गांधी ने लोकमत की भी अनदेखी कर दी। नैतिकता का जुलुस निकाल दिया। पर उनकी शैतानी चाल भी न चल पाई, क्योंकि मुसलमानों ने उनको मझधार में छोड़ दिया। जब गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र का अवसान हो गया, तब अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को अधिकृत किया गया था कि वह पंच के तौर पर सांप्रदायिक समस्या पर निर्णय दें। इस बात को अल्पसंख्यकों ने भी मान लिया था। श्री गांधी सहित बहुत से प्रतिनिधियों ने भी यह लिखित रूप में दिया था। प्रतिनिधियों को अब कुछ करना ही नहीं था और भारत आकर प्रधानमंत्री के निर्णय की प्रतीक्षा करनी थी जिसके लिए उन्हें खुशी खुशी पंच बनाया गया था।

IV

इसके पहले कि इस विषय में कुछ कहूं, प्रधानमंत्री ने क्या फैसला दिया, मैंने मताधिकार समिति के सदस्य की हैसियत से, जो अजीब हालत देखी, मैं उसको बताना चाहता हूं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद, प्रधानमंत्री ने नए संविधान में मताधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति द्वारा जांच-पड़ताल कराने की सलाह दी। तदनुसार दिसंबर 1931 में लार्ड लोथियन के सभापतित्व में एक कमेटी नियुक्ति की गई। इसका उद्देश्य था, मताधिकार की व्यवस्था के लिए सुझाव देना। इस विषय में प्रधानमंत्री ने, जो पत्र लिखा था, उसकी भाषा इस प्रकार थी –

"विधायकों में जिन्हें उत्तरदायित्व दिया जाने वाला है, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और किसी समाज के किसी भी महत्वपूर्ण वर्ग के लिए अपनी आवश्यकताओं और विचारों को व्यक्त करने के साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए।"

समिति ने जनवरी 1932 में अपना कार्य आरंभ किया। अपना काम निपटाने के लिए उसने प्रांतीय सरकारों का सहयोग लिया और सभी प्रांतों में इस काम के लिए प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय मताधिकार समितियां तथा व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर भेजे। प्रत्येक प्रांतीय मताधिकार समिति ने साक्ष्यों की जांच की। प्रांतीय सरकारों तथा प्रांतीय समितियों ने केंद्रीय समिति को अपनी अलग-अलग रिपोर्ट भेजी। केंद्रीय समिति ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उन प्रांतीय समितियों तथा प्रांतीय मताधिकार समितियों से उन रिपोर्टो पर विचार विमर्श किया। लोथियन समिति को दिए गए सामान्य कार्य के अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने एक मुख्य कार्य भी उसको सौंपा था, जो अस्पृश्यों की राजनैतिक मांगों के संबंध में था। प्रधानमंत्री ने कमेटी के अध्यक्ष को अपने पत्र में, जो निर्देश दिए थे, वे इस प्रकार थे–

"गोलमेज सम्मेलन की विभिन्न

बैठकों में हुए विचार-विमर्श से स्पष्ट है कि नए संविधान में दलित वर्गो के प्रतिनिधित्व की समुचित व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। नामजदगी द्वारा किए जाने वाले प्रतिनिधित्व के तरीके को अब उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आपको विदित है, दलित वर्गों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था के प्रश्न पर मतभेद है और आप की समिति इस प्रश्न को हल करने के लिए इसकी जांच-पड़ताल करें कि दलित वर्गों के लिए ऐसा करना कहां तक उचित रहेगा और जनसाधारण के मताधिकार सुरक्षित रह सके। दूसरी बात यह है कि दलित वर्गों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था पर अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जाए कि जिन प्रांतों में जनसंख्या के अनुसार उनका पृथक अस्तित्व है, आपकी समिति मताधिकार की समस्या पर गंभीरता से विचार करे, जिससे सभी तथ्यों को सम्मिलित करके दलित वर्गों के पृथक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का हल ढूंढने में सुविधा हो।"

इन निर्देशों का पालन करने से अंग्रेजी राज में समिति के सामने अस्पृश्यों की समस्त जनसंख्या के लिए हल ढूंढ निकालने का भारी काम था।

अस्पृश्यों की कितनी जनसंख्या है, इस प्रश्न के उत्तर चौंकाने वाले थे। जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उनके अनुसार प्रांतों में अस्पृश्यों की जनसंख्या बहुत कम है। ऐसे साक्ष्यों की भी कमी नहीं थी, जिनके अनुसार अस्पृश्य बिल्कुल नहीं हैं। यह विचित्र स्थिति थी कि हिंदू साक्ष्य अस्पृश्यों के अस्तित्व को बिल्कुल अस्वीकार करते अथवा उनकी संख्या नगण्य बता कर सच्चाई पर पर्दा डाल रहे थे। इस षड्यंत्र में प्रांतीय मताधिकार समिति के सदस्य भी शामिल थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि लोथियन समिति के हिन्दू सदस्य भी इस कुचक्र में शामिल थे। अस्पृश्यों के अस्तित्व को अस्वीकार करना अथवा उनकी संख्या नगण्य बताने के प्रयास तो कुछ प्रांतों पर बुलंदियों पर थे। हिन्दू उनको पूरी तरह कैसे छिपा रहे थे, यह बात अस्पृश्यों की समस्या पर निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होती है। वर्ष 1931 में उत्तरप्रदेश में जनगणना आयुक्त के अनुमान के अनुसार अस्पृश्यों की जनसंख्या 01 करोड़ 26 लाख थी; प्रांतीय सरकार के अनुसार 68 लाख थी, जबकि मताधिकार समिति ने केवल 6 लाख ही बताई थी। बंगाल में जनगणना के अनुसार संख्या 01 करोड़ 3 लाख, प्रांतीय सरकार के अनुसार 01 करोड़ 12 लाख तथा प्रांतीय मताधिकार कमेटी के अनुसार केवल 07 लाख थी।

गोलमेज सम्मेलन से पूर्व किसी भी हिंदू ने अस्पृश्यों की सही जनसंख्या जानने की कोशिश नहीं की। वे जनगणना के आंकड़ों से संतुष्ट थे, जिनमें अस्पृश्यों की संख्या 7 से 8 करोड़ बतलाई गई थी। जब लोथियन समिति ने इस प्रश्न पर विचार करना आरंभ किया, तब हिंदुओं ने जनसंख्या के उन आंकड़ों को अचानक उस समय चुनौती क्यों दी? उत्तर बहुत स्पष्ट है। लोथियन समिति से पहले अस्पृश्यों की जनसंख्या को कोई महत्व नहीं दिया गया था, परंतु गोलमेज सम्मेलन के बाद जब हिंदूओं की आंखे खुली कि अस्पृश्य अपना अलग प्रतिनिधि मांग रहे हैं, जिन्हें अब तक हिंदू दबाए बैठे हुए थे, जिनका उपभोग सवर्ण हिंदू बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तब हिंदूओं ने समझा कि अस्पृश्यों के अस्तित्व को स्वीकार करना सवर्ण हिंदुओं के हितों के आड़े आएगा। उन्होंने मर्यादा और सत्य का गला घोंटने में कोई कसर नहीं उठायी और भारत में अस्पृश्यों को नकारने का सरल उपाय खोज लिया। तब उन्होंने निश्चय किया कि अस्पृश्यों की राजनीतिक मांगों को नकारा जाए तथा किसी भी प्रकार के तर्क की गुंजाइश न छोड़ी जाए। यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदू कितना षड्यंत्र रच सकते हैं और वह उल्लू सीधा करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अस्पृश्यों के विरूद्ध सुनियोजित ढंग से क्या-क्या कर सकते हैं।■

अस्पृश्यों की कितनी जनसंख्या है, इस प्रश्न के उत्तर चौंकाने वाले थे। जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उनके अनुसार प्रांतों में अस्पृश्यों की जनसंख्या बहुत कम है। ऐसे साक्ष्यों की भी कमी नहीं थी, जिनके अनुसार अस्पृश्य बिल्कुल नहीं हैं। यह विचित्र स्थिति थी कि हिंदू साक्ष्य अस्पृश्यों के अस्तित्व को बिल्कुल अस्वीकार करते अथवा उनकी संख्या नगण्य बता कर सच्चाई पर पर्दा डाल रहे थे। इस षड्यंत्र में प्रांतीय मताधिकार समिति के सदस्य भी शामिल थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि लोथियन समिति के हिन्दू सदस्य भी इस कुचक्र में शामिल थे। अस्पृश्यों के अस्तित्व को अस्वीकार करना अथवा उनकी संख्या नगण्य बताने के प्रयास तो कुछ प्रांतों पर बुलंदियों पर थे।

सत्यमेव जयते

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

बाबासाहेब बीसवीं शताब्दी के एक महान राष्ट्रीय नेता थे। वे बुद्धिजीवी, विद्वान तथा राजनीतिज्ञ थे। देश के निर्माण में उनका महान योगदान है। उन्होंने दलितों व शोषितों को अन्य लोगों के समान ही कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया और समाज के दलित वर्ग के लाखों लोगों को उनके मानवाधिकार दिलाए। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी। वे सामाजिक न्याय के संघर्ष के प्रतीक हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अमल में लाने के लिए की गई थी।

प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश में लोगों के बीच बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना तथा उसके प्रचार के लिए कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को लागू करना है। प्रतिष्ठान को भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान् चिह्नित किए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रबंधन, प्रशासन तथा उन्हें आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है।

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं :-

- **डॉ. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस/जन्म दिवस के अनुपालन/ समारोह :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को और महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को संसद भवन के उद्यान में समारोहपूर्वक मनाया जाता है। इस गरिमापूर्ण दिवस पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्र की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साधारणतया समारोह में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं अन्य उच्च पदाधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में साधारण जन भी बाबासाहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

- **विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डॉ. अम्बेडकर पीठ :**

इस योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य विद्वानों, विद्यार्थियों तथा अकादमियों को सभी प्रकार से सुसज्जित अध्ययन केन्द्र उपलब्ध कराना है, जिससे वे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के विचारों एवं आदर्शों को समझने, उनका मूल्यांकन करने तथा उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक उच्च अध्ययन एवं शोध कार्य कर सकें। अब तक कुल दस अम्बेडकर पीठ विभिन्न महत्त्व वाले क्षेत्रों जैसे विधिक अध्ययन, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सामाजिक नीति एवं सामाजिक कार्य, समाज कार्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव-विज्ञान, दलित आन्दोलन एवं इतिहास, अम्बेडकरवाद एवं सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय में स्थापित किए जा चुके हैं।

- **डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना**

यह योजना मूलरूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 1,00,000/- से कम हो और उसे गम्भीर बीमारियों जैसे

किडनी, दिल, यकृत, कैंसर, घुटना और रीढ़ की सर्जरी सहित कोई अन्य खतरनाक बीमारी हो, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत हो।

संशोधित योजना-2014 के अनुसार, आवेदन पत्र को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की सत्यापित प्रतियों और संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित अनुमानित लागत प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ जमा करना पड़ता है। आवेदन पत्र का अनुमोदन और अग्रसारण डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की आमसभा के सदस्यों या स्थानीय वर्तमान सांसद (लोकसभा या राज्यसभा) या संबंधित जिला के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, आयुक्त द्वारा या संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा किया जाता है। इलाज के लिए अनुमानित लागत का 100 प्रतिशत सर्जरी से पहले ही सीधे संबंधित अस्पतालों को एक किस्त में जारी कर दिया जाता है। विभिन्न बीमारियों के लिए अधिकतम राशि को निश्चित कर दिया गया है जैसे हृदय शल्य चिकित्सा के लिए रुपये 1.25 लाख, किडनी सर्जरी/डाइलिसिस के लिए रुपये 3.50 लाख, कैंसर सर्जरी/कीमोथिरेपी/रेडियोथिरेपी के लिए रुपये 1.75 लाख, मस्तिष्क सर्जरी के लिए रुपये 1.50 लाख, किडनी/अंग प्रत्यारोपण के लिए रुपये 3.50 लाख, रीढ़ की सर्जरी हेतु रुपये 1.00 लाख और अन्य जीवन घातक बीमारियों के लिए रुपये 1.00 लाख। अस्पताल को यह भुगतान चेक या डिमांड ड्रा ट द्वारा किया जाता है।

- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक (दसवीं कक्षा) परीक्षा हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय यो यता पुरस्कार योजना**

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित योग्य विद्यार्थियों को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देश में प्रत्येक बोर्ड के लिए चार पुरस्कार निर्धारित हैं। तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 60,000/-, रु. 50,000/- और रु. 40,000/- प्रदान किए जाते हैं। यदि इन तीन विद्यार्थियों में से कोई लड़की नहीं होती है, तो इसके अतिरिक्त सर्वाधिक अंक पाने वाली लड़की को रु. 40,000/- का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, प्रत्येक के लिए, 10,000/- एकमुश्त राशि की 250 विशेष योग्यता पुरस्कारों की परिकल्पना भी की गई है, जो उन छात्रों को प्रदान किए जाते हैं जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के बाद सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं।

- **उच्च माध्यमिक परीक्षाओं (12वीं कक्षा) में अनुसूचित जाति से संबद्ध यो य विद्यार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय यो यता पुरस्कार योजना :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने 2007-08 के दौरान् कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को योग्यता पुरस्कार प्रदान करने की योजना तैयार की। पुरस्कार में, किसी भी शैक्षणिक बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित 12वीं स्तर की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः चार वर्गों अर्थात् कला, विज्ञान (गणित के साथ), विज्ञान (जीव विज्ञान और या गणित के साथ) तथा वाणिज्य में रु. 60,000/-, रु. 50,000/- तथा रु. 40,000/- के प्रदान किए जाते हैं। योग्यता श्रेणी के प्रथम तीन स्थानों के बाद प्रत्येक वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली अगली तीन लड़कियों को प्रत्येक को रु. 20,000/- की दर से विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक बोर्ड के लिए कुल 12 पुरस्कार होते हैं।

- **अनुसूचित जाति के अत्याचार-पीड़ितों हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना**

इस योजना की प्रकृति आकस्मिक व्यवस्था के तौर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत अपेक्षाकृत जघन्य अपराधों के पीड़ितों को तात्कालिक

मौद्रिक सहायता प्रदान करने की है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता राशि सीधे पीड़ित या उसके पारिवारिक सदस्यों या आश्रितों को प्रतिष्ठान द्वारा तब प्रदान की जाती है, जबकि उपर्युक्त अधिनियम के तहत अपराध की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा इस संबंध में सूचित कर दिया जाता है। परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या/मृत्यु पर रु. 5.00 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, गैर कमाऊ सदस्य की मृत्यु/हत्या पर सहायता राशि रु. 2.00 लाख, कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 3.00 लाख, गैर कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 1.50 लाख तथा बलात्कार के लिए सहायता राशि रु. 2.00 लाख है तथा ऐसी आगजनी, जिससे कोई परिवार पूर्णत: बेघर हो जाए तो सहायता राशि रु. 3.00 लाख निर्धारित की गई है।

- **डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना**

प्रतिष्ठान की इस वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा मूलभूत सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर डॉ. अम्बेडकर के विचारों के प्रति उनकी रुचि को जगाना है। यह प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त स्कूलों (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अर्थात् 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक)/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु है। विद्यालयों से प्राप्त हिन्दी और अंग्रेजी में सबसे अच्छे तीन निबंधों के लिए पुरस्कार की राशि रु. 10,000 से रु. 25,000 तक है और महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए यह राशि रु. 25,000 से रु. 1,00,000 तक है।

- **महान संतों के जन्म दिवस/पुण्य तिथि समारोह हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/ गैर सरकारी संगठनों को, महान संतों जैसे- संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, चोखामेला, नंदनार, नारायणा गुरु, नामदेव, भगवान बुद्ध, महर्षि बाल्मीकि, महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले आदि का जन्म दिवस समारोह मनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए अधिकतम अनुदान राशि रुपये 5.00 लाख तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए रुपये 2.00 लाख की राशि निर्धारित की गई है। इस वर्ष से इस योजना के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर की जयंती/महापरिनिर्वाण के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

- **सामाजिक परिवर्तन हेतु डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार**

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा भारत और मानवीय परिवार के प्रति की गई वृहद् विलक्षण सेवाओं के पुण्य स्मरण में इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यह पुरस्कार असमानता, अन्याय और शोषण के कारणों के विरुद्ध सख्ती से मामले उठाने और सुलझाने के उदाहरणीय योगदान तथा सामाजिक समूहों के बीच सामंजस्य, सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक सौहार्द और मानवीय गरिमा के आदर्शों की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति(यों) या समूह(ों) को प्रदान किया जाता है।

प्रति वर्ष एक पुरस्कार, जिसमें रु. 15.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

- **कमजोर वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक समझ हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार**

इस राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और इस पुरस्कार हेतु चयन किसी प्रकाशित पुस्तक या फिर जन आंदोलन के आधार पर होता है, जिसने समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। प्रति वर्ष एक पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें रु. 10.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

- **अंतर्जातीय विवाहों के द्वारा सामाजिक एकता हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना का उद्देश्य, अंतर्जातीय विवाह जैसे सामाजिक रूप से साहसिक कदम उठाने वाले, नए विवाहित दम्पति को उनके वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर को सही ढंग से चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। विधिसम्मत अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन हेतु राशि रु. 2.50 लाख प्रति विवाह है। योग्य दम्पति को प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत उनके संयुक्त नाम के डिमांड ड्रा ट द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उनके संयुक्त नाम में पांच वर्ष की अवरुद्धता अवधि के साथ सावधि जमा में रखा जाता है।

- **सामाजिक न्याय संदेश**

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का प्रकाशन दिसम्बर 2002 से हो रहा है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के 'संदेश' को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन तथा फाउन्डेशन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम बखूबी कर रहा है। इसकी एक प्रति का मूल्य रु. 10/- है। एक वर्ष के लिए चंदे की दर रु. 100/-, दो वर्ष के लिए रु. 180/- और तीन वर्ष के लिए रु. 250/- है। सामाजिक न्याय संदेश प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी उपलब्ध है।

- **डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र**

''डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र'' राष्ट्रीय महत्त्व के एक विश्व स्तरीय बहुआयामी अध्ययन के प्रति समर्पित होगा। यह केन्द्र जनपथ और डॉ. आर.पी. रोड के प्रतिच्छेदन पर एक महत्त्वपूर्ण अवस्थिति पर 3.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जो लुटियन दिल्ली की महत्त्वपूर्ण इमारतों से घिरा होगा। केन्द्र की मुख्य सुविधाओं में शोध एवं प्रसार केन्द्र, मीडिया सह इंटरप्रेटेशन केन्द्र, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, सम्मेलन केन्द्र और प्रशासनिक स्कंध शामिल होंगे।

- **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक**

डॉ. अम्बेडकर ने 6 दिसंबर, 1956 को अपने निवास 26, अलीपुर रोड, दिल्ली में अंतिम सांसें ली थीं। इस स्थल को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में पवित्र माना जाता है और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 2 दिसंबर, 2002 को डॉ. अम्बेडकर के जीवन और लक्ष्यों पर फोटो गैलरी की स्थापना कर सरकार ने इसी जगह एक अच्छी तरह अभिकल्पित और पूर्ण रूप से विकसित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की।

- **बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्य (सी.ड ल्यू.बी.ए.) परियोजना**

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित बाबासाहेब अम्बेडकर के संकलित कार्यों के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा हिन्दी एवं 8 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं-मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, उर्दू एवं गुजराती में करवाया जा रहा है। हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 360 खंडों (प्रत्येक भाषा के 40 खंड) में से 197 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। शेष के 163 खंड अभी मुद्रण और अनुवाद की प्रक्रिया में हैं।

प्रतिष्ठान ने बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्यों के खंडों को अंग्रेजी में भी पुनः प्रकाशित किया है तथा अंग्रेजी के 10 खण्डों का प्रकाशन ब्रेल लिपि में किया है। शेष खंड ब्रेल लिप्यंतरण की प्रक्रिया में हैं।■

कैसे बने हिन्दी ललाट की बिंदी

■ डॉ. पूरन सहगल

भारत एक ऐसा देश है जहां हर बारह कोस पर बोली बदल जाती है। 'भेष' बदल जाती है। उच्चारण का लहजा बदल जाता है। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है अपितु सांस्कृतिक विकास और विस्तार का भी माध्यम है। समाज के बड़े से बड़े परिवर्तन भाषा के माध्यम से हुए हैं। हिंदी जिसे संविधान में 'राजभाषा' स्वीकारा गया है तथा जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते नहीं अघाते हमारे ही बीच अजानी और पराई लगती हैं। हमने ''निज भाषा'' या ''निज भाखा'' को संस्कृत निष्ट बनाने के मोह में जन सामान्य से दूर करने की जो भूल की है उसका प्रायश्चित हम कर पाते हैं या नहीं यह हमारे खुले मन पर निर्भर करता है।

लोक तक किसी भाषा को पहुंचाने के लिए उसे लोक से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। श्रीराम को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हम संस्कृत के महान कवि बाल्मीकि को श्रेय नहीं दे सकते। यह सुकृत्य तो महात्मा तुलसीदास का है। उन्होंने अपने मानस की रचना लोकभाषा अवधि में की। वे संस्कृत के भी प्रकाण्ड पंडित थे। आज यदि पूरे विश्व में रामकथा को लोग जानते हैं तो लोक भाषा अवधि के कारण। मानव की चौपाइयां मंत्रों की तरह पूरी आस्था और निष्ठा के साथ पढ़ी जाती हैं। भले ही बाल्मीकि रामायण का कोई श्लोक किसी विद्वान पंडित को याद रहा हो किन्तु तुलसी के मानस की चौपाइयां सामान्यजन को भी याद है।

संस्कृत हमारी संस्कृति की प्रवक्ता है। उसके महत्व को हम कैसे नकार सकते हैं। हमें हिंदी को परिनिष्ठ करने के लिए संस्कृत सम्मत बनाना ही होगा। लेकिन यथा संभव हमें संस्कृत को तत्सम शब्दावली के बजाए तद्भव शब्दावली से ही हिंदी का शब्दकोश बढ़ाना चाहिए।

हिंदी का यह सौभाग्य ही है कि उसे 'देवनागरी' जैसी वैज्ञानिक लिपि प्राप्त है।

इतना तो सर्वमान्य सत्य है कि, देवनागरी ने अपना स्थान अपने ही बलबूते पर स्थापित किया है। इसकी सहजता, लिपि चिन्हों की सुस्पष्टता, इसका सुदर्शनय स्वरूप, इसकी पूर्णता और वैज्ञानिकता इसे विश्व में किसी भी लिपि से श्रेष्ठ सिद्ध करने में पर्याप्त है। देवनागरी लिपि की जो लिपिगत ध्वनि क्रमता है तथा प्रत्येक ध्वनि को प्रकट करने की उपलब्धता एवं क्षमता है वैसा गुण विश्व की किसी भी लिपि में नहीं है। जैसा उच्चारण हम सुनते हैं वैसा का वैसा कलम से लिपिबद्ध करने की सुविधा देवनागरी लिपि में है वैसी किसी अन्य लिपि में नहीं है। रोमन में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए सर विलियम जांस ने कहा है। ''देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। जबकि रोमन वर्णमाला बहुत ही अवैज्ञानिक तथा हास्यस्पद है।'' ऐसा कहते समय सर जांस के सामने रोमन के उच्चारण भ्रम के कई उदाहरण रहे होंगे।

रोमन के 26 वर्षों की सुविधा को कुछ अंग्रेजी प्रेमियों ने एक श्रेष्ठता की तरह कुप्रचारित किया है। तब वे यह भूल जाते हैं कि, यही वर्ण न्यूनता ही उसके उच्चारण दोषों का मुख्य कारण भी है। इसी कारण उसे अवैज्ञानिक एवं हास्यस्पद माना जाता है।

हिंदी को अपनी भाषायी क्षमता प्राप्त करने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ा है वह किसी भी भाषा शास्त्री अथवा हिंदी सृजनाकारों से छुपा नहीं है। उसके सुफल के रूप में आज हिंदी की जो भाषायी क्षमता है तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की अभिवृद्धि है उसका गौरव भी हमें होना चाहिए। हिंदी की यह शब्द संपदा हमारे निरंतर प्रयासों का सुफल है। वैज्ञानिकी और शब्दावली आयोग ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयोग ने ज्ञान की अनेक शाखाओं के लिए शब्दावली निर्माण हेतु अनेक कार्यशालाएं आयोजित की उसमें शीर्षस्थ विद्वानों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविदों, भाषाविदों और विषय विशेषज्ञों का पूरा-पूरा सहयोग लिया गया है।

हिंदी को जहां अंग्रेजी की वैज्ञानिकी एवं तकनीकी शब्दावली की दासता और विवशता से आयोग ने मुक्त करवाया वहीं इस लोक तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य हमारे संचार माध्यमों ने किया।

संचार माध्यमों ने हिंदी का स्वरूप जो जनसाधारण के लिए उपयुक्त था स्वीकार किया व हिंदी को लोकप्रिय बनाकर विश्व के श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचाने में सहयोग किया है।

आज हिंदी भारत के अतिरिक्त विश्व के लगभग 90 विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप या स्तर पर पढ़ाई जा रही हैं इसके पीछे यदि किसी का फलित संघर्ष है तो वह हमारे संचार माध्यमों का ही है।

भारत के बाहर अनेक देशों में तथा विशेष कर हिंदी मूल के निवासियों वाले देशों में हिंदी की अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। इतना ही नहीं भारत में प्रकाशित हिंदी की अनेक पत्र-पत्रिकाएं विदेशों में पूरे चाव से पढ़ी व समझी जा रही हैं मारीशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, बर्मा, आदि देशों के निवासियों में हिंदी का प्रचार-प्रसार श्रेष्ठतम स्तर पर हुआ है। इसके अलावा रूस, अमेरिका, इंगलैंड, हालैंड, रूमानिया, जापान, चीन, नेपाल और ढ़ाका (बांगलादेश) आदि देशों में भी हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं।

संचार माध्यमों के अतिरिक्त हमारे हिंदी कवियों और साहित्यकारों ने भी हिंदी को लोकप्रिय बनाने में बहुत सहयोग किया है।

अंग्रेजी की विश्व व्यापकता का भय बता कर हिंदी को डराने और उसकी गतिशीलता को बाधित करने का षडयंत्र कोई बाहरी देश नहीं कर रहा बल्कि भारत में अंग्रेजी मानसिकता के कुछ लोग ही कर रहे हैं। हिंदी की क्षमता का पता तो इसी बात से लग जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति वहां के छात्रों को सावधान करता हुआ कहता है। ''यदि तुम लोगों ने हिंदी नहीं सीखी तो यहां के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर एक दिन हिंदी भाषी कब्जा कर लेंगे।''

हिंदी को यदि खतरा है तो हिंदी वालों से। अन्य भाषाओं से नहीं। हम अन्य भाषाओं का सम्मान करना सीखे। उन्हें समझने का प्रयत्न करें तब निश्चित रूप से हिंदी को लोकप्रियता अहिंदी भाषी क्षेत्रों में बढ़ेगी। आज भी हिंदी भाषा के वंदनीय विद्वान दक्षिण भाषा क्षेत्रों में है। हिंदी ''राजभाषा'' का अपना गौरवशाली स्थान प्राप्त तभी कर पाएगी जब हम निष्ठापूर्वक उसे लोकप्रिय बनाने में प्रयत्नशील रहेंगे।

हिन्दी के विषय में एक धारणा हमारे बीच बनी हुई है कि इसका विरोध दक्षिण भारत में हैं। वहां के लोग हिन्दी नहीं सीखना चाहते। मैं कहता हूं क्यों सीखे? क्या हम उनकी भाषा सीखना चाहते हैं? इस प्रश्न पर हम मौन हो जाते है। हमने कभी दक्षिण भारत की संस्कृति या भाषा के बारे सोचा भी है? हम जब भी हिंदी की चर्चा करते हैं तब हम यह कहना नहीं भूलते कि हिंदी संस्कृत की सुपुत्री है। यही बात हम उर्दू के बारे में भी कहते आ रहे हैं कि, उर्दू, अरबी-फारसी की संतान है। जबकि हिन्दी या उर्दू दोनों ही स्वतंत्र भाषाएं हैं। उनका उद्‌गम लोक है। ये भाषा से पहले भाखा कही गई। उत्तर भारत की लगभग सभी बोलियों के शब्द इनमें शामिल रहे। बाद में उस भाखा को संस्कृत का संरक्षण मिला और उसे संस्कृत के तत्सम और तद्‌भव शब्दों से सम्पन्नता प्राप्त होती चली गई। आज जो हिंदी हमारे सामने है वह संस्कृत की जायी बेटी न होकर पोषित बेटी है। इसने भाखा से भाषा बनने में संस्कृत का पयपान किया। मधुर लोरियां सुनी। संस्कार लिए और आज हमारे सामने यह विश्ववन्धा के रूप में उपस्थित है। यही स्थिति उर्दू की भी बनी। उर्दू में संयोग से उसे तत्कालीन मुसलिम शासकों की राजभाषा बनने का अवसर मिला और वह अरबी, फारसी शब्दावली से सम्पन्न होती चली गई। उर्दू आज भी भारत की ही भाषा है। पाकिस्तान जैसे मुसलिम धर्म प्रधान मुल्क में भी उर्दू नहीं बोली जाती। पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी और पख्तूनी आंचल में पश्तो आदि भाषाएं ही बोली जाती हैं। उर्दू वहां शिक्षा का माध्यम भले ही हो, बोलचाल का माध्यम नहीं है। उर्दू का साहित्य अपना एक वैभवशाली स्थान रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं किन्तु उसे अरबी फारसी की संतान मानने के बजाए भारत की जनभाषा का विकसित रूप ही कहा जाना चाहिए। जैसे हमारे गांव का कोई लड़का शहर में जाकर हिन्दी या अंग्रेजी बोलने लगे तब उसे मूल गांव से व मूल भाषा से पराया कैसे कहा जा सकता है। उसे मूल से कैसे काटा जा सकता है?

उत्तर भारत में हिन्दी को अपना विस्तार करने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई किन्तु दक्षिणी राज्यों में अपना स्थान बनाने में हिन्दी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। यह सत्य है।

पिछले दिनों फरवरी, मार्च और अप्रैल 2010 में मुझे प्रत्येक माह के अधिकतर दिन तमिलनाडु के चेन्नई नगर में ''दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा'' में उनके पाठ्यक्रम निर्माण समिति के

एक सदस्य के रूप में काम करने का अवसर मिला। चेन्नई जाकर जब मैंने वहां के प्रचारकों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों में हिन्दी अध्ययन और अध्यापन के प्रति उमंग और उत्साह देखा। तब मीडिया द्वारा प्रचारित बहुत से भ्रम बर्फ के डले की तरह गल गए।

चेन्नई से पहले मैं तीन बार केरल के तिरुअनंतपुरम और एक बार कोच्चि भी एनसीईआरटी की कार्यशालाओं में जा चुका था। वहां तो हिन्दी के प्रति अगाध प्रेम मुझे दिखा था। मेरे एक हिन्दी गीत को एम.ए. के छात्रों ने केवल सुना समझा बल्कि गाया भी।

सन् 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा मद्रास में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना हुई। इस संस्था की सर्वप्रथम कक्षा गांधी जी के बेटे देवदास गांधी ने प्रारंभ की। स्वामी सत्यमेव परिवाजक का सहयोग इसमें लिया गया। उस सभा के जीवन पर्यंत अध्यक्ष गांधी जी रहे और उपाध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारि रहे।

अपने स्थापना काल से लेकर आज तक इस सभा ने बहुत संघर्ष किए और आज दक्षिण भारत में शीर्षस्थ स्थान पर यह संस्था प्रतिष्ठित है।

केरल में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के प्रचार केन्द्र चारों तरफ बनते गए। उनके प्रचारकों में वासुदेवन पिल्लै का नाम खूब आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने 'तिरुवितीकुर हिन्दी प्रचार सभा' नामक स्वतंत्र प्रचार संस्था स्थापित की। वह संस्था बाद में केरल हिंदी प्रचार सभा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे श्री एम. के. तेलायुधन नायर जी ने अपने अथक प्रयासों से स्कूल से कालेज स्तर पर स्थापित किया। केरल राज्य में हिंदी का प्रचार इतना जोरदार था कि ट्रावनकोर और कोचिन की राज्य (रियासत) सरकारों को भी हिन्दी का महत्व स्वीकारना पड़ा। बाद में स्कूली शिक्षा में इसे वैकल्पिक रूप से स्वीकारना पड़ा। बाद में स्कूली शिक्षा में इसे वैकल्पिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। फलस्वरूप हिन्दी के प्रति स्कूल व कॉलेज स्तर पर अतिरिक्त भाषा के रूप में स्वीकृत हो गई। आज केरल में हिंदी का स्थान अत्यंत गरिमामय है। जन सामान्य में भी हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित है। प्रयोजनमूलक हिन्दी को यहां बहुत बल प्राप्त हुआ हैं आज केरल के किसी भी नगर में हम हिन्दी के माध्यम से अपनी बात कह-सुन सकते हैं।

दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास की संघर्ष यात्रा बहुत लम्बी है। यह संस्था पूर्व में प्रयाग की हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार की स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने इसे सन् 1927 में स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत करवाया। सन् 1932 में इसका संचालन सर्व प्रकार से सुचारू रूप से होने लगा। सभी विभागों की उत्तरदायी समितियां बना दी गई। 1946 ई. में जब इस संस्था का रजत जयंती समारोह मनाया गया जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने तब कहा था ''मैं आज बहुत प्रसन्न हूं।'' उन्होंने घोषणा की कि, सभा बहुआयामी बने। इसकी चार प्रांतीय शाखाएं हैदराबाद, धारवाड़, त्रिच्ची और एरणाकुलम में स्थापित की गई। सभा का मुख्यालय मद्रास रखा गया।

गांधी जी के पश्चात डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष बने।

हिन्दी प्रचार-प्रसार का मिशन राष्ट्रीय भावना और एकता को समक्ष रखकर किया जाता रहा। सभा के संघर्षशील प्रयासों और उत्कृष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इसे सन् 1964 में भारत सरकार से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया। इससे इसे एक विश्वविद्यालय से भी उन्नत स्तरीय संस्था का स्तर प्राप्त हो गया। इसे यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह हिन्दी में सर्वोच्च अध्ययन-अध्यापन तथा अनुसंधान का कार्य कर सके।

4 अक्टूबर 1964 की सभा में किसी स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई। 16 नवम्बर 1964 को तत्कालीन माननीय लालबहादुर शास्त्री ने इस विभाग का विधिवत् उद्घाटन कर इसे एक गौरवशाली उपहार प्रदान किया। कालांतर में इस विभाग को उच्च शिक्षा और शोध संस्थान में परिवर्तित कर दिया गया।

बाद में इस सभा द्वारा हिन्दी भाषा शिक्षण के साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई और चारों राज्यों में शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन प्रारंभ कर दिया गया। 1984 ई. में शिक्षण प्रशिक्षण का प्रारंभ होने के बाद आज 31 महाविद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यरत हैं। इसी प्रकार 11 हिन्दी प्रचारक प्रशिक्षण, 9 स्नातक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तथा एलएलबी.ईडी प्रशिक्षण महाविद्यालय सभा द्वारा संचालित है। सभा द्वारा हिन्दी में शोध अनुसंधान संचालित है। भाषा विज्ञान, हिन्दी भाषा की संरचना, प्रयोजन मूलक तथा कार्यालयीन हिन्दी, अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार, समाज भाषा विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर स्वतंत्र रूप से अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की गई है।

एक सुखद संयोग सभा के लिए यह रहा कि, इसे प्रोफेसर दिलीप सिंह जैसा अनुभवी एवं प्रगतिशील विचारों वाला समतावादी कुल सचिव प्राप्त हो गया। प्रोफेसर दिलीप सिंह जी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण काम यह किया कि प्राथमिक स्तर से हाई स्कूल स्तर का पूरा पाठ्यक्रम नये सिरे से निर्मित करवाया। यह एक साहसपूर्ण कार्य था। चालीस वर्षों से चला आ रहा पाठ्यक्रम जब नये युग के मान से थोड़ा सा बदलाव चाह रहा था। देखा जाए तो इस कार्य को बदलाव नहीं कहकर नवीकरण कहा जाना चाहिए। प्रत्येक परिवर्तन को थोड़ा बहुत विरोध तो सहना ही पड़ता है। पुरातन को छोड़कर नूतन को स्वीकार करना अटपटा तो लगता ही है। इस कार्य में भी डॉ. दिलीप सिंह जी ने प्रजातांत्रिक भाव दिखाया। नवीन पाठ्यक्रम को उन्होंने सहज रूप से संचालक मंडल, प्रचारक मंडल और कुछ वरिष्ठ अध्यापकों के

सामने रख कर खुली बहस का अवसर दिया। उनके सुझावों को महत्व देकर आवश्यक परिवर्तन भी मान्य किए। यह है एक उपकुल सचिव की सहयोग की कार्यप्रणाली। यही कारण डॉ. कुलदीप सिंह जी की लोकप्रियता का भी है। डॉ. दिलीप सिंह हिन्दी और दक्षिण भारतीय भाषाओं के मध्य एक सेतु के रूप में उभरे हैं। सभा ने जहां हिन्दी को राष्ट्रीय अखण्डता, भावनात्मक एवं भाषा, संस्कृति और लिपि के प्रति अपनी रुझान एवं प्रतिबद्धता स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है वहीं दक्षिण भारतीय भाषाओं की साहित्यिक परंपराओं को हिंदी के माध्यम से उपलब्ध कराने की सात्विक चेष्ठा भी की है। तेलुगु, तमिल, कन्नड, मलयालम को विविध साहित्य विधाओं का हिन्दी में अनुवादित संकलन उसके सुंगधित पुष्प हैं। इसी प्रकार दक्षिण भाषाओं और हिंदी को यथा तेलुगु, हिन्दी, तमिल, हिंदी, कन्नड़-हिंदी, मलयालम हिंदी तथा वृहत त्रिभाषा कोशों का निर्माण भी किया गया है।

सभा के अध्यक्ष महोदय एवं संचालक मंडल का सपना है कि, अगला विश्व हिन्दी सम्मेलन चेन्नई में करवाया जाए। इसके लिए उनके प्रयत्न भी प्रारंभ हो गए हैं। ईश्वर करे उनका यह सपना साकार हो जाए और हिन्दी की सौंधी सुंगध दक्षिण की भाषाओं में मिलकर पूरे भारत और विश्व को सुवासित कर सके।

पिछले दिनों नदियों को जोड़ने की बात छिड़ी थी। नदियां केवल जल का प्रवाह मात्र नहीं हैं नदियां तो हमारी संस्कृति की प्रतीक है। संस्कृतियों की सृजक एवं पोषक हैं। जिस प्रकार नदियां सूखती है। उनमें बाढ़ भी आती है। उसी प्रकार संस्कृति में भी ऐसा होता रहता है। भाषा संस्कृति की प्रवक्ता होती है। यदि हम देश की भाषाओं को जोड़ने की बात करें तब प्रकान्तर में हम संस्कृतियों को जोड़ने की बात ही तो करेंगे। तब उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम का विवाद समाप्त हो जाएगा। भाषा के ही माध्यम से हम देश की समस्त संस्कृतियों को जोड़ सकेंगे। केवल संस्कृत-संस्कृत रहने से हम भारत की संस्कृति को कैसे जोड़ सकते है?

संस्कृतियों को जोड़ने का एक सद्भाव युक्त प्रयास आदि शंकराचार्य जी ने किया था। उन्होंने भारत के चारों खूंट चार तीर्थ कायम कर दिए। इससे दक्षिण का तीर्थयात्री उत्तर पूर्व पश्चिम की यात्रा कर देश को जानने समझने का प्रयत्न करता था। उस समय यात्रा पैदल होती थी। वह सब से मिलता जुलता वहां की बोली-भाषा, रहन सहन, खान-पान, रीति-रिवाज जानता हुआ लम्बे समय बाद घर लौटता था। आज यात्रा तीव्रगाम हो गई है। वैसा मिलन-मिलाप नहीं हो पाता।

भाषा को जोड़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है अनुवाद। परस्पर भाषाओं की साहित्यिक कृतियों को अनुवाद। इससे हम कम से कम दो भाषाओं के ज्ञाता हो सकेंगे। जिस भाषा की कृति का हम अनुवाद कर रहे होंगे वहां भी भाषाई खूबियां, सांस्कृतिक महनीयता, सभ्यता के सरोकार आदि का परिचय हम स्वयं भी करेंगे और समाज को भी करवा सकेंगे।

एक बात और, हमारे हिन्दी कट्टर विद्वान बार-बार अंग्रेजी का विरोध करते हैं। जबकि उन विद्वानों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल-कालेजों में पढ़ रहे होते हैं। इसी प्रकार हमारे नेता भी बड़े-बड़े मंचों से हिन्दी की वकालत करते समय अंग्रेजी की भर्तस्ना करते थकते नहीं हैं। उनके भी बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं। घर में वे अपने बच्चों को अंग्रेजी में बात करते देख गर्व का अनुभव करते हैं। क्या ऐसा करके वे यह चाहते हैं कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पद प्राप्त करते चलें और साधारण बच्चे साधारण बने रहे?

इसके बावजूद भी मैं कहता हूं हम क्यों करते हैं अंग्रेजी का विरोध? कोई भी वाजिब कारण नहीं है हमारे पास। हम हिन्दी को सक्षम बनाने के बजाए दूसरी भाषाओं का विरोध कब तक करते रहेंगे? हमारा विरोध अंग्रेजी के बजाए अंग्रेजी मानसिकता से होना चाहिए। अंग्रेजियत से होना चाहिए, दूसरों की भाषाओं की लकीरें मिटाने के बजाए हम अपनी लकीरें लम्बी कर लें। हम अपनी शक्ति इस बात पर लगा दें कि हिन्दी को हम कितना लोकप्रिय बना सकते हैं। दूसरी भाषाओं को नकार कर हम संस्कृति के सेतुबंध तोड़ने में अपनी शक्ति क्यों व्यर्थ गंवाएं?

आज समय इस बात पर सोचने और कुछ सार्थक करने का है कि हिन्दी का शब्दकोश कितना समृद्ध हो सकता है। उसकी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक शब्दावली कितनी समृद्ध एवं उपयोग हो सकती है। इसमें हम लोक भाषाओं की शब्दावली का भी उपयोग करना चाहिए। एक विद्वान ने लिखा है कि हिन्दी साहित्य की शिष्ट भाषा है। यदि हिन्दी को हम शिष्ट कहेंगे तब क्या हम लोक भाषाओं को अशिष्ट कहेंगे? हम साहित्यिक भाषा को परिनिष्ठ तो कह सकते हैं। शिष्ट कैसे कह सकते हैं। दूसरों की भाषाओं का सम्मान करते हुए हिन्दी के दरवाजे-झरोखे खिड़कियां हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों के लिए खुली रखने में संकोच क्यों हो? जब तक हम सभी भाषाओं को एकनिष्ठ नहीं करेंगे तब तक हिन्दी भारत के ललाट की बिन्दी कैसे बन पाएगी? पिछले दिनों नागरी के साथ एक और षडयंत्र का सूत्रपात हुआ है। ''क्यों न कम्प्यूटर में हिन्दी को रोमन में लिखा जाए।'' कई भाषाएं इस महामारी की चपेट में आ चुकी हैं। यदि हम सतर्क न रहे तब हिन्दी का हुलिया-रूप, स्वरूप विकृत होते देर नहीं लगेगी। यहां हमें सावधान रहना होगा। ■

जानकारी/26 जनवरी, 2016 से लागू हुआ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015

26 जनवरी, 2016 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 लागू होगा।

प्रधान कानून अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक 2015 को लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2015 तथा राज्य सभा द्वारा 21 दिसंबर, 2015 को पारित करने के बाद 31 दिसंबर, 2015 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 01 जनवरी, 2016 को इसे भारत के असाधारण गजट में अधिसूचित किया गया। नियम बनाए जाने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः-

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए जाने वाले नए अपराधों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के सिर और मूंछ की बालों का मुंडन कराने और इसी तरह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के सम्मान के विरुद्ध किए गए कृत हैं। अत्याचारों में समुदाय के लोगों को जूते की माला पहनाना, उन्हें सिंचाई सुविधाओं तक जाने से रोकना या वन अधिकारों से वंचित करने रखना, मानव और पशु नरकंकाल को निपटाने और लाने-ले जाने के लिए तथा बाध्य करना, कब्र खोदने के

लिए बाध्य करना, सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उपयोग और अनुमति देना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना, जाति सूचक गाली देना, जादू-टोना अत्याचार को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना, चुनाव लड़ने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को वस्त्र हरण कर आहत करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य को घर, गांव और आवास छोड़ने के लिए बाध्य करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूजनीय वस्तुओं को विरुपित करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार करना, यौन दुर्व्यवहार भाव से उन्हें छूना और भाषा का उपयोग करना है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को आहत करने, उन्हें दुखद रूप से आहत करने, धमकाने और उपहरण करने जैसे अपराधों को, जिनमें 10 वर्ष के कम की सजा का प्रावधान है, उन्हें अत्याचार निवारण अधिनियम में अपराध के रूप में शामिल करना। अभी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर किए गए अत्याचार मामलों में 10 वर्ष और उससे अधिक की सजा वाले अपराधों को ही अपराध माना जाता है।
- मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों में विशेष रूप से मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनाना और विशेष लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करना।
- विशेष अदालतों को अपराध का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना और जहां तक संभव हो आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से दो महीने के अंदर सुनवाई पूरी करना।
- पीड़ितों तथा गवाहों के अधिकारों पर अतिरिक्त अध्याय शामिल करना आदि। ■

जीवन चरित - उन्नीसवीं किस्त

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर - जीवन चरित

■ धनंजय कीर

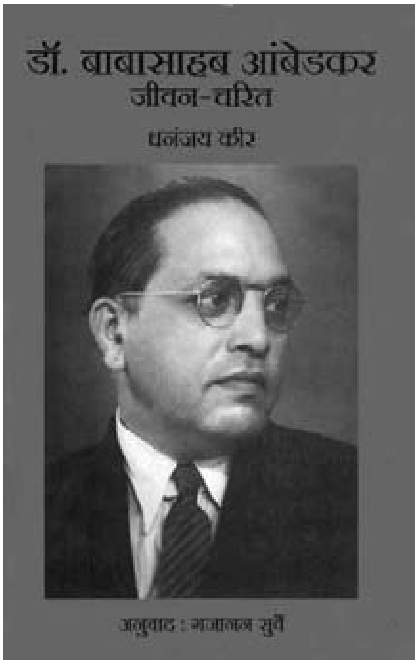

अध्याय 15

स्वतंत्र मजदूर दल

1936 साल धर्मांतरण संबंधी वाद-विवाद में समाप्त हुआ। 1937 के प्रारंभ में भारतीय सरकार के 1935 के कानून के अनुसार प्रान्तों को स्वायत्तता मिल जाने से नया राज्य शासन शुरू होने वाला था। संभाव्य चुनाव के बारे में इधर-उधर उत्सुकता और स्पर्धा का वातावरण निर्माण हुआ था। हर एक दल चुनाव लड़ने की सिद्धता करने में मशगूल था। उस दृष्टि से अम्बेडकर भी कदम बढ़ा रहे थे। अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श कर उन्होंने अगस्त 1936 में 'स्वतंत्र मजदूर दल' नामक एक नया राजनीतिक दल स्थापित किया। उस दल का कार्यक्रम विस्तार के साथ प्रस्तुत करने वाला एक घोषणापत्र उन्होंने प्रसिद्ध किया। उसमें भूमिहीनों, गरीब-काश्तकारों, किसानों और मजदूरों की अत्यावश्यक जरूरतें और शिकायतें प्रस्तुत की थी।

इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण भी किया गया था। 'यद्यपि हमें ऐसा लगता है कि नए संविधान में जिम्मेदार शासन पद्धति पूरी तरह से नहीं दी गयी है, फिर भी इस संविधान को कार्यान्वित करवाने का निर्णय हमारे दल ने किया है।'

दल ने यह घोषणा की कि, 'हमारे दल का यह ठोस मत हुआ है कि खेती की भूमि के टुकड़े करना और उस पर बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ पड़ना, ये सही अर्थ में किसानों की दरिद्रता के कारण है। पुराने धंधे फिर से जोरों से चलाना और नये शुरू करना, यही इस पर उपाय है। जनता की उत्पादन शक्ति और उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो, इसलिए तकनीकी शिक्षा विषयक धंधे, और जहां जरूरत हो वहां शासन के स्वामित्व और नियंत्रण में चलने वाले धंधे शुरू करने का बड़ा विस्तृत कार्यक्रम हम हाथ में लेने वाले हैं।' काश्तकारों को मालिकों द्वारा चलाये गए शोषण से रक्षा प्राप्त हो, मालिक उन्हें भगा न दे इसलिए काश्तकारों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। यह भी कहा गया था कि जिस प्रकार श्रमिकों को कुछ सहूलियतें मिलती हैं, उस प्रकार आवश्यक परिवर्तन कर काश्तकारों को भी वे दी जाएंगी।

घोषणा पत्र निकालकर यह आश्वासन दिया गया कि, 'श्रमिकों के हित की दृष्टि से कानून बनाने की चरम कोशिश की जाएगी। नौकरियां देना, पदच्युत करना, कारखानों में बढ़त देना, काम के अधिकतम घंटे और वेतन श्रेणी, अर्जित छुट्टी देना, श्रमिकों के सस्ते और आरोग्यदायी आवासों की व्यवस्था करना इत्यादि के बारे में कानून बनाये जाएंगे। बेकारी से मुक्ति मिले इसलिए भूमिहीनों को भूमि देकर उनके उपनिवेश स्थापित किए जाएंगे। जनहित के कार्य शुरू किए जाएंगे। औद्योगिकी धंधों के केंद्र बड़े नगरों में निम्न-मध्य वर्ग को मकान का किराया कम देना पड़े, इसलिए कुछ इंतजाम किया जाएगा।'

सामाजिक सुधार संबंधी घोषणापत्र में कहा गया था कि, 'स्वतंत्र मजदूर दल' समाज सुधारकों की सहायता करेगा। दल को यह लगता है कि सनातनी और प्रतिगामी सभी शक्तियों को प्रतिबंधित करने की अत्यंत जरूरत है। धर्मादाय संस्था में से बची हुई राशि का विनियोग शिक्षा जैसे धर्मनिरपेक्ष काम के लिए किया जाएगा। देहातों में आरोग्य और मकानों के लिए देहातों की योजना शुरू की जाएगी और देहातों को आधुनिक रूप प्रदान किया जाएगा। देहातों को सभागृह, पुस्तकालय और 'रोटरी' चित्रपटों की व्यवस्था की जाएगी।'

यह घोषणापत्र गरीब और दलित वर्ग के उत्कर्ष तथा उद्धार के ध्येय से प्रेरित हुआ था। इतना ध्येय से परिपूर्ण, असंदिग्ध और जनहित के बारे में सावधानी दर्शाने वाला घोषणापत्र तत्कालीन राजनीतिक दलों में शायद ही दिखाई देगा। इसलिए स्वतंत्र मजदूर दल के घोषणापत्र पर अपना अभिमत व्यक्त करते समय एक अंग्रेजी दैनिक ने सहज ही कहा, 'यद्यपि हमारा मत है कि राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि न हो, फिर भी अम्बेडकर द्वारा स्थापित नया दल इस

प्रान्त का जीवन समृद्ध करने और देश की भवितव्यता में मोड़ उपस्थित करने की दृष्टि से अत्यंत उपादेय होगा। ऐसे दल के लिए प्रोत्साहन है और उसकी आवश्यकता भी। समाजवादियों के साथ सहयोग कर देश पर द्रुत गति से फैलने वाली साम्यवाद की लहर को रोकने वाली यह एक सुरक्षा की दीवार होगी। स्वतंत्र निर्वाचक मंडल में खास गुट न होते या अलग-अलग गुट नहीं बने होते, तो यह दल थोड़े ही समय देश के एक प्रभावी दल के रूप में मशहूर हो गया होता।' उस पत्र का यह कथन यथार्थ ही था। और अम्बेडकर के ज्ञानी पुरुष की अपेक्षा उनमें स्थित दल संघटक अधिक प्रभावी हुआ होता, तो इस सम्पादक महोदय की आशा फलीभूत होना असंभव नहीं था।

चुनाव के लिए अपने दल की पूरी तैयारी करके डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर 11 नवम्बर, 1936 को इटालियन जहाज से स्वास्थ्य के लिए जिनेवा मार्ग से यूरोप गये। परन्तु उनका आन्तरिक हेतु कुछ अलग ही था। अगर अस्पृश्य वर्ग ने सिख धर्म की दीक्षा ली, तो नए संविधान के अनुसार प्राप्त हुई सुविधाओं से वे वंचित होंगे या नहीं, इस संबंध में वे ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों के मतों का अंदाजा लगाने वाले थे। नए संविधान के अनुसार आम चुनाव बिलकुल नजदीक आने पर भी चुपचाप वे इंग्लैंड चले जाते हैं, इसका अर्थ ऊपर जो कहा गया है उसके अनुसार होगा, ऐसा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा।

यूरोप के लिए निकलने से पहले उन्होंने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचारपत्र को मुलाकात दी थी। उस समय उन्होंने कहा, 'कांग्रेस शोषण करने वालों और शोषितों की एकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इस एकता की जरूरत हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की पुनर्रचना की दृष्टि से वह अत्यंत अनुपयुक्त है।' अपने स्वतंत्र मजदूर दल के बारे में उन्होंने कहा, 'वह दल जनता को लोकतंत्र और पद्धति की शिक्षा देगा, उसके सामने योग्य मत प्रणाली रखेगा और विधान मंडल से राजनीतिक उन्नति के लिए वह उसकी संघटना स्थापित करेगा।' दल के सभी सहयोगी और नेता अम्बेडकर को विदाई के लिए बंदरगाह पर उपस्थित थे।

अम्बेडकर के धर्मांतरण की घोषणा की प्रतिध्वनि काफी दूर तक गूंज रही थी। उससे स्पृश्य हिंदुओं की सामाजिक आत्मा जाग्रत होने लगी। अस्पृश्य हिंदुओं पर अनेक शतकों से किये जा रहे अन्यायों का उन्हें एहसास होने लगा। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए भारत में भरसक प्रयास करने की तैयारी हो रही थी। कुछ दिन पहले मैसूर सरकार ने एक राजाज्ञा निकालकर अस्पृश्यों को दशहरे के दिन दरबार में मनाया जाने वाले उत्सव में हिस्सा लेने की संमति दे दी। मैसूर सरकार ने अपने अधिकार में आने वाले लगभग 1600 मंदिर एक घोषणापत्र निकाल अस्पृश्य वर्ग के लिए खुलवा दिए। यह कहना उचित होगा कि उस घोषणापत्र की वजह से सचमुच ही भारत और हिंदू धर्म के इतिहास में नया पर्व शुरू हुआ। भारत की चारों दिशाएं त्रावणकोर महाराज का धैर्य, दूरदृष्टि और बुद्धिमानी से संबंध गौरवोद्गारों से गूंज उठी। इस घटना के पीछे सर सी.पी. रामस्वामी अय्यर को कूटनीति होने से उनकी भी देश में प्रशंसा हुई। इंग्लैंड के 'मैंचेस्टर गार्डियन' समाचार पत्र ने तो सर रामस्वामी अय्यर की पीठ थपथपाई और यकीन दिलया कि रामस्वामी द्वारा घटित यह घटना लोकतंत्र के जीवन को मार्गदर्शक जैसी है। एम.सी. राजा ने कहा कि यह घोषणा पुणे-करार के तत्वों और उद्देश्यों की सफलता ही है। मद्रास के 'हिंदू' दैनिक समाचारपत्र ने अभिप्राय व्यक्त किया कि त्रावणकोर सरकार की यह घोषणा एक कूटनीति परक घटना है।

इस घटना का असर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन पर भी पड़ा। हिंदू हिंदुस्तान में बहुसंख्य रहें क्या या धर्मांतरण की वजह से कम होकर अल्पसंख्य बनें क्या,

अम्बेडकर के धर्मांतरण की घोषणा की प्रतिध्वनि काफी दूर तक गूंज रही थी। उससे स्पृश्य हिंदुओं की सामाजिक आत्मा जाग्रत होने लगी। अस्पृश्य हिंदुओं पर अनेक शतकों से किये जा रहे अन्यायों का उन्हें एहसास होने लगा। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए भारत में भरसक प्रयास करने की तैयारी हो रही थी। कुछ दिन पहले मैसूर सरकार ने एक राजाज्ञा निकालकर अस्पृश्यों को दशहरे के दिन दरबार में मनाया जाने वाले उत्सव में हिस्सा लेने की संमति दे दी। मैसूर सरकार ने अपने अधिकार में आने वाले लगभग 1600 मंदिर एक घोषणापत्र निकाल अस्पृश्य वर्ग के लिए खुलवा दिए। यह कहना उचित होगा कि उस घोषणापत्र की वजह से सचमुच ही भारत और हिंदू धर्म के इतिहास में नया पर्व शुरू हुआ।

इस संबंध में पूरी तरह से उदासीन रहने वाले और भारत के सभी पूजा स्थान ही दो-तीन पीढ़ियों तक बंद कर दिए जाएं, इस तरह के उद्‌वेगजनक विचार व्यक्त करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से क्षणभर ही क्यों न हो, भावविभोर हो गए। त्रावणकोर के घोषणा पत्र के बारे में बोलते हुए उन्होंने विचार व्यक्त किये कि, 'अस्पृश्यों की समस्या है। इस घोषणापत्र की वजह से जो नया वातावरण बना है, वह लोगों के मन पर दूरगामी परिणाम करेगा। मुझे ऐसा लगता है, उससे अस्पृश्यों की आर्थिक समस्या हल करने में सहायता होगी।' हिंदू महासभा ने अनुरोध किया कि ग्वालियर और इन्दौर के महाराज, त्रावणकोर के महाराज के कदम पर कदम रखकर अस्पृश्यों के लिए मंदिर खुले करें।

'बॉम्बे क्रॉनिकल' ने यह जो मत दिया वह उचित ही था कि, 'त्रावणकोर की इस घोषणा का धर्मांतरण की घोषणा के साथ संबंध ही नहीं होगा, ऐसा हमें नहीं लगता।' 'हिंदू हेराल्ड' जैसे समाचारपत्रों ने साफ कहा कि, 'अगर त्रावणकोर की घोषणा स्वयंस्फूर्त होती, तो वह इसके पहले ही की जाती।' 'हिंदू हेराल्ड' ने यह अभिमत व्यक्त किया कि अस्पृश्यों के निरन्त संघर्षों और उनके द्वारा लगायी गयी अन्तिम शर्तो से यह घोषणा करने के लिए महाराज विवश हो गए। सच कहा जाए तो हिंदू रियासतदारों की बुद्धि एक पुरुष के प्रचंड कर्तृत्व की वजह से क्रियाशील हुई और वह पुरुष है-डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर। यद्यपि यह सत्य अनेक भारतीय समाचार पत्रों ने अंधेरे में रखा, तो भी वह सूर्यप्रकाश की तरह सत्य था। अम्बेडकर की धर्मांतरण की घोषणा का चरम विकास ही त्रावणकोर की घोषणा है।

अम्बेडकर शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत समय तक विएना और बर्लिन में ही रहे। तथापि एक सप्ताह तक वे लंदन में रहे थे। जब वे लंदन में थे, तब बंबई के 'विविध-वृत्त' नामक सुप्रसिद्ध साप्ताहिक के लंदन के प्रतिनिधि ने खबर छापी कि अम्बेडकर ने एक अंग्रेजी स्त्री के विवाह किया है और वे 14 जनवरी, 1937 को उसके साथ बंबई आ रहे हैं। अम्बेडकर और 'विविध-वृत्त' के सम्पादक रामभाऊ तटणिस के स्नेह संबंध ध्यान में रखते हुए, वह समाचार यानी समाचार पत्र की एक सफेद-झूठ खबर थी, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। महान राजनीतिज्ञ पुरुष के विवाह के समाचार से अनेक बार विश्व के समाचार पत्र थर्रा जाते हैं। कई बार यह होता है कि पराक्रमी पुरुष के कर्तृव्य या प्रतिभा के कारण स्त्रियां उनकी ओर आकृष्ट होती है। उस समय ऐसी एक अफवाह थी कि एक अंग्रेज स्त्री अम्बेडकर के व्यक्तित्व पर मोहित हो गई थी। उसने उनके साथ विवाह करने का हठ किया था। इस तरह का विवाह बाबासाहेब ने किया होता, तो भी उनके अटल स्थान को किसी तरह से धब्बा न लगता। खोजा समाज में जैसे आगाखान वंदनीय थे वैसे ही अस्पृश्यवर्ग में अम्बेडकर। 14 जनवरी, 1937 को अम्बेडकर बंबई वापस लौटे। जहाज से उतरते समय उनके विवाह के बारे में कुछ संवाददाताओं ने उनसे पूछा ही। वह समाचार पूरी तरह से निराधार था, ऐसा कहकर अम्बेडकर ने आगे कहा, 'मुझे इस तरह चोरी से विवाह करने की कोई जरूरत नहीं।' राजनीतिक दृष्टि से मेल-मिलाप नहीं किये थे। धर्मांतरण के बारे में पूछते ही उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मेरा धर्मांतरण का निश्चय अटल है। परन्तु कौन-सा धर्म स्वीकार किया जाए इसके बारे में मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। बंबई विधान सभा के लिए होने वाले नए चुनाव लड़ावाना संप्रति यही हमारी बड़ी जरूरत का कार्य है।'

बंदरगाह पर उनका हमेशा की भांति भव्य स्वागत किया गया। बाबासाहेब की अंग्रेज पत्नी देखने के लिए उत्सुक उनके भक्तों का वह अपरिमित जनसमुदाय रास्ते के दोनों तरफ भीड़ में खड़ा था। बाबासाहेब को अकेले ही देखकर उन सबको बड़ा अचरज हुआ। आठवें एडवर्ड के विवाह की वजह से निर्माण हुई समस्या में ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ व्यस्त थे। ऐसा लगता है कि अम्बेडकर के धर्मांतरण के प्रश्न के बारे में चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं था। उन्होंने अम्बेडकर को यही बताया होगा कि, 'गोलमेज परिषद् के समय आपकी प्रस्तुत की हुई अस्पृश्यों की शिकायतें हमने सुन ली हैं। जो कुछ करना था, वह हमने उसी समय किया है।' ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों के साथ चर्चा करने से पहले अम्बेडकर ने कुछ प्रसिद्ध जर्मन कानून पंडितों और अन्य अस्पृश्यों ने सिख धर्म को स्वीकार किया, तो उन्हें प्राप्त हुई प्रांतीय विधान सभा की आरक्षित सीटें रहेगी या नहीं रहेंगी इस संबंध में चर्चा हुई। क्योंकि सिखों के आरक्षित सीटें सिर्फ पंजाब में ही रखी गयी थी। आगे यह हुआ कि, सिख मिशन के नेताओं और अम्बेडकर के बीच मतभेद होकर वे एक-दूसरे से दूर हट गए और सिख धर्म स्वीकारने का प्रश्न उस मतभेद की हवा में ही हवा हो गया।

बंबई वापस लौटते ही अम्बेडकर ने अपने दल के चुनाव प्रचार का कार्य शुरू किया। चुनाव का दिन नजदीक आ रहा था। एक महीने के बाद चुनाव होकर फैसला होने वाला था। भारत के सबसे बलशाली कांग्रेस दल से अम्बेडकर के स्वतंत्र मजदूर दल को सामना करना था कांग्रेस दल के सम्मुख देशभक्ति के लिए त्याग का मानों वलय ही था। कार्यकर्ता और पैसा दोनों से कांग्रेस दल एकदम समृद्ध था। इस संबंध में अचरज लगता है कि जिस अम्बेडकर ने दलित वर्ग के अखिल भारतीय परिषद् का कई बार अध्यक्ष पद स्वीकार कर पथ प्रदर्शन किया और जिस मूक जनता के दुःखों को प्रकट किया, वे अम्बेडकर चुनाव लड़ने के लिए कोई अखिल भारतीय स्वरूप का नया दल स्थापित नहीं कर सके। अम्बेडकर के स्वतंत्र मजदूर दल

का कार्य बंबई प्रान्त तक ही सीमित रहता था।

देर से ही सही, लेकिन अम्बेडकर ने चुनाव प्रचार आरंभ किया। उन्हें अपनी नयी भूमिका लोगों के सामने व्यक्त करनी पड़ी। उन्होंने नए दल की स्थापना क्यों की, इस प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने कहा कि, 'प्रान्तीय विधानसभा की 175 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें आरक्षित थीं। विरोधी दल की स्थापना के लिए 15 सदस्य अधूरे हैं, यह साफ ही है। इसलिए जिन स्पृश्य हिंदू सहयोगियों ने दलितों की लड़ाई में कष्ट और दु:ख भुगतकर सहायता की थी, उनके साथ चर्चा कर सबको खुली हुई सीटों के लिए अन्य कुछ उम्मीदवार खड़े किए जाएं; ऐसा मैंने तय किया।' इससे उनका दोहरा उद्देश्य सिद्ध हुआ। एक उद्देश्य यह था कि अपने सहयोगियों की सदिच्छा का वे सम्मान कर सके और दूसरा यह कि आरक्षित सीटों के लिए खड़े उम्मीदवारों को स्पृश्य हिंदुओं से अधिक वोट मिलने की संभावना बढ़ गयी क्योंकि स्पृश्य हिंदुओं के वोट आरक्षित सीटों के चुनाव में कुछ कम परिणामकारी नहीं थे। इसके अतिरिक्त अधिक सीटें प्राप्त करने में इस दल का उपयोग होने वाला था। अम्बेडकर को कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन प्राप्त था। अम्बेडकर के दल के कार्य का क्षितिज विस्तृत हुआ था।

बंबई प्रान्त के सभी जिलों में अम्बेडकर ने द्रुत गति से प्रचार किया। नासिक, अहमदनगर, खानदेश के कुछ प्रमुख गांवों; सोलापुर, सातारा, आदि जगहों पर अम्बेडकर ने छोटे-छोटे भाषण किए। अपनी सातारा में डॉ. अम्बेडकर ने अपनी मां की समाधि को अश्रुपूरित नयनों से पुष्पहार अर्पित किया। अपने दल के निकट पर खड़े रोहम को अपने अनुयायी चुनें, ऐसा उन्होंने नगर में आयोजित अस्पृश्यों की जिला परिषद् में आवाहन किया। रोहम की योग्यता या गुण के बारे में अस्पृश्य वर्ग अकारण सोच-विचार न करें। उन्होंने छाती ठोंककर कहा कि, मुझमें सैकड़ों स्नातकोत्तरों की बुद्धि और शक्ति होने से विधानसभा में अपने दल के सदस्यों का मैं उचित मार्गदर्शन कर सकता हूं। पनवेल और महाड़ की सभाओं में भी उन्होंने इसी तरह के प्रभावी भाषण किए। इस चुनाव-मुहिम की एक विशेषता यह थी कि अम्बेडकर ने लोकतंत्र स्वराज्य दल के नेता लक्ष्मण बलवन्त भोपटकर को अपना समर्थन दिया। भोपटकर की सहायता करने में अम्बेडकर का और एक हेतु यह था कि भोपटकर के दल का नया संविधान कार्यान्वित करने का संकल्प अटल था और विधानसभा में काम करने की सिद्धि और नया संविधान कार्यान्वित करने का संकल्प, इस संबंध में भोपटकर के दल के नेता न. चि. केलकर बड़े जोर से प्रचार कर रहे थे। उसके लिए केलकर-भोपटकर ने कांग्रेस के अपने भूतपूर्व सहयोगी और कांग्रेस निष्ठ समाचारपत्र के द्वारा आलोचना और निंदा की झड़ी अनेक वर्ष सही थी। इसलिए भोपटकर की उम्मीदवारी को मन:पूर्वक समर्थन देकर अम्बेडकर ने उनके लिए सफलता की कामना की। अपनी शक्ति के अनुसार केलकर ने भी एक पत्रक निकालकर अपने विचार वाले बंबई के लोगों से प्रकट अनुरोध किया था कि वे अपने वोट अम्बेडकर को दें। हमेशा नपे-तुले शब्दों का इस्तेमाल करने वाले साहित्य-सम्राट केलकर ने अपने पत्रक में गौरवोद्गार निकाले कि, 'अम्बेडकर दलितों के अनभिषिक्त राजा है।' केलकर ने आगे कहा, 'अम्बेडकर ने अपना ऊंचा स्थान अपनी बुद्धिमत्ता, ध्येय निष्ठा और निरन्तर संघर्ष से प्राप्त किया है।' केलकर ने सातवलेकर को परस्पर उत्तर दिया।

पुणेकर ब्राह्मणों का चुनाव में

उन्हें अपनी नयी भूमिका लोगों के सामने व्यक्त करनी पड़ी। उन्होंने नए दल की स्थापना क्यों की, इस प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने कहा कि, 'प्रान्तीय विधानसभा की 175 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें आरक्षित थीं। विरोधी दल की स्थापना के लिए 15 सदस्य अधूरे हैं, यह साफ ही है। इसलिए जिन स्पृश्य हिंदू सहयोगियों ने दलितों की लड़ाई में कष्ट और दु:ख भुगतकर सहायता की थी, उनके साथ चर्चा कर सबको खुली हुई सीटों के लिए अन्य कुछ उम्मीदवार खड़े किए जाएं; ऐसा मैंने तय किया।' इससे उनका दोहरा उद्देश्य सिद्ध हुआ। एक उद्देश्य यह था कि अपने सहयोगियों की सदिच्छा का वे सम्मान कर सके और दूसरा यह कि आरक्षित सीटों के लिए खड़े उम्मीदवारों को स्पृश्य हिंदुओं से अधिक वोट मिलने की संभावना बढ़ गयी क्योंकि स्पृश्य हिंदुओं के वोट आरक्षित सीटों के चुनाव में कुछ कम परिणामकारी नहीं थे।

अस्पृश्य वर्गीयों द्वारा समर्थन देना इसे 'वदतो व्याघात' ही कहना होगा। सचमुच, राजनीति में कौन, किसका, कब सहयोगी होगा इसके कोई नेम-नियम ही नहीं होता। अम्बेडकर और पुणे के ब्राह्मणों की युति हुई देखकर बंबई के विख्यात मजदूर नेता ना. म. जोशी हंसते-हंसते लोट-पोट हो गए। उन्होंने अम्बेडकर से कहा, 'अजी! इस युति की वजह से आपका गधा भी गया और ब्रह्मचर्य भी।' इस पर अम्बेडकर ने उतने ही जोश से कहा, 'गया तो गया, लेकिन काम तो हुआ!' आम चुनाव होने से पहले एक खलबली निर्माण करने वाली खबर सिंध में फैल गयी। शेख मस्जिद नामक मुस्लिम हुए हिंदू ने अपने प्रतिद्वंद्वी सर शहानवाजखान भुट्टो के खिलाफ वोट प्राप्त हो इसलिए एक झूठी खबर फैला दी। अगर मुझ जैसे मुसलमान बनें हिंदू को मुसलमान अपने वचन के अनुसार वोट दें, तो अम्बेडकर धर्मांतरण के लिए मुस्लिम धर्म का चुनाव करेंगे, ऐसी शेख मस्जिद ने अफवाह फैला दी। सर शहानवाजखान भुट्टो ने तार द्वारा अम्बेडकर के पास पूछताछ करते ही अम्बेडकर ने उन्हें पुनश्च तार द्वारा उत्तर दिया कि, 'हम मुसलमान होंगे इस तरह का वचन शेख मस्जिद या अन्य किसी को नहीं दिया। इसमें संदेह नहीं कि शेख मस्जिद ने यह झूठी अफवाह फैलाई है, उनका कहना सफेद-झूठ है।'

कांग्रेस दल ने सभी प्रान्तों में चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने दो सीटें अपनी तमाम ताकत की बाजी लगाकर बड़े जोश से लड़ाई। उनके लिए उन्होंने सभी साधन और तरकीबें तथा दांव-पेच प्रयुक्त किए। वे दो सीटें यानी बंबई में अम्बेडकर जो सीट लड़ा रहे थे वह सीट और दूसरी ल. ब. भोपटकर एक जमाने के महाराष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था। लेकिन युद्ध शुरू होने पर सामने कौन है, यह कौन देखता है? कांग्रेस ने क्रिकेट पटु बालू बाबाजी पानवलकर और अम्बेडकर के खिलाफ अपने उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। इसके अतिरिक्त पा. नं. राजभोज और देवरुखकर को अम्बेडकर के वोट काटने के लिए चुनाव में खड़ा किया। आम चुनाव 17 फरवरी, 1937 को संपन्न हुए। चुनाव के परिणाम फल में कांग्रेस दल के पानवलकर की पूरी पराजय हुई। राजभोज और देवरुखकर का पराजय के ढेर में पता ही नहीं लगा। अम्बेडकर प्रचंड वोटों से विजयी हुए। भोपटकर बड़ी वीरता के साथ लड़े, लेकिन चुनाव में हारे गये। नए संविधान के अनुसार हुए इस पहले आम चुनाव में अम्बेडकर के स्वतंत्र मजदूर दल ने उज्जवल यश प्राप्त किया। उनके 17 उम्मीदवारों में से 13 कामयाब हुए। अब विचारकों को ऐसा लगने लगा कि अम्बेडकर और कांग्रेस दल के बीच विधानसभा में संघर्ष और रंगीन बन जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के कुछ कपटी और पक्षपाती मतों की धज्जियां उड़ाने वाले के रूप में अम्बेडकर प्रसिद्ध थे। उनकी जालिम आलोचना का उन्हें डर लगता था।

अपने एकमेव नेता की विजय से बंबई प्रान्त के अस्पृश्य लोगों का आनंद फूले न समाया उनके आनंद की लहरें महाराष्ट्र की उनकी सभी बस्तियों में गूंजती गयी। सांगली की उनकी बस्ती में अम्बेडकर का भव्य सत्कार हुआ। उस सत्कार में अभिमान और आनंद से हिस्सा लेने के लिए आसपास के देहातों और शहरों से अस्पृश्य जनता का प्रचंड जनसमुदाय आया था।

चुनाव के उज्ज्वल यश का आनंद उनकी दूसरी एक विजय से दुगना हुआ। महाड़ के चवदार तालाब संबंधी प्रतिवादियों द्वारा बंबई के उच्च न्यायालय में लाए गए मुकदमें का फैसला दिनांक 16 मार्च, 1937 को प्रकाशित हुआ। ठाणे के सहायक न्यायाधीश द्वारा दिया हुआ निर्णय स्थायी हो गया। अम्बेडकर ने अपने बोल सत्य साबित किए। तालाब की लड़ाई जीती। चवदार तालाब का पानी पीने का अस्पृश्यों का अधिकार प्रस्थापित किया।

आम चुनाव में कांग्रेस ने सभी प्रान्तों में विजय प्राप्त की। लेकिन मंत्रिमंडल स्थापित करने से उन्होंने इनकार किया। विधानसभा में जाना हराम है, ऐसा कहने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा की दहलीज के पास उत्सुकता से लेकिन अनुशासन से खड़े रहे। कांग्रेस दल द्वारा मंत्रिमंडल स्थापित करने से इनकार करने से, बंबई प्रान्त में सर धनजी शहा कपूर और जमनादास मेथा ने मंत्रिमंडल बना लिया। बंबई विधानसभा में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बाल गंगाधर खेर ने कूपर मंत्रिमण्डल पर जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा था, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अम्बेडकर से अनुरोध किया। उस समय अम्बेडकर जंजीरा रियासत में कुछ काम के लिए गये थे। वहां से उन्होंने खेर को उत्तर भेजा। उसमें उन्होंने कहा, 'कांग्रेस दल की इस मांग में खुद के दल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राज्यपाल को विधानसभा को छह महीनों की अवधि में बुलाना पड़ेगा ही। उस समय कांग्रेस विधायकों को अपनी बात प्रस्तुत करना संभव होगा ही।'

आगे जल्दी ही अम्बेडकर ने नए संविधान को कार्यान्वित करने के बारे में अपने विचार बंबई के मजदूर मैदान पर अपने स्वतंत्र मजदूर दल की सभा में फिर एक बार साफ किए। दलित वर्ग के कल्याण की दृष्टि से जो कुछ प्राप्त होगा, वह उस संविधान से प्राप्त किया जाए, ऐसा निश्चय उन्होंने व्यक्त किया। कांग्रेस दल सच्चाई से विधानसभा का बहिष्कार उठा दे, ऐसी उन्हें चेतावनी देकर उन्होंने कहा, 'हमें यह नहीं लगता कि ब्रिटिश सत्ता से कांग्रेस दल का चल रहा संग्राम खत्म होने तक हमारे दु:ख और शिकायतें वैसी ही चलती रहें।' अपने भाषण में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि कांग्रेस नेताओं द्वारा अस्पृश्यों की आरक्षित सीटों के लिए नौकर-चाकर खड़े करने की वृत्ति

का कड़े शब्दों में विरोध किया। नेहरू का हरि नामक एक अस्पृश्य वर्गीय नौकर था। उसे ही नेहरू ने चुनाव के लिए खड़ा किया और वे उसे चुनवाकर लाए थे। मजा यह कि बेलगांव में अम्बेडकर ने कहा, 'रोहम की अर्हता या गुण मत देखो, मेरे कर्तृव्य की ओर देखो।' नेहरू ने भी वही कहा होगा। हम कूपर मंत्रिमंडल को विधानसभा में बहुमत नहीं, उस मंत्रिमंडल में मंत्री पद स्वीकारना किस काम का? वह मंत्रिमंडल बहुत दिन नहीं टिकेगा।'

आखिर हां-ना करते-करते कांग्रेस दल ने अपनी खुद की जांच-पड़ताल कर 19 जुलाई, 1936 को मंत्रिमंडल बनाया। एक दिन पहले हंगामी कूपर मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश राज्य के साथ निष्ठा से बर्ताव करने की शपथ कांग्रेस के विधायकों ने 'अनौपचारिक' रीति से ही क्यों न हो, लेकिन ली और वे विधानसभा की कुर्सियों पर विराजमान हुए। गीता हाथ में लेकर शपथ ग्रहण न करते हुए अम्बेडकर ने शपथ विधि विधान पूरा किया।

बंबई विधानसभा में विरोधी गुट में अम्बेडकर और जमनादास मेथा दो चतुर और विख्यात वाद-विवाद पटु थे। भारत को किसी भी विधानसभा में उनके जैसे सानी रखने वाले और धाक जमाने वाले विधायक नहीं थे। विश्व की किसी भी विधानसभा में उनकी धाक जम गयी होती। उस दृष्टि से कांग्रेस दल के अधिकतर विधायक नौसिखिए, अनभिज्ञ थे। विधान मंडल में जाना हराम है, इस तरह जिन्होंने अनेक साल शेखी बघारी थी, उन्होंने ही अब ब्रिटिश सत्ता को शह देने के लिए मंत्रिमंडल बनाना स्वीकार किया। कांग्रेस केलकर, अम्बेडकर, जयकर की विचारधारा का सम्प्रति तो अनुसरण करने ही लगी। ब्रिटिश सत्ता को अंदर और बाहर से टक्कर देना उचित हे, इस निर्णय पर कुछ साल तो कांग्रेस नेता स्थिरचित्त बने रहे।

31 जुलाई, 1937 को अम्बेडकर न्यायालय के कामकाज के लिए धुले जा रहे थे। उस समय चालीस गांव स्थानक पर बड़े सबेरे अस्पृश्य जनता ने प्रचण्ड जयघोष से उनका सत्कार किया। 'अम्बेडकर कौन हैं? अम्बेडकर हमारे बादशाह है'-इस नयी घोषणा द्वारा उनका प्रचण्ड स्वागत हुआ। चालीस गांव के उतारू बंगले में जुलुस के साथ ही उन्हें लाया गया। न्यायालय का काम खत्म होने पर सायंकाल तीसरे प्रहर में 'हरिजन सेवक संघ' के नेता बर्वे ने अम्बेडकर के सम्मानार्थ चाय-पान का समारोह आयोजित किया। सायंकाल विजयानंद नाट्यगृह में एक सभा में अम्बेडकर ने भाषण दिया। अपने भाषण में अम्बेडकर ने कहा, 'अपने समाज के कल्याण के बारे में ध्यान न देने वाले ब्रिटिश राज्यकर्ताओं की जगह सामाजिक जीवन में हमें सताने वाले दल के प्रतिनिधि अब आरूढ़ हुए हैं।

अध्याय 16

मजूदर नेता

कांग्रेस दल ने अपना मंत्रिमंडल बनाया तथापि मुस्लिम मतदाता संघ में उस दल की धज्जियां उड़ जाने से वह उस खोज में जुट गया कि मंत्रिमंडल में गोद लेने के लिए कोई मुस्लिम विधायक मिलता है या नहीं। उस समय संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने का प्रश्न उद्भुत नहीं हुआ था। अम्बेडकर का भी मिला-जुला मंत्रिमंडल बनाने के रुख पर विश्वास नहीं था। उनका मत था कि उस तरह के मंत्रिमंडल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही बनाने की जरूरत होती है।

31 जुलाई, 1937 को अम्बेडकर न्यायालय के कामकाज के लिए धुले जा रहे थे। उस समय चालीस गांव स्थानक पर बड़े सबेरे अस्पृश्य जनता ने प्रचण्ड जयघोष से उनका सत्कार किया। 'अम्बेडकर कौन हैं? अम्बेडकर हमारे बादशाह है'-इस नयी घोषणा द्वारा उनका प्रचण्ड स्वागत हुआ। चालीस गांव के उतारू बंगले में जुलूस के साथ ही उन्हें लाया गया। न्यायालय का काम खत्म होने पर सायंकाल तीसरे प्रहर में 'हरिजन सेवक संघ' के नेता बर्वे ने अम्बेडकर के सम्मानार्थ चाय-पान का समारोह आयोजित किया। सायंकाल विजयानंद नाट्यगृह में एक सभा में अम्बेडकर ने भाषण दिया। अपने भाषण में अम्बेडकर ने कहा, 'अपने समाज के कल्याण के बारे में ध्यान न देने वाले ब्रिटिश राज्यकर्ताओं की जगह सामाजिक जीवन में हमें सताने वाले दल के प्रतिनिधि अब आरूढ़ हुए हैं। अस्पृश्यों के कल्याण की दृष्टि से ये दिन संगठित होकर सतर्कता से कदम बढ़ाने के हैं। कांग्रेस निर्मित मंत्रिमंडल के मार्फत् ब्राह्मणी धर्म अपनी ही कैसी हांक रहा है, देखिए। कांग्रेस निर्मित सभी मंत्रिमंडलों के नेता ब्राह्मण हैं। अस्पृश्य वर्गीय एक भी मंत्री उनके किसी भी मंत्रिमंडल में नहीं है।'

स्वतंत्र मजदूर दल की वार्षिक सर्वसाधारण सभा नागपाड़ा नेबरहुड

हाउस, बंबई में 7 अगस्त, 1937 को आयोजित की गई। अम्बेडकर को कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष चुना गया। म. बा. समर्थ को मुख्य कार्यवाहक चुना गया। कमलाकांत चित्रे और शा. अ. उपशाम को कार्यवाह और कमलाकांत चित्रे को अस्थायी संघटक चुना गया। अम्बेडकर के निकटवर्ती मंडल में कमलाकांत चित्रे प्रमुख थे। इस सर्वसाधारण सभा में बोलते समय अम्बेडकर ने कहा, 'यह सच है कि गोलमेज परिषद् के समय यह प्रस्ताव पेश करने का मुझे नहीं सूझा कि हर प्रांत के मंत्रिमंडल के दलित वर्ग का एक प्रतिनिधि हो।'

मंत्री की तनख्वाह हर मास 500 रुपए हो। इसके अतिरिक्त घर का किराया और यात्रा भत्ता भी मिले। इस संबंध में अगस्त के तीसरे सप्ताह में एक विधेयक विधान सभा के सम्मुख चर्चा के लिए आया। अम्बेडकर अर्थ संकल्प की चर्चा के समय उपस्थित नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने इस वेतन विधेयक का कड़ा विरोध किया। उस विधेयक पर टिप्पणी करते समय अम्बेडकर ने कहा, 'मंत्री का मासिक वेतन तय करते समय हमें उस प्रश्न की ओर चारों तरफ से ध्यान देना चाहिए। पहली बात यानी सामाजिक दर्जा, दूसरी बात यानी कार्यक्षमता, तीसरी लोकतंत्र और चौथी राज्य कारोबार की सच्चाई और शुचिता। राज्य के तीन अंगों में से मंत्रिमंडल एक प्रधान अंग है। वह बुद्धि स्थान है। 500 रुपए मासिक वेतन कर्तृत्वशाली लोगों को तुच्छ लगने से वे दूसरे व्यवसाय की ओर मुड़ेंगे। उसका नतीजा यह होगा कि जो पैसे की विशेष चिंता नहीं करते लेकिन सत्ता की अभिलाषा विशेष रूप में रखते हैं, ऐसे लोग राज्यसत्ता काबिज कर लेंगे। मासिक वेतन देश की रहन-सहन के अनुसार तय करना होगा तो कांग्रेस के मंत्रियों को इस सभागृह द्वारा सूचित सुझाव के अनुसार सिर्फ 75 रुपए मासिक वेतन लेना पड़ेगा। डॉ. जानसन का मत था कि देशभक्ति बदमाशों का अंतिम आश्रय स्थान होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि राजनीतिज्ञों का भी वह अंतिम आश्रम स्थान होता है।' विधेयक की चर्चा का उत्तर देते समय मुख्यमंत्री खेर ने कहा, 'मातृभूमि की सेवा इस विधेयक का अभिप्रेत तत्व है। देशभक्ति बदमाशों का अंतिम आश्रम स्थान होने पर भी सम्मान्य गृहस्थों का यह आद्य आश्रय स्थान होता है।' अपने भाषण में नामदार खेर ने बाबासाहेब द्वारा नि:स्वार्थ बुद्धि से की हुई दलितों की सेवा की उन्हें याद दिलाकर यह आवाहन किया कि अम्बेडकर ने जैसी दलितों की सेवा की वैसे ही वे देश की भी सेवा नि:स्वार्थ बुद्धि से करें।

अम्बेडकर अपने दल का प्रचार बड़े उत्साह के साथ कर रहे थे। सितम्बर 1937 के प्रारंभ में दलित वर्ग द्वारा मैसूर में आयोजित जिला परिषद् के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि, 'मेरा यह ठोस मत बना है कि गांधी जी के हाथों मजदूर और दलित वर्ग का हित नहीं होगा। अगर कांग्रेस क्रांतिकारी संस्था होती तो हम कांग्रेस में गए होते। लेकिन मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि कांग्रेस क्रांतिकारी संस्था नहीं है। साधारण मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी उन्नति करने के लिए मौका और स्वतंत्रता देने का सामाजिक और आर्थिक समता का ध्येय जाहिर करने के लिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ती। जब तक उत्पादन के साधन थोड़े से व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्यान्वित कर रहे हैं, तब तक साधारण मनुष्य की उन्नति होने की आशा नहीं। गांधीवाद के तत्व के अनुसार देखा जाए तो किसान खेत का मानों तीसरा बैल ही होगा। हल के दो बैलों के साथ वह भी एक वैसा ही निबुद्ध और कष्टमय जीवन का एक प्रतीक सिद्ध होगा।'

कम्यूनिस्टों द्वारा चलाए गए मजदूर आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा, 'मेरा कम्यूनिस्टों से संबंध रखना बिल्कुल संभव नहीं है। मैं कम्यूनिस्टों का कट्टर दुश्मन हूं।' उनका यह ठोस मत था कि कम्यूनिस्ट अपनी राजनीतिक ध्येय-सिद्धि के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं।

अनेक कठिनाइयों का सामना कर जिंदगी गुजारने वाले किसानों का कल्याण करने के लिए अम्बेडकर अपने प्रयासों की पराकाष्ठा कर रहे थे। कोंकण की खेती का उन्मूलन करने के लिए उन्होंने बंबई विधान सभा के सम्मुख 17 सितम्बर, 1937 को एक विधेयक पेश किया। खेत-भूमि जोतने वाले काश्तकारों की गुलामी नष्ट करने की दृष्टि से प्रांतीय मंडल के इस नए मनु में इस तरह का विधेयक पेश करने वाले अम्बेडकर विधानसभा के पहले सदस्य थे। उस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य था कि खेती उन्मूलन होकर काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व मिले। उनका उद्देश्य था कि खेत लोगों का स्वामित्व खत्म करने की वजह से होने वाली हानि के बदले में उन्हें उचित राशि दी जाए और काश्तकारों के कब्जे में रही भूमि रैयतवारी पद्धति के अनुसार उनके ही स्वामित्व की हो। लेकिन राज्यकर्ताओं द्वारा यह प्रश्न बड़ी देर तक जैसा का तैसा रखने से अम्बेडकर उस विधेयक को गति नहीं दे सके। अम्बेडकर ने महार वेतन का उन्मूलन करने के लिए इस समय भी एक विधेयक पेश किया जिसके लिए वे 1927 से आंदोलन कर रहे थे। आखिर महार वेतन विधेयक भी निढाल होकर रह गया।

इस समय अम्बेडकर एक चरित्रहनन अभियोग का काम चला रह थे। यह अभियोग बंबई के मझगांव न्यायालय में चल रहा था। 'हिलाल' उर्दू साप्ताहिक के संपादक अलीबहादुर खान ने 'विविध वृत्त' नामक मराठी साप्ताहिक के विख्यात संपादक रामचन्द्र काशीनाथ तटनिस पर चरित्र-हनन का अभियोग लगाया था। अम्बेडकर ने अपने मित्र तटनिस का पक्ष बड़ी चतुरता और जोश से प्रस्तुत किया। अंग्रेजी और हिंदी का आधार देकर लगभग सात घंटों तक उन्होंने बचाव का भाषण किया। उन्होंने न्यायाधीश

से अनुरोध किया कि जिस लेख की वजह से फरियादी की बदनामी हुई है, ऐसा माना गया था, उस लेख को पूरा पढ़ने पर पाठकों के मन पर उसका क्या असर पड़ता है, यह देख लेना चाहिए। केवल जो हिस्सा आपत्तिजनक लगता है, उतना ही अलग निकाल कर पढ़ा नहीं जाना चाहिए। केवल जो हिस्सा आपत्ति जनक लगता है, उतना ही अलग निकाल कर पढ़ा नहीं जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने यह साबित किया कि आरोपी ने अच्छे प्रयोजन के लिए वह लेख लिखा है, फिर भी फरियादी के निर्वासन के बारे में जो आरोप सूचित किया गया था वह सिद्ध न हो पाने से आरोपी पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

अम्बेडकर के चुनाव की विजय की प्रतिध्वनि अब भी गूंज ही रही थी। नवम्बर 1937 में बंबई के 'आदिद्रविड़ तरुण संघ' के कुछ अस्पृश्य वर्गीय युवकों ने उनका सत्कार किया। अपने सत्कार का उत्तर देते समय उन्होंने युवकों को उपदेश किया कि युवक कांग्रेस में प्रवेश न करें। उन्होंने इशारा किया कि अगर वे कांग्रेस में गये तो अस्पृश्यों के दु:खों को वाणी प्रदान करने के लिए कोई शेष नहीं रह जाएगा। नवम्बर के अंतिम सप्ताह में अम्बेडकर के दल के नासिक के नेता भाऊराव गायकवाड़ का बंबई में सत्कार किया गया। भाऊराव ने कई साल बड़ी तन्मयता के साथ दलितों के संगठन का कार्य किया था। अस्पृश्यों के राजनीतिक, सामाजिक और त्याग से निरंतर संघर्ष किया था। उसके लिए वीरोचित संघर्ष किया था। उस सत्कार समारोह में बाबासाहेब का भावोत्कट भाषण हुआ। सेवा, सहयोग और त्याग के गुणों के बारे में उन्होंने भाऊराव की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। इस तरह का उस्फूर्त गुणगान बाबासाहेब के मुंह से निकलना बड़ी दुर्लभ बात थी। उसमें ही भाऊराव के कार्य, सेवा और कर्तृत्व की महत्ता दिखाई देती है।

30 दिसम्बर, 1937 को अम्बेडकर पंढरपुर में संपन्न होने वाली अस्पृश्य वर्ग की सोलापुर जिला परिषद् में उपस्थित रहने के लिए बंबई से निकले। भोर में कुर्डूवाड़ी स्थानक पर उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत हुआ। वहां से एक खास मोटर से वे पंढरपुर पहुंचे। रास्ते में करकंब गांव में मातंग समाज की सभा के सामने भाषण करते हुए उन्होंने कहा, 'कांग्रेस दल से सतर्क रहो क्योंकि हमारा शोषण, छल और रक्त-शोषण करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस ने समझौता किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा शोषण करने वाले लोगों ने खद्दर के कपड़े और खद्दर की टोपी के आवरण के नीचे हमारा कल्याण करने का ढोंग रचा है।' दोपहर पंढरपुर पहुंचने पर डाक बंगले तक अम्बेडकर को जुलूस के रूप में लाया गया। पंढरपुर नगरपालिका के अध्यक्ष उस बंगले पर जाकर अम्बेडकर से मिले। वहां से वे दोनों नगरपालिका के अध्यक्ष उस बंगले पर जाकर अम्बेडकर से मिले। वहां से वे दोनों नगरपालिका की धर्मशाला की ओर निकले। वहीं परिषद् का आयोजन किया गया था। आसपास के देहातों से अनेक स्त्रियां और पुरुष अपने महान नेता के दर्शन और उनका उपदेश सुनने के लिए परिषद् में इकट्ठे हुए थे। उपस्थितों की संख्या हजार से ज्यादा रही होगी।

परिषद् के सामने भाषण करते समय अम्बेडकर ने कहा, 'हमारे सामने तीन समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि क्या हमें हिंदू समाज में कभी समान दर्जा प्राप्त होगा? दूसरी समस्या यह है कि राष्ट्रीय उत्पादन का उचित हिस्सा हमें मिलेगा या नहीं? तीसरी समस्या यह है कि हमारे चलाए गए स्वाभिमान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता आंदोलन का आगे क्या होगा? पहली समस्या का उत्तर यह है कि जब तक जाति संस्था अस्तित्व में रहेगी तब तक हमें हिंदू समाज में समान दर्जा मिलना संभव नहीं है। कांग्रेस के अमीरों के हाथ की गुड़िया बन जाने से वह दलितों के साथ बुरा बर्ताव करती है। जब तक कांग्रेस धनिकों के अधीन है तब तक सद्यकालीन कांग्रेस सरकार दलितों की आर्थिक

अम्बेडकर के चुनाव की विजय की प्रतिध्वनि अब भी गूंज ही रही थी। नवम्बर 1937 में बंबई के 'आदिद्रविड़ तरुण संघ' के कुछ अस्पृश्य वर्गीय युवकों ने उनका सत्कार किया। अपने सत्कार का उत्तर देते समय उन्होंने युवकों को उपदेश किया कि युवक कांग्रेस में प्रवेश न करें। उन्होंने इशारा किया कि अगर वे कांग्रेस में गये तो अस्पृश्यों के दु:खों को वाणी प्रदान करने के लिए कोई शेष नहीं रह जाएगा। नवम्बर के अंतिम सप्ताह में अम्बेडकर के दल के नासिक के नेता भाऊराव गायकवाड़ का बंबई में सत्कार किया गया। भाऊराव ने कई साल बड़ी तन्मयता के साथ दलितों के संगठन का कार्य किया था। अस्पृश्यों के राजनीतिक, सामाजिक और त्याग से निरंतर संघर्ष किया था।

उन्नति के लिए कुछ कर सकेगी, इस तरह का विश्वास मन में रखना व्यर्थ है। जो धनिक हमारा शोषण करते हैं उनके खिलाफ एक अगाड़ी स्थापित करने की बड़ी ही जरूरत है। दलित वर्ग को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कराने का समय नजदीक आ गया है। तीसरी समस्या का उत्तर यह है कि दलितों की आत्मनिर्भर और स्वाभिमान-सुरक्षा आंदोलन से अगर कुछ होगा तो लाभ ही होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं, यह बात उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए।'

परिषद् ने महार वतन विधेयक का मन:पूर्वक समर्थन किया। बाद में तुरन्त ही अम्बेडकर को पंढरपुर नगरपालिका के सभागृह में ले जाया गया। सदस्यों ने उनका सहर्ष स्वागत किया। नगराध्यक्ष ने समयोचित गौरवपूरक भाषण कर उन्हें पुष्पमाला अर्पित की। अम्बेडकर ने भी उस गौरव को समर्पक उत्तर देकर सभी उपस्थितों का आभार व्यक्त किया।

पंढरपुर परिषद् का काम समाप्त होते ही अम्बेडकर मातंग परिषद् के लिए निकले। वहां सोलापुर नगर पालिका ने भागवत चित्रमंदिर में 4 जनवरी, 1938 को उन्हें सम्मान-पत्र से गौरवान्वित किया। सोलापुर नगरपालिका के अध्यक्ष रावबहादुर डॉ. वी.वी. मुले ने सम्मान पत्र पढ़ा और उसे अम्बेडकर को अर्पित किया। अपने अध्यक्षीय काल में डॉ. वी. वी. मुले ने अस्पृश्यता निवारण के कार्य में बहुत बड़ी सहायता की थी। उत्तर के दाखिल किए भाषण में अम्बेडकर ने 'संसदीय लोकतंत्र का कार्य' विषय पर गहरा विवेचन किया।

उन्होंने कहा, 'आज इस देश में जो राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुई है उसकी वजह से कांग्रेस नामक एक ही दल को मुजरा करने की आदत लोगों को पड़ गई है। मेरा इस पर भरोसा नहीं कि लोकतंत्र का ध्येय सभी कालों में सभी जगह स्वीकारार्थ है। हिंदुस्तान की सद्य:स्थिति का अवलोकन करने से मेरा मत बना है कि हिंदुस्तान के लिए लोकतंत्र शासन पद्धति पूरी तरह से अयोग्य है। कुछ भी हो हिंदुस्तान को किसी अच्छे हेतु से प्रेरित हुए सर्वाधिकारी के अमल की कुछ समय तक आवश्यकता है।

इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र ने अपनी बुद्धि चलाना स्थगित कर दिया है। उसने अपने हाथ-पांव एक ही दल के साथ जकड़ रखे हैं। उस दल के विचार और उसकी कृति के बारे में कठोर चिकित्सा करके न्यायनिर्णय करने की उसकी तैयारी नहीं है। मेरे मतानुसार यह बड़ी व्याधि है। वह एक रोग है। बड़ी बीमारी है। उस रोग ने हमारे सभी लोगों को पछाड़ दिया है। उससे वे बहरे हो गये है। बडे अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के लोग परंपरा से बुद्धिवादी न होकर अतिरिक्त श्रद्धालु वृत्ति के हैं। जो सर्वसाधारण व्यक्ति से विक्षिप्त सा बर्ताव करता है और जो उस विक्षिप्त बर्ताव की वजह से अन्य देशों में पागल ठहरेगा, वह इस देश में महात्मा या योगी ठहरता है। और गड़ेरिये के पीछे जैसे भेड़-बकरियां जाती हैं वैसे लोग उनके पीछे जाने लगते हैं।

'जिसके पास सुनने लायक कुछ है, उसका कहना जनतंत्र को सम्मानपूर्वक सुनना चाहिए। सोलापुर नगरपालिका ने मुझे सम्मानपत्र देकर एक बड़ा नया उपक्रम शुरू किया है। क्योंकि सभी लोग जिस दल के पीछे हैं और जो खुद को एकमात्र राजनीतिक दल समझता है, मेरे उस दल का सदस्य न होते हुए भी सोलापुर नगरपालिका ने मुझे जो सम्मानपत्र दिया उससे मुझे आनंद हो रहा है।'[1]

दूसरे दिन अम्बेडकर से अनुरोध किया गया कि वे और एक भाषण दें, क्योंकि स्थानीय ईसाइयों को उनके धार्मिक मत सुनने की उत्सुकता थी। इसलिए गंगाधर जाधव की अध्यक्षता में एक सभा में उनका भाषण हुआ। उस समय बाबासाहेब ने तनिक चुभने वाले शब्दों में कहा,'धर्मांतरण की घोषणा किए जाने से हम एक सौदे का और विनोदी नाटक का विषय बन गए हैं।' आचार्य अत्रे लिखित 'वंदे मातरम्' नाटक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'अत्रे ने हमारे धर्मान्तरण की समस्या की खिल्ली उड़ाई है, फिर भी हमारा निर्णय अटल है। मैंने धर्मशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किया है जिससे ईसा और बुद्ध के व्यक्तित्व का मेरे मन पर भारी असर पड़ा है। हमें ऐसा धर्म चाहिए जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसा बर्ताव करें; यह उपदेश करके समता, बंधुता और स्वतंत्रता की तत्वत्रयी के अनुसार एक मनुष्य के अपने भाई और देवता के प्रति कर्तव्य की सीख दे। बाबासाहेब ने उन ईसाई श्रोताओं को यह भी कहा कि, 'आपके धर्म भाई दक्षिण हिंदुस्तान में ईसाई मंदिरों में जातिभेद का बर्ताव करते है। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से भी वे पिछड़े हुए हैं। अगर महार छात्र ईसाई होगा तो उसकी छात्र वृत्ति डूब जाती है। इसलिए अस्पृश्य का ईसाई बनने पर उनका उस वजह से आर्थिक कल्याण कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात यह कि सामाजिक अन्याय दूर करने के लिए ईसाई लोग कभी भी नहीं लड़े।' उपर्युक्त सभा में अम्बेडकर ने जिन दो धर्म संस्थापकों के नामों का उच्चारण किया, उससे यह दिखाई देता है कि सिख धर्म के प्रति उनके प्रेम को वे लंदन के दौरे के बाद भूल गए। उपर्युक्त भाषण से भारतीय ईसाइयों के कान तो उमेठे गए ही, लेकिन अम्बेडकर के मन में इस समय कौन से विचार उथल-पुथल कर रहे थे, उसके भी किंचित् दर्शन हुए।

पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित िनंजय कीर की लि ी पुस्तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित से साभार

मशः शेष अगले अंक में

लंदन एक अविस्मरणीय अनुभव

■ स्वेक्षा खोबरागड़े

इस मानव जीवन में हरेक इंसान एक सपना लेकर जीता है, बहुत ही कम ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं, जिनका सपना साकार होता है, ऐसे ही बहुत कम लोगों में मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूं। एम.ए. इकानॉमिक्स (प्रिवियस) में प्रवेश लेते ही मैं सपना देख रही थी कि मुझे 'लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स' में जाना है, लेकिन कहीं से कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे एम.ए. फाईनल होते ही फिर प्रबल इच्छा हुई कि कॉश मैं लंदन जाकर अध्ययन कर सकूं, इस बीच मैंने एम.फिल. हेतु ''वनस्थली विद्यापीठ'', जयपुर में आवेदन कर दिया था, मेरा दाखिला भी हो गया और पहली बार मैं घर से बाहर पढ़ने जा रही थी। मम्मी, पापा मुझे छोड़ने, जयपुर (वनस्थली) आये थे, जब वे छोड़कर जाने लगे तो मैं बहुत रोई थी। मुझे लग रहा था शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन सीनियर के समझाने के बाद धीरे-धीरे परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को उस परिवेश में ढालने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा सपना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, मन में आशंका थी कि जब मैं भारत के ही संस्थान में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही तो लंदन कैसे जा पाऊंगी।

एम.फिल., के दौरान फिर वही सपना, कि भले ही पढ़ने ना जा सकूं, लेकिन एक बार भ्रमण हेतु अवश्य जाऊंगी। इन्हीं ख्यालों में एम.फिल. भी पूर्ण हो गया और पढ़ने की चाह फिर भी बनी रही और मम्मी, पापा की अनुमति से पी.एच.डी. हेतु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में दाखिला ले लिया।

मन में ये ख्याल बना रहता कि भारत जैसे विशाल देश का संविधान लिखने वाले विश्वरत्न, ऐतिहासिक पुरुष, परमपूज्य बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जिस संस्थान में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया एक बार वहां अवश्य जाकर देखूं कि इस महान इंसान ने कैसे अध्ययन किया। पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान जरूर अर्जित किया था, लेकिन स्वयं वहां जाने का सपना संजोए रखा था। भारत सरकार के ''डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय'' द्वारा बाबासाहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उन देशों के प्रतिष्ठानों हेतु स्टडी टूर आयोजित करने का विज्ञापन दिया गया। जहां बाबासाहेब रहे और

अध्ययन किया। पहले तीन टूर आयोजित हो चुके थे और ये विज्ञापन केवल ''लंदन स्कूल ऑफ इकानामिक्स'' हेतु था। मैंने इस हेतु आवेदन कर दिया और अपनी स्टडी में व्यस्त हो गई। 28 अगस्त 2015 को मुझे नई दिल्ली अम्बेडकर प्रतिष्ठान से एक मेल प्राप्त हुआ, मेल पढ़ते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरा सपना सच हो गया था। मेरा चयन ''लंदन स्कूल ऑफ इकानामिक्स'' स्टडी टूर हेतु हो गया था, मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि हजारों विद्यार्थियों में मेरा चयन इस हेतु हुआ था।

ये मेरे लिए एक गौरव की बात थी कि मुझे ऐसी जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ है जहां कि ''ज्ञान के प्रतीक'' विश्वरत्न परमपूज्य बाबासाहेब ने अध्ययन किया। ये स्टडी दूर ऐसे समय आयोजित किया गया जब ''लंदन स्कूल ऑफ इकानामिक्स अपनी 120वीं वर्षगांठ मना रहा है और हम बाबासाहेब अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ ये दोनों देशों के लिए गर्व की बात है।

मैंने डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं की रूप रेखा बना ली थी, जिससे मुझे बाद में बहुत सहायता मिली, मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी अपने विषय अर्थशास्त्र को लेकर, क्योंकि बाबासाहेब अम्बेडकर ने स्वयं इस विषय को इसी संस्थान में अध्ययन किया था। फिर एक आशंका मन में थी कि वीसा मिल पायेगा या नहीं, क्योंकि ये स्टडी टूर का अंतिम टूर था और पिछले टूर में कुछ साथियों को वीसा नहीं मिल पाया था। पिता जी हमेशा कहते हैं कि रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सकारात्मक ही सोचों। मैं पिताजी के साथ दिल्ली ''वर्ल्ड ट्रेड सेंटर'' वीसा आवेदन करने गई, बहुत जल्दी ही घर पर डाक से वीसा अनुमति भी आ गई। अब लंदन जाना पक्का हो गया। मैंने अपनी गाईड रेखा आचार्या मैडम को बताया वह भी बहुत खुश हुई उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया।

चूंकि अनुमति पत्र के साथ लंदन जाने वाले सभी 25 साथियों की लिस्ट और मोबाईल नम्बर भी दिये गये थे जो कि विभिन्न राज्यों और अलग-अलग विषयों को लेकर रिसर्च कर रहे थे, उन सबका मैंने एक ग्रुप व्हाट्सएप पर बनाया और एक दूसरे के मैसेज और अन्य जानकारियां सांझा की।

जैसे-जैसे जाने की तारीख करीब आ रही थी सबका उत्साह और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, सबकी अलग-अलग ख्वाहिशें थीं, वहां जाकर, लंदन आई घूमना, लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स को देखना शॉपिंग करना वगैरह-वगैरह। लंदन जाने के पहले सबकी मिटिंग 20 नवम्बर 2015 को डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में थी जहां आवश्यक निर्देश दिये जाने थे। मिटिंग निर्धारित समय के काफी पहले मैं पिताजी के साथ प्रतिष्ठान पहुंच गई थी। वहां सबसे पहले हमारा स्वागत सुधीर हिलसायन सर ने किया जो कि मासिक पत्रिका ''सामाजिक न्याय संदेश'' के सम्पादक भी है उसके बाद वर्मा सर से मुलाकात हुई जो कि वहां के एकाउन्ट आफिसर हैं उनसे भी बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई। धीरे-धीरे सभी साथी आने लगे थे, 2 साथी को छोड़कर सभी 4 बजे तक आ गये थे मिटिंग शुरू होने के पहले हमको 15 जनपथ, नई दिल्ली में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय अम्बेडकर संस्थान का मॉडल दिखाया गया जो कि बहुत भव्य और खूबसूरत था यह संस्थान विश्व में बाबासाहेब को समझने वालों के लिए ''मिल का पत्थर'' साबित होगा।

नियम समय से 1 घंटे देरी से मिटिंग शुरू हुई। आदरणीय टी.आर. मीना सर द्वारा लिया गया सबका परिचय बहुत रोचक था, टी.आर. मीना सर बहुत ही सहज और सरलता से सबका परिचय ले रहे थे, उनके द्वारा दिये गये सुझाव हमारे

नियम समय से 1 घंटे देरी से मिटिंग शुरू हुई। आदरणीय टी. आर. मीना सर द्वारा लिया गया सबका परिचय बहुत रोचक था, टी. आर. मीना सर बहुत ही सहज और सरलता से सबका परिचय ले रहे थे, उनके द्वारा दिये गये सुझाव हमारे लिए बाद में बहुत कारगर साबित हुए। मिटिंग में दिये गये उनके निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिटिंग से ही तस्वीर लेने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था, कुछ तस्वीरों के साथ मिटिंग समाप्त हो गई। दूसरे दिन 21.11.2015 को एयरपोर्ट पर मिलने के वादे के साथ सभी अपने निवास के लिए चले गये। मैं भी अपने पिताजी के साथ गेस्ट हाउस आ गई। मैं पहली बार विदेश जा रही थी, पहली बार ही हवाई यात्रा करने वाली थी। लंदन के ख्वाब देखते-देखते ठीक से नींद भी नहीं आई सुबह कब हो गई पता नहीं चला।

लिए बाद में बहुत कारगर साबित हुए। मिटिंग में दिये गये उनके निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिटिंग से ही तस्वीर लेने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था, कुछ तस्वीरों के साथ मिटिंग समाप्त हो गई। दूसरे दिन 21.11.2015 को एयरपोर्ट पर मिलने के वादे के साथ सभी अपने निवास के लिए चले गये।

मैं भी अपने पिताजी के साथ गेस्ट हाउस आ गई। मैं पहली बार विदेश जा रही थी, पहली बार ही हवाई यात्रा करने वाली थी। लंदन के ख्वाब देखते-देखते ठीक से नींद भी नहीं आई सुबह कब हो गई पता नहीं चला।

21.11.2015: एयरपोर्ट जाने के लिए पिताजी ने रात में ही टैक्सी बुक करा दी थी, नियत समय 10 बजे टैक्सी आ गई थी और हम लोग जल्दी पहुंच गये थे, वहां पहुंचते ही राजीव सर से मुलाकात हुई जो हम से भी पहले पहुंच चुके थे। मैंने पहली बार एयरपोर्ट देखा था। धीरे-धीरे सारे साथी आने लगे अन्दर जाकर बहुत सी औपचारिकाएं पूरी करनी थी। सबने अपने परिजनों को अलविदा कहा, कुछ ने खुशी-खुशी कुछ ने नम आंखों से, हम लोग लाईट के समय से 4 घंटे पहले ही अन्दर पहुंच चुके थे। अन्दर जाते ही हम औपचारिकताएं पूरी करने में लग गये। काफी लम्बी कतार थी सारी प्रक्रिया पूरी होते-होते 2 घंटे लग गये।

अन्दर बहुत सी सुन्दर-सुन्दर दुकानें, मॉल वगैरह थे सब अपनी जरूरत के हिसाब से सामान देखने लगे, काफी देर घूमने के बाद हम लोग लाईट की तरफ चल दिये। लाईट में अन्दर जाते ही एयर होस्टेस ने हमारा स्वागत किया। सब अपनी-अपनी सीट खोजने में लग गये। सब अपने-अपने साथी के साथ बैठना चाहते थे। सभी एक दूसरे से और अन्य यात्रियों से सीट बदलने के लिए आवेदन करने लगे, कोई माना, कोई नहीं। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। पहली बार लाईट में बैठकर मेरे साथ मेरी साथी बैठी थीं, हमने आपस में कुछ विचार विमर्श किया पिक्चर देखी, संगीत का आनंद लिया और बार-बार तत्परता से लाईट की स्थिति देखने लाईव मेप खोल लेते।

जैसे ही हमारी लाईट लंदन के ऊपर पहुंची बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। लाईट से सब नीचे देखने में जुट गये। लाईट ने लेण्ड किया, बाहर निकलते ही ठंड ने हमारा जबरदस्त स्वागत किया।

एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सुन्दर सी बस हमारा इंतजार कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं, एयरपोर्ट से होटल तक के सफर में सबकी आंखें टक-टकी लगाये बाहर की तरफ देख रही थी, सुन्दर नजारे, सुन्दर-सुन्दर घर, व्यवस्थित सड़कें, सड़कों पर सुन्दर-सुन्दर चलती महंगी कारे, आदि हमारे आकर्षण का केन्द्र थी। होटल पहुंचते ही सब पूर्ण निर्धारित अपने-अपने रूम मेट के साथ कमरे में चले गये। मैं और मेरी रूम मेट अपना सामान व्यवस्थित कर सो गये। कुछ लोग उसी रात घूमने निकल गये।

22.11.2015: आज हमारा कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, सबने घूमने का प्लॉन बनाया और निकल पड़े पैदल, चलते हुए खुद को गोरे खूबसूरत लोगों के बीच पाना काफी अच्छा लग रहा था, वहां बाहर घूमते हुए मैंने खुद को और आजाद पाया। मन में यह भी विचार आया कि, क्या यह वही हैं जिन्होंने बहुत साल भारत पर राज किया। वहां के लोगों का पहनावा शरीर की बनावट, भाषा, काफी आकर्षक थी। चलते फिरते मुस्कुराना, बात-बात में सारी, थैंक्स, बोलना, उनकी जीवन शैली का हिस्सा है, जिसे मैंने भी अपनी आदत में शामिल किया। लोग काफी खुशमिजाज लगे, वहां सभी पैदल चल कर घूमना पसंद करते हैं शायद यही उनकी सेहत का राज है। लंदन का इतिहास आज भी उसकी हर एक दीवार और कलाकृतियों में समाया हुआ है। वहां के चर्च बहुत सुन्दर हैं जो आज भी ईसाई परम्परा को जीवित रखे हैं। लंदन आई से लंदन की अलग ही तस्वीर सामने आती है। जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। थोड़ी शॉपिंग वगैरह के बाद वापस होटल आ गये। आज हमारा डिनर ''इण्डिया हाउस'' (भारत भवन) में डिप्टी हाई कमीशनर डॉ. विरेन्द्र पॉल के साथ था डिनर के दौरान उनसे मुलाकात काफी अच्छी रही।

23.11.2015: हम सब यहां समय के काफी पाबंद थे। सुबह नियत समय पर हम सब होटल की लॉबी में एकत्रित हुए। मैं आज बहुत उत्सुक थी और बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज हम ''लंदन स्कूल ऑफ इकानॉमिक्स'' जाना था। हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर और वो पल भी आ गया, जिसका सपना मैंने वर्षों से संजाये रखा था। आज मेरा सपना पूर्णतः सच हुआ मैं ''लंदन स्कूल ऑफ इकानामिक्स'' पहुंच चुकी थी। यहां आकर ऐसा लगा जैसे बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर यहां कहीं आज भी मौजूद हैं, यहां लायब्रेरी के सख्त नियम (यहां तक की वे जब सीढ़ियां चढ़ते हैं एक ही दिशा का अनुसरण करते हैं।) सुन्दर, स्वच्छ, उच्च टेक्नोलॉजी से सुसज्जित रूम में बैठकर पढ़ने का मन हुआ, यहां काफी भारतीय विद्यार्थी थे जो हिन्दी में बात कर रहे थे सुनकर, देखकर, अनुभूति हुई ऐसा लग रहा था कि हम भारत में ही हैं। यहां लाइब्रेरी स्टाफ की मदद, स्वस्थ वातावरण और जमीनी स्तर पर आरामदायक बीन बैग में बैठकर बड़ा मजा आया। मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन यहां आकर भी मालूम पड़ा कि बाबासाहेब अम्बेडकर पढ़ने में इतना मग्न रहते थे कि उन्हें रात में लायब्रेरी बंद होने के समय आकर उठाना पड़ता था, कि लायब्रेरी बंद हो रही है, ''प्लीज घर जाइये''। कैसी जिज्ञासा और पिपासा थी उनकी ज्ञान के लिए। यह जानकर

मुझे भी उत्साह आया और नये जोश के साथ विषयानुसार अध्ययन सामग्री एकत्रित करने लगी। मेरे विश्वविद्यालय से यहां की लायब्रेरी भिन्न थी। अर्थशास्त्र का तो खजाना था एक से बढ़कर एक पुस्तकें मैंने यहां से अपने शोध विषय से संबंधित काफी अध्ययन सामग्री एकत्रित की। यहां पूरा दिन रहकर बहुत फायदा मिला। आज का दिन यादगार दिन बनगया, शाम को हम लोग होटल आ गये।

2 .11.2015: आज हम सब यहां के पार्लियामेंट हाउस के लिए निकले, भारतीय संविधान और यहां के संविधान में काफी फर्क है। मुझे यहां कि पार्लियामेंट घूमकर ये अहसास हुआ कि बाबासाहेब ने कितने साल इंग्लैण्ड में व्यतीत किये उन्होंने यहां कि सभ्यता को काफी करीब से समझा होगा, यूं कहें तो उनके लिए यह भी शोध का विषय ही रहा होगा। दुनियां के अनेक संविधानों का अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की।

पार्लियामेंट के अन्दर लगा हुआ सोना मुझे बार-बार ''भारत के सोने की चिड़िया'' होने का एहसास दिला रहा था। पार्लियामेंट से बाहर निकलते ही बारिश का सामना हुआ उसका एक अलग आनंद था। यहां से हम ब्रिटिश लायब्रेरी गये। हमने ब्रिटिश लायब्रेरी की शाखाएं देखी और सुनी थी। यहां आकर काफी दस्तावेज देखने के मिले जो आज भी संभाल कर रखे गये हैं। यहां से इण्डिया हाईकमीशन गये यहां डॉ. लिसा द्वारा दिये गये, लेक्चर से शोध के तरीकों के बारे में जानकारी मिली जो मैं अपने शोध कार्य में प्रयोग करूंगी। इसके बाद ''ग्रेस इन'' में जाने का मौका मिला, किन्तु हम उसे बाहर से देख सके। यहां से बाबासाहेब ने 1916 में ''बैरिस्टर ऑफ लॉ'' की शिक्षा ग्रहण की थी। यहां से हम लोग वापिस होटल आ गये।

25.11.2015: आज हम सब निकल पड़े ग्रीन विच, जहां से पूरी दुनियां का समय निश्चित होता है। यहां अन्दर रखे उपकरण जिन्हें वैज्ञानिक समय मापने के लिए प्रयोग करते थे, देखकर हम आश्चर्यचकित थे। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गये उपकरण और मापदण्ड भले बीते समय के हों पर आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यहां ऊपर से लंदन का नजारा काफी खूबसूरत लगता है। हम फिर आगे बढ़े थेम्स नदी की तरफ जहां खूबसूरज क्रूज हमारा इंतजार कर रहा था। थेम्स का अपना अलग ही आनंद है। एक तरफ ''लंदन'' और दूसरी तरफ ''वेस्टमिनस्टर'' दोनों ही अपने आप में खूबसूरत शहर हैं। क्रूज से उतरते ही हम बस में सवार हो गये और चल पड़े उस मंजिल की ओर जहां विश्वरत्न, करोड़ों लोगों के मसीहा, परमपूज्य बाबासाहेब अम्बेडकर रहते थे। यहां पहुंचते ही लगा बाबासाहेब अभी भी यहां रहते हैं, उनके संघर्ष के दिन याद आ गये। ''लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स'' से इतने दूर रहकर रोज आना-जाना कितना कठिन होता होगा धन्य थे बाबासाहेब।

यहां से हम लोग निकल गये ऑक्सफोर्ड के लिए ऑक्सफोर्ड का रास्ता काफी अलग है। शहर से दूर गांव देखकर सुकून मिला, खेत, लकड़ी के घर, बीच से बहती हुई नहर, घोड़े, भेड़ देखकर सब उत्साहित हो रहे थे। आज की शहरी ऊंची-ऊंची मंजिलों के मुकाबले गांव ज्यादा सुकुन देते हैं। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मेरी काफी इच्छा हुई कि मैं वहां उतरकर उनके खेती करने से लेकर व्यवहारिक जीवन को करीब से जानू। किन्तु समय की कमी के कारण हम रूक ना सके। इस बीच रास्ते में एक दिलचस्प घटना घटी। काफी दूर जाने के बाद पता चला कि बस में दो लड़कियां कम हैं, बीच में हम खाना खाने रुके थे वहां दोनों छूट गई थी। स्थिति को देखते हुए मीना सर और एल.एस.ई. के टिम सर ने बिना समय गवायें वापस जाकर उन्हें लाने का निर्णय लिया। ड्राईवर ने बस घुमाई और हम वापस उसी जगह पहुंच गये, अपने साथियों को सुरक्षित पाकर सबकी जान में जान आई। वह दोनों काफी

यहां से हम लोग निकल गये ऑक्सफोर्ड के लिए ऑक्सफोर्ड का रास्ता काफी अलग है। शहर से दूर गांव देखकर सुकून मिला, खेत, लकड़ी के घर, बीच से बहती हुई नहर, घोड़े, भेड़ देखकर सब उत्साहित हो रहे थे। आज की शहरी ऊंची-ऊंची मंजिलों के मुकाबले गांव ज्यादा सुकुन देते हैं। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मेरी काफी इच्छा हुई कि मैं वहां उतरकर उनके खेती करने से लेकर व्यवहारिक जीवन को करीब से जानू। किन्तु समय की कमी के कारण हम रूक ना सके। इस बीच रास्ते में एक दिलचस्प घटना घटी। काफी दूर जाने के बाद पता चला कि बस में दो लड़कियां कम हैं। बीच में हम खाना खाने रुके थे वहां दोनों छूट गई थी।

घबरा गई थीं। ऑक्सफोर्ड पहुंचते-पहुंचते अंधेरा हो चुका था। आक्सफोर्ड अपने आप में अलग ही दुनिया है। वास्तव में आक्सफोर्ड गांव है, भागती हुई शहरी दुनिया से अलग ठहरा हुआ। यहां कुछ समय बिताने के बाद हम फिर बढ़ गये गांव से शहर की ओर।

26.11.2015: आज फिर एक अलग अच्छा दिन, हमारे सामने थे जानी-मानी शख्सियत ''लार्ड मेघनाथ देसाई'' एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक वे पहले भारतीय हैं जो ''हाउस ऑफ लाड्‌र्स'' को सम्बोधित करते हैं, भारतीय संविधान पर पकड़ के साथ-साथ उनका एक अलग ही रूतबा है। आज का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है आज ही के दिन 26.11.1949 को बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के बनाये संविधान को भारत सरकार ने अपनाया था। फॅारेन एवं कामनवेल्थ ऑफिस जाकर मुझे गोलमेज की याद आ गई। आज भी हमने यहां बचा हुआ अधिक से अधिक समय लायब्रेरी में पुस्तकें खोजने में लगाया। इसके बाद हम ''हेमलेस'' (दुनियां की सबसे बड़ी खिलौने बनाने वाली कंपनी जो लंदन की ही है) गये, यहां आकर हम और छोटे बच्चे बन गये। फिर निकल पड़े लंदन की सड़कों में खूब घुमें, पैसे कमाने अजीबों गरीब हुलिए में खड़े लोग, कोई भूत बना, कोई गाना बजाए, कोई नाचें। ये सब देखकर अहसास हुआ हमारे पास जो है उसके कद्र करें, हम औरों से बहुत अच्छे हैं।

27.11.205 आज हम सुबह जल्दी हाई कमीशन के लिए निकल गये यहां ''जावेद मजिद'' द्वारा दिया गया लेक्चर काफी अच्छा था, उन्होंने बारीकी से संविधान में प्रयोग हुई भाषा को समझाया और पूछे गये प्रश्नों के सटीक उत्तर दिये। डॉ. संचिता द्वारा बांटे गये उनके विचार, उनकी पुस्तक ''मेड इन बांग्लादेश, इण्डोनेशिया'' मुझे मेरे खरीदे गये कपड़ों की याद दिला रहे थे। मेरे द्वारा लंदन से खरीदे गये कपड़ों पर ''मेड इन बांग्लादेश'' मेड इन वियतनाम'' मेड इन इण्डोनेशिया'' इत्यादि लिखा है। आज सबने बाबासाहेब के स्टेच्यु के सामने खड़े होकर ग्रुप फोटो ली, फेयरवेल पार्टी के साथ एल.एस.ई. की टीम से हमने कॉन्टेक्ट नम्बर लिए वहां मौजूद लोगों से जान पहचान बढ़ाई और पुनः मिलने के वादे के साथ होटल वापिस आ गये।

28.11.2015: आज लंदन में हमारा आखिरी दिन था अपने वतन लौटने वाले थे। यहां बिताया हर दिन हर पल यादगार बन गया था, हम यादों का पिटारा कैमरे में कैद करके ले जा रहे थे। आज का दिन फ्री होने के कारण हम सुबह से लंदन की सैर पर निकल गये। हम घूमते हुए बंकिघम पैलेस पहुंच गये, यहां लगा कोई दिख जाये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी शॉपिंग के बाद हम होटल लौट आये। यहां बस का इंतजार करते हुए होटल में आखिरी बार कुछ तस्वीरें ली। बस 4 बजे आ गई और हम लोग रवाना हो गये एयरपोर्ट के लिए। सारी आपैचारिकताओं के बाद लाईट में पहुंचने ही सब नींद के आगोश में थे। कब भारत अपने वतन पहुंच गये पता ही नहीं चला। एक-दूसरे से सम्पर्क में रहने का वादा कर सब अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गये।

मेरे घर भोपाल जाने वाली मेरी लाईट शाम को थी। मैं एयरपोर्ट पर ही रूकर इंतजार करने लगी। इस दौरान मैं सोच रही थी कि कैसी विडम्बना है, जहां विदेशों में लोग डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के इतने दिवाने हैं, उनके ज्ञान को जानने के लिए कितने उतावले हैं और उनके अपने घर भारत में जाति की विकृत व्यवस्था के कारण लोग उन्हें नजर अंदाज करते हैं। यही सोचते-सोचते कैसे शाम हो गई पता नहीं चला। मेरी लाईट का समय हो गया था। मैं एक घंटे बाद अपने शहर में थी। एयरपोर्ट पर मुझे लेने मां, पिताजी और भैया आये। उन्होंने पुष्प गुच्छे से मेरा स्वागत किया। 30 मिनट बाद मैं अपने घर थी।

दूसरे दिन स्टडी टूर की खबर हिन्दुस्तान टाईम्स में छपी देखकर सब काफी प्रसन्न हुए।

मैं खुशनसीब हूं कि मुझे यह मौका मिला मैं साधुवाद देती हूं भारत सरकार और डॉ. अम्बेडकर फाउण्डेशन, नई दिल्ली, को जिनके कारण ये टूर संभव हुआ। बाबासाहेब के बारे में जितना जानो कम है, मैं उनके बारे में और भी पढ़ना चाहूंगी, जानना चाहूंगी। वह शुरू से मेरे लिए प्रेरणा स्त्रोत रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं उन सभी स्थानों और देशों में जा सकूं जहां वे रहे और उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने जाति के कारण जो कुछ सहा है, मुझे भी इस दौर में कभी-कभी अपने व्यवहारिक जीवन में सुनना पड़ता है। उनक कथन शत प्रतिशत सत्य है:- **''शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जिसे पीकर कोई भी दहाड़ सकता है।''■**

मैं खुशनसीब हूं कि मुझे यह मौका मिला मैं साधुवाद देती हूं भारत सरकार और डॉ. अम्बेडकर फाउण्डेशन नई दिल्ली, को जिनके कारण ये टूर संभव हुआ। बाबासाहेब के बारे में जितना जानो कम है, मैं उनके बारे में और भी पढ़ना चाहूंगी, जानना चाहूंगी। वह शुरू से मेरे लिए प्रेरणा स्त्रोत रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं उन सभी स्थानों और देशों में जा सकूं जहां वे रहे और उन्होंने अध्ययन किया।

हिन्दी सिनेमा में दलित स्त्री

(अछूत कन्या, सुजाता, अंकुर एवं शुद्रा : द राईजिंग के विशेष संदर्भ में)

■ वंदना

साहित्य और सिनेमा कलात्मक अभिव्यक्ति के दो सशक्त माध्यम हैं। जहां साहित्य से 'समाज का दर्पण' अथवा 'मशाल' की अवधारणा जुड़ी है, वहां सिनेमा का संबंध समाज से ठीक उसी प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता है। इसका प्रभाव एकरैखीय न होकर जटिल है। जिस प्रकार की तत्परता साहित्य और समाज के संबंध को दिखाने में की जाती है वैसी अनुकूलता हमें सिनेमा और समाज के अंर्तसंबंधों में नहीं मिलती। इन परिस्थितियों में यह विषय निश्चित रूप से इससे जुड़े महत्वपूर्ण आयामों को विश्लेषित करने में सहायक होगा।

सिनेमा के बहुआयामी एंव जटिल प्रभावों को स्पष्ट करते हुए मिहिर पंड्या अपने एक लेख में आशीस नंदी के चर्चित आलेख को उद्धृत करते हैं- "लोकप्रिय फिल्म में आदर्श उदाहरण में सब कुछ होना चाहिए-शास्त्रीय से लेकर लोक संस्कृति, उदात्त से लेकर हास्यास्पद और अति आधुनिक से लेकर जड़ हो चुकी परम्पराशीलता तक सब कुछ। कथा के भीतर उपकथाएं जो कभी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, मेहमान भूमिकाएं। यह हिदुंस्तान की अनगिनत जातियों और जीवन शैलियों को अपने भीतर शामिल करने का प्रयास करती है और विश्वजगत के भारतीय जनमानस पर पड़ते प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं करती। गैर प्रबुद्ध किस्म का लोकप्रिय सिनेमा दरअसल अपनी तमाम जटिलताओं, कुर्तकों, भोलेपन और क्रूरता के साथ आधुनिक होता भारत है। लोकप्रिय सिनेमा का अध्ययन भारतीय आधुनिकता का अपने सबसे अपरिष्कृत रूप में अध्ययन करना है।"[1] हालांकि यहां 1997 के दौर में आशीस नंदी जिस प्रकार के सिनेमा से गुजर रहे थे उसका परिप्रेक्ष्य है, जबकि वर्तमान लोकप्रिय सिनेमा में अपनी रूढ़ छवि को तोड़ता प्रतीत होता है। 'मेरीकॉम' और 'दशरथ मांझी' जैसी फिल्में इसका प्रमाण हैं। लेकिन यह विडम्बना ही है कि साहित्य की तरह सिनेमा में भी दलित और आदिवासियों का मुद्दा लम्बे समय तक परिधी के बाहर ही बना रहा। आज दलित साहित्य एक स्थापित तथ्य है। सारा दलित साहित्य विद्रोह का साहित्य है जिसमें युगों की पीड़ा के खिलाफ संचित होते हुए उस क्षुब्ध आक्रोश का तुफान है जिसमें करोड़ों लोगों की यह भावना छिपी है कि वे अब मनुष्य से एक या दो दर्जे नीचे नहीं बल्कि मनुष्य रूप में जीयेगें। इसी व्यापक जन अपील की क्षमता से प्रभावित होकर बड़े पर्दे पर भी यह स्पेस कायम हुआ है। सिनेमा भी इसी श्रृंखला में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराता है। पूजा खिल्लन लिखती हैं- "संमातर सिनेमा में जातिवाद, धर्म, राजनीति, भ्रष्ट व्यवस्था, पूर्वाग्रह ग्रसित मानसिकता एंव अंधविश्वास, स्त्री शोषण, दलित शोषण आदि के चिन्ह मिलतें हैं जो पूर्वाग्रह ग्रसित मानसिकता और अनुकूलन को चुनौती देते हैं। इसके अनेक प्रमाण संमातर फिल्मों में मौजूद हैं।"[2]

भारतीय समाज व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं- वर्ण व्यवस्था और पितृसत्तामक व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ने समाज की मानवीयता का क्षरण किया है। इस संदर्भ में प्रभा खेतान लिखती हैं कि, "पितृसत्ता एक सामाजिक घटना है, हजारों सालों से चली आई ऐसी व्यवस्था जिसमें स्त्री की अधीनस्तथा सर्वविदित

है। पितृसत्ता ने स्त्री को अपने ज्ञान की वस्तु बनाया उसे साधन के रूप में प्रयुक्त किया। उसके नाम, रूप, जाति, गोत्र सब अपने संदर्भ में पारिभाषित किए। स्त्री का यह अमानवीकरण दलित के अमानवीकरण से कहीं ज्यादा सूक्ष्म है क्योंकि दलित पुरुष भी पितृव्यवस्था का सदस्य है, अपने पुरुषोचित अंहकार के कारण स्त्री के शोषण और उत्पीड़न से बाज नहीं आता। इस प्रकार एक दलित स्त्री तीन मोर्चों पर एक साथ संघर्ष करती है।"[3]

'हिन्दी सिनेमा में दलित स्त्री' विषय में 'अछूत कन्या', 'सुजाता', 'अंकुर', 'तीसरी आजादी', 'बैंडिट क्वीन' आदि फिल्में नायिका प्रधान हैं। इनमें दलित स्त्री के मुद्दों को उठाया गया है। हांलाकि विषय का अध्ययन इस दृष्टि से दिलचस्प एंव रोचक बन जाता है कि विषय पर अध्ययन करते हुए दलित स्त्री से जुड़े मुद्दे और विषय इसमें जुड़कर डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाते हैं।

हिंदी सिनेमा में बनी फिल्म 'अछूत कन्या' में सवर्ण युवक प्रताप (अशोक कुमार) और दलित युवती कस्तूरी (देविका रानी) का प्रेम संबंध दिखाया गया है। इस फिल्म पर गांधीवादी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सवर्ण प्रताप के पिता और कस्तूरी के दलित पिता में घनिष्ठ मित्रता को दिखाते हुए यह समझाने का प्रयास किया गया है कि सच्ची मित्रता जात-पांत और भेदभाव रहित भी हो सकती है। इस फिल्म में दलित स्त्री कस्तूरी का चित्रण एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में त्याग, प्रेम और बलिदान की देवी के रूप में किया गया है, और इसी क्रम में देवी बनने के प्रयासों के चलते हुए वह अपने मानवीय अधिकारों को भी प्राप्त नहीं कर पाती है। डा. अम्बेडकर दलित स्त्री के लिए जिस शिक्षा और चेतना पर बल देते हैं, वह यहां सिरे से नदारद है। कस्तूरी और प्रताप एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं लेकिन अंतर्जातीय विवाह की समस्या के कारण दोनों अपने परिवार की आज्ञानुसार शादी कर लेते हैं। वर्तमान समाज में भी इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी यह समस्या और अधिक विकराल रूप में 'खाप पंचायत' और 'लव जिहाद' जैसी हिंसात्मक कार्यवाहियों से जुड़ गयी है। फिल्म का अंत दुखांत है जहां दलित कस्तूरी रेल दुर्घटना में अपनी जान देकर सवर्ण समाज को उसकी सभी मुसीबतों से मुक्त करती है। यहां प्रश्न उठता है कि सर्वण समाज की भलाई और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह त्याग सदियों से दलित स्त्री का भाग्य क्यों बना दिया गया है? फिल्म में निर्देशक जहां दलितों की समस्या उठाकर श्रेय अर्जित करना चाहता है तो अंत में उसे खत्म करके वह किस दलित समस्या का समाधान खोजता है? संस्कार और त्याग से इतर दलित स्त्री की मानवीय भूमिका हिन्दी सिनेमा में आना अभी शेष है।

1959 में बिमलराय की फिल्म 'सुजाता' इसी फिल्म का विस्तार जान पड़ती है। यहां न केवल प्रेम प्रदर्शित किया गया है बल्कि परिवार की मर्जी से उनका विवाह भी दिखाया गया है। प्लेग के दौरान अछूत मां अपनी बच्ची एक ब्राह्मण परिवार के दरवाजे पर छोड़ जाती है। यह परिवार अपनी बच्ची के साथ इस अछूत बच्ची का भी पालन पोषण करते हैं। उसका नाम 'सुजाता' रखा जाता है। सुजाता अर्थात अच्छी जात या अच्छा जन्म। यह समाजशास्त्रीय पड़ताल की मांग करता है। दलितों के सुदंर नामों को भी बिगाड़कर उन्हें हीनता का बोध कराया जाता है जबकि सवर्ण समाज इनके सहारे अपने सम्मान और गौरव का प्रस्तुतिकरण करना चाहता है।

परिवार में सुजाता को प्यार तो मिलता है लेकिन उसे उसकी स्थिति को भी कभी भूलने नहीं दिया जाता। सुजाता भी यहां अपने तथाकथित नारी-सुलभ गुणों से भारतीय दर्शक-दीर्घा का दिल जीत लेती है। दिक्कत तब खड़ी होती है जब परिवार में रमा के लिए प्रगतिशील परिवार का रिश्ता आता है। यहां फिल्म उस तथाकथित प्रगतिशीलता का पर्दाफाश करती है जहां वह बस इतना चाहते हैं कि सुजाता का विवाह रमा से पहले कर दिया जाए ताकि रमा के विवाह में वह दिखाई न दे और उन लोगों को समाज के सामने किसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े। रमा को देखने आया अधीर (सुनील दत्त) सुजाता को चाहने लगता है और परिवार की इच्छा के विरुद्ध सुजाता से विवाह का निश्चय करता है। फिल्म का अंत नाटकीय है। सुजाता अपना रक्त देकर चारू की जान बचाती है, इससे उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह खुशी-खुशी सुजाता का विवाह अधीर से करने को राजी हो जाती है। फिल्मी फार्मूले के बंधे-बंधाएं परिवेश में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि सब लोगों में एक जैसा रक्त दौड़ता है। विजय शर्मा लिखती हैं-"यह फिल्म जब बनी थी लोगों में असंतोष पनपना प्रारंभ नहीं हुआ था। लोगों के मन में आशा थी कि सामाजिक न्याय मिलेगा। शायद इसीलिए निर्देशक सुजाता से कहीं भी विद्रोह नहीं करवाता है। एक और बात है सुजाता को वे लोग प्यार करते थे और वह स्वावलंबी नहीं थी, उन लोगों की आश्रित थी इसीलिए भी विद्रोह का सवाल नहीं उठता है। वह विद्रोह नहीं करके गांधी की शरण में जाती है।"[4] यहां दलित स्त्री की आर्थिक-सामाजिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधीर की दादी मां में आने वाला बदलाव, पुरानी पीढ़ी में आ रहे बदलावों का संकेत है।

1973 में श्याम बेनेगल की फिल्म 'अंकुर' एक सशक्त फिल्म है। फिल्म का आरंभ दलित समाज से जुड़ी एक धार्मिक जात्रा आयोजन से होता है। जो दलित समाज के विश्वासों से परिचित कराती है। इसका आयोजन एक उत्सव की तरह किया जाता है। दलित स्त्री के लिए अपने दैनिक जीवन की रोजी-रोटी से जुड़े संघर्षो से समय निकालकर इस

यात्रा का हिस्सा होना ही उत्सवधर्मी हो जाता है। नायिका लक्ष्मी (शबाना आजमी) इस उत्सव में भाग लेते हुए देवी के समक्ष याचना करती है, "मेरे को कुछ नहीं होना एक बच्चा होना देवी माह्" समाज में स्त्री की संपूर्णता उसके मां होने से ही आंकी जाती है। वह बांझपन के इस अभिश्राप से मुक्त होना चाहती है। मानो उसका सारा अस्तित्व इस भूमिका के अभाव में शून्य है। फिल्म में शबाना आजमी का पति गूंगा है। उसे शराब पीने की लत है। यहां दलित महिलाओं के उस बहुस्तरीय शोषण को दिखाया गया है जहां उसे एक स्त्री होने के नाते शोषण का शिकार तो होना ही पड़ता है, दलित होने के कारण यह परिस्थितियां और अधिक विकट हो जाती हैं। घर के भीतर जहां उन्हें पितृसत्ता का शिकार होना पड़ता है वहीं बाहर उसे ब्राह्मणवादी मानसिकता से जूझना पड़ता है। शहर से गांव में आया जमींदार का बेटा (अंनतनाग) दोनों पति-पत्नी को अपने यहां काम पर रखता है। एक दिन वह अपने पेड़ों से ताड़ी चुराने के इल्जाम में लक्ष्मी के पति के मुंह पर कालिख पोत कर गधे पर बिठाकर उसे पूरे गांव में घुमाता है। इससे उसके आत्मसम्मान को गहरा ठेस पहुंचता है और वह लक्ष्मी को बिना बताए गांव छोड़कर कहीं चला जाता है। दलितों की गरिमा को ठेस पहुंचाने और उनके शोषण के ये प्रचलित तरीके गांव की प्रमुख घटनाएं हैं जो आमतौर पर अखबारों में छाई रहती है। लक्ष्मी अब अकेली ही जमींदार के घर कार्य करती है। यहां दलित समाज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को कहानी में उठाया गया है। परिवार का मुखिया पुरुष होता है लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी स्त्रियों पर होती है। अशिक्षित और सामाजिक रूप से उपेक्षित होने के कारण उन्हें अधिकतर असंगठित, असुरक्षित, श्रमप्रधान और कम मजदूरी वाले कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। जमींदार भी ऐसी ही परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लक्ष्मी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है जिससे वह गर्भवती हो जाती है। जब जमींदार की पत्नी शहर से उसके साथ रहने आ जाती है तो उसके लिए इस संबंध को नकारते हुए वह शबाना आजमी से दूरी बना लेता है। वास्तव में यहां जमींदार का बेटा उसी परम्परा का निर्वाहक बनता है जहां स्वयं उसके जमींदार पिता ने भी छुपकर एक दलित स्त्री से अपना संबंध स्थापित किया है। जिसका संकेत कहानी में पूर्व ही मिल जाता है। लक्ष्मी के लिए अपना पेट पालना भी अब एक दुष्कर कार्य बन चुका है। एक दिन वह जमींदार के घर से दो मुठ्ठी अनाज चुराती है, जिसे जमींदार की पत्नी देख लेती है और हंगामा खड़ा कर देती है। जमींदार लक्ष्मी को बेईज्जत करके घर से निकाल देता है। जिस स्त्री के साथ प्रेम के नाम पर चारदीवारी के भीतर उसने संबंध बनाए उन संबंधों को वह खुले में स्वीकारने से न केवल इंकार करता है बल्कि अपने उपयोग के बाद वह किसी वस्तु की तरह उसे दूर फेंक देना चाहता है। एक दलित स्त्री की पीड़ा को यहां बखूबी चित्रित किया गया है। लक्ष्मी का पति जब लौटकर घर आता है तो उसके गर्भ में पल रहे अंकुर को देख कर खुश हो जाता है, भले ही यह बालक उसका नहीं था। अब वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए जमींदार से काम मांगने जाता है लेकिन जमींदार को अपने अपराधों के भय से प्रतीत होता है कि वह उसे मारने आ रहा है। वह उसे पीटते हुए अधमरा कर देता है। यहां दलित जीवन की त्रासदी और सवर्ण मानसिकता की संकीर्णता को पर्दे पर सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है। फिल्म का अंत बेहद मार्मिक और सशक्त है जहां दलित स्त्री का विरोध एवं प्रतिकार ऊंचे रोष भरे स्वर में यह उद्घोषणा करता है कि 'हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं।' कहानी का अंत कई स्तरों पर प्रतीकात्मक है। एक छोटा बालक जो अब तक जमींदार की बेहद इज्जत करता था, उसकी खिड़की पर एक पत्थर मारकर अपना विरोध दर्ज करता है। वास्तव में यह नयी पीढ़ी में वर्चस्व और शोषण के प्रतिरोध में उपजते विरोध और संघर्ष के संकेत हैं। लक्ष्मी के गर्भ में अंकुरित होती पीढ़ी इसका नेतृत्व करेगी।

संजीव जायसवाल की फिल्म 'शुद्रा-द राईजिंग' भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण फिल्म है। फिल्म का आंरभ भी उस दलित परंपरा से होता है जहां उन्हें गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका कर चलना पड़ता है। गांव का सरदार दलित चरना की पत्नी को कोठी पर आने का फरमान सुनाता है। संगना पेट से है। औरतों के बीच जब वह वहां जाने पर आपत्ति दर्ज करती है तभी एक बूढ़ी स्त्री उसे वहां निर्विरोध चले जाने की सलाह देती है क्योंकि ऐसा न हुआ तो जमींदार का प्रकोप पूरी दलित बस्ती पर निकलेगा। यहां उसका संवाद समूची दलित जाति पर हो रहे शोषण और अन्याय को चित्रित करता है-"अरे उसे झूठा दिलासा क्यों देती है? याद नहीं जुगनी का जब उसने जाने से इंकार किया तो ठाकुरों ने पूरे गांव में उसे नंगा घुमाया।" आजादी के इतने वर्षों बाद भी दलित स्त्री की नियति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। आज भी देश के कोने-कोने से दलित स्त्रियों को निर्वस्त्र घुमाए जाने या चुड़ैल साबित करके उन्हें जिदां जलाए जाने की खबरें अखबारों में प्रकाशित होती है।

इन फिल्मों की भाषिक संरचना पर यदि बात की जाए तो इनका अध्ययन विशेष अर्थों को प्रदान करता है। लिंगभेदी भाषिक संरचना समाज व्यवस्था की वास्तविकता को चित्रित करने में समर्थ है। पितृसत्तावादी सोच स्त्री के लिए उपयोगिता के मानक गढ़ती है जहां वह इन मानकों को पूरा नहीं कर पाती, वहां पितृसत्तावादी समाज उसे अपने लिए अनुपयोगी समझता है। 'शुद्रा-द राइजिंग' फिल्म में जमींदार की पत्नी जब उसके गलत कार्यों के प्रति विरोध जताती है तो जमींदार कहता है-"ठकुराईन इस

हवेली को बहुओं की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं।" वास्तव में हवेली यहां संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादी परंपराओं की प्रतीक है। इसी प्रकार फिल्म में दलित संगना को कोठी पर बुलाकर उसके रूप की प्रशंसा करते हुए जमींदार कहता है–"मुझे कोई आज तक यह नहीं बता पाया कि कमल कीचड़ में क्यों खिलता है?" वास्तव में यह प्रशंसा तो नहीं बल्कि अपनी चेतना पर प्रहार अधिक जान पड़ता है। ठीक इसी प्रकार दलितों के जीवन में अधिकतर यह वाक्य आता ही है– "तुम दिखने में एस. सी. तो नहीं लगती।" यानी ये 'लगना' बहुअर्थी है। यह इस वाक्य का प्रयोग करने वाले की जातीय मानसिकता की परत दर परत बैठी रूढ़िवादी सोच का नमूना देती है। फिल्म 'अछूत कन्या' में भी इन संवादों का उदाहरण देखिए–

(फिल्म में अनाज की बोरी से भरी बैलगाड़ी ले कर नायक आता है और उन भारी बोरियों को उतारने लगता है। नायिका उसे मदद की पेशकश करती है)

प्रताप– तू क्या उतारेगी, ये काम मर्दो का है।

(नायिका की कोमलता को दिखाते हुए, उससे बोरी तुरंत गिर जाती है और अनाज बिखर जाता है)

प्रताप– ले चल अब बीन, यही काम औरतों का है।

(प्रताप का विवाह हो चुका है। कस्तूरी का विवाह उसकी जात के ही युवक मन्नू से करने का विचार उसके पिता दुखिया और प्रताप के पिता मोहनलाल आपस में करते हैं)

दुखिया– शादी कर तो दू लेकिन मन्नू के पहले ही एक पत्नी है।

मोहनलाल– भला इसमें क्या विचार करना, मेरी खुद ही दो मां थी।.....और वैसे भी हमारी कस्तूरी बड़ी भोली और संतोषी छोकरी है, उसे जिस हाल में रखोगे खुश रहेगी। दुख भी होगा तो चुपचाप सह लेगी।

(मन्नू विवाह कर लेता है। उसकी पहली पत्नी कजरी उसके पास जाने का निर्णय करती है लेकिन उसका परिवार उसके निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं और कजरी के ना मानने पर उसे डांटते हैं)

पिता– औरत जात का यही इलाज है, लात घूसें की ही बात सुनती हैं।

माता– वो (कस्तूरी) तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। वो (मन्नू) तेरी सूरत पर थूकेगा भी नहीं।

इन संवादो में देखा जा सकता है कि लिगंभेदी भाषा किस तरह से स्त्री, पुरुष और समाज की भूमिका को तय करते हुए उनकी मानसिक कंडिशनिगं करती है। यह भाषा उसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पुष्ट करती है जो स्त्री के नाम, रूप, जाति, लिंग और उसकी अस्मिता को अपने अनुरूप पारिभाषित करती है।

इन फिल्मों में घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि उनमें जाति व्यवस्था के साथ ही शोषण, परंपरा, कर्त्तव्य, आधुनिकता, व्यक्तिगत एंव सामूहिक हित से जुड़े सरोकार सामने आते हैं। इनमें दलित स्त्री की दशा और दिशा को दिखाने का प्रयास किया गया है लेकिन यह प्रयास नाकाफी ही माने जाएंगे क्योंकि इस दृष्टि से अभी बहुत कार्य करना शेष है लेकिन निश्चित तौर पर ये प्रयास इसकी सराहनीय शुरूआत तो माने ही जा सकते हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी सिनेमा के माध्यम से दलित और आदिवासी समुदाय की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी जाए ताकि यह समुदाय भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। हिंदी सिनेमा के लिए यह सुझाव हो सकता है कि दलित स्त्री आत्मकथाओं पर फिल्मों का निर्माण किया जाए जिससे उनकी मुक्ति के लिए संघर्षधर्मी स्वर को बुलंदी मिले। हिंदी साहित्य में जिस तरह दलित साहित्य ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करायी है उसी प्रकार हिंदी सिनेमा में भी दलित स्त्री की सशक्त छवि को प्रस्तुत किया जाए। ■

सन्दर्भ–

1. आलोचना, अप्रेल-जून 2015, संपादक. नामवर सिंह और अपूर्वानंद, पृ.सं. 106
2. आजकल, मई 2015, संपादक. फरहत परवीन और राजेन्द्र भट्ट, पृ.सं. 32
3. दलित साहित्य का स्त्रीवादी स्वर, विमल थोराट, अनामिका प्रकाशन, दिल्ली, पृ.सं. 10
4. हिंदी सिनेमा आदि से अनंत, प्रहलाद अग्रवाल, साहित्य भंडार प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2014, पृ.सं. 67

(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं।)

रिश्ते अनजाने या स्नेह की डोर

■ सुश्री प्रज्ञा चौधरी

टेलीफोन की घंटी लगातार बज रही थी। मैं बाहर लॉन में थी, दौड़कर भीतर आई और फोन उठाया- हैलो कौन? दीदी मैं नेहा बोल रही हूं, हां नेहा बोलो, आई कैसी है? मैंने पूछा- वही तो, उनकी तबीयत बहुत खराब है। आपको बहुत याद कर रही है। मैं भी पूना से कल ही आई हूं। आई को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर्स ने कम्पलीट बेड रेस्ट करने को कहा है। वैसे तो अस्पताल में भर्ती करने को कहा था। लेकिन आई तैयार नहीं हुई, कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना मरूंगी तो अपने ही घर में-नेहा बोली।

नेहा तुम आई का ख्याल रखो। मैं कल सुबह ही आ रही हूं। मैंने कहा। हां दीदी, आप आ जाएंगी तो आई खुश हो जाएंगी और ठीक भी, नेहा बोली।

अभी पंद्रह दिन ही तो मेरा ट्रांसफर हुआ है, घर भी अस्त व्यस्त पड़ा है, सब सुव्यवस्थित भी करना है कॉलेज भी जाना है। मैंने नीलू से कहा-झटपट खाना बना लो आज जितना हो सके, सामान भी जमा लो, कल सुबह ही मैं उज्जैन जाऊंगी आई बहुत बीमार है। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैम, बिट्टू है न? हम दोनों सब देख लेंगे। नीलू बोली। अरे! बिट्टू को कहां फुर्सत? और फिर परीक्षा भी तो है। मैं अकेली ही जाऊंगी। तुम साहब और बिट्टू का ख्याल रखना। नीलू ने मेरी बात पर हामी भरी!

मैं सुबह ही ट्रेन से उज्जैन पहुंची। आई मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी बोली-लो आ गई मेरी निन्नी-नेहा देख, मैंने कहा था न, खबर मिलते ही दौड़ी चली आएगी। पास बैठी तो गले लग गई। सजल आंखों से देखकर बोली-देख निन्नी, अबकी बार जबर्दस्त अटैक आया है। शायद ही बचूं-आई आप भी न? सब ठीक हो जाएगा मैंने कहा।

अभी तुझे यहां से गए पन्द्रह दिन ही तो हुए थे। मैंने फिर बुला लिया। वे बोली-आई मुझे भी आपके बिना कहां अच्छा लग रहा था। एक तो मेरी आई दूर हुई और मेरी महाकाल की नगरी भी छूट गई। उज्जैन और आप मेरे तन-मन में बसे हो, कैसे झुलाऊं? इतने में नेहा चाय ले आई। बाबा दिखाई नहीं दे रहे? मैंने पूछा, वे बाजार दवाइयां लेने गए है-नेहा बोली।

आई यानी सुनंदा जी और बाबा यानी शरदचन्द्र जी मेरे सबसे अच्छे पड़ोसी और माता-पिता जैसे। पन्द्रह बरस इनके साथ बिताए है। शादी के बाद, जब मैं इनके पड़ोस में रहने आई तो ये मेरा कितना ख्याल रखते थे। हालांकि शुरू-शुरू में बस हाय, हैलो ही होती थी लेकिन जब इन्हें पता लगा कि बिट्टू आने वाली है तो मैंने इनमें मां-पापा का रूप देखा। मेरी मां तो बचपन से ही नहीं थी। आई को पाकर मैं धन्य थी। बिट्टू के जन्म के बाद उन्होंने कहा-निन्नी मैं नानी बन गई हूं सुनकर मैं हंस दी और वे खिलखिला उठी।

एक दिन बिट्टू को निमोनिया हो गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, निखिल भी टूर पर गए थे। मैं बहुत घबराई हुई थी तब आई ने ही कहा चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। पूरी रात बिट्टू बेचैन थी आई और बाबा रातभर उसके पास बैठकर देखभाल करते रहे। उसी दिन से उनके स्नेह की गहराई में जान पाई थी। आई अपने जमाने में एक आदर्श शिक्षिका रह चुकी थी। अनुशासन प्रिय जो अब भी उनके जीवन में कायम था। बिट्टू के ढेरों नाम रख

दिये थे उन्होंने। हमेशा हर बार नए-नए नामों से उसे पुकारती। नीलू के साथ घर का भी ख्याल रखती। अक्सर कुछ न कुछ वैरायटी बनाती रहती और शाम को जब मैं कॉलेज से आती बुलाकर खिलाती। उनका असीम निश्छल प्यार ममता देखकर मैं कहती। आई, पक्का पूर्व जन्म में आप ही मेरी मां रही होगी। वो हंस पड़ती। बारिश में तो जब शाम को हम घर आते आई की गर्मागर्म चाय और पकौड़े हमारा इंतजार करते। नेहा और प्रशांत का परिवार गर्मी की छुट्टियों में आते तो उनके घर में बहार आ जाती फिर भी सबसे पहले हमें ही पूछा जाता!

छुट्टियों में जब कभी हम बाहर जाते तो सप्ताह खत्म होने से पहले ही फोन आ जाता। निन्नी बहुत दिन हो गए देखे तुझे, दरवाजे पर लगा ताला देखकर बोर हो गई हूं बिट्टू की बहुत याद आती है जल्दी आ जाओ न? कितना कुछ कह जाती थी आई और जब हम लौटते तो हर चीज कितना कुछ कह जाती थी आई और जब हम लौटते तो हर चीज सुव्यवस्थित मिलती। बगीचा हरा-भरा रहता। आई खुद सींचती थी।

उन्हें अपने बच्चों नाती पोतों से बहुत प्यार था। उनके घर आने पर पूरा बंगला जगमग और रसाई से आती पकवानों की खुशबू के क्या कहने? मैंने खुद आई से करंजी, चकली, उपमा आदि बहुत कुछ सीखा था। बेहद स्वादिष्ट भोजन बनाती थी आई और उतने ही चाव से सबको खिलाती थी। कहीं जाना होता था तो खिड़की में से ही आवाज लगाती निन्नी जल्दी तैयार हो जा, ढेर सारी शॉपिंग करती। सबके लिए सुंदर से गि ट लेती। होली, दीवाली, हर तीज त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते। सबको कुछ न कुछ गि ट देती। इस उम्र में उनका जोश और उत्साह देखते ही बनता था। गर्मी में कोशिया वर्क करती और सर्दियां शुरू होते ही उनकी सलाइयां और रंग बिरंगी ऊन निकल आती। मैं कभी कभी कहती- आई कभी थकती नहीं है? तो उनका ये जवाब होता, अरे नहीं निन्नी, ये सब करना तो मुझे अच्छा लगता है। शिर्डी गई तो मेरे लिए निहायत ही खूबसूरत शॉल ले आई। मैंने कहा, आई मैं कहां शॉल ओढ़ती हूं? तो मुस्कुराते हुए बोली, रख ले, सर्दी में जब गार्डन में धूप तापेंगे, तब ओढ़ लेना कितनी सुंदर है और तुझ पर तो ये बहुत खिलेगी?

बाबा बाजार से आ गए थे। मुझे देखकर बहुत खुश हुए और बोले- देखों निन्नी तुम गई और तुम्हारी आई बिस्तर पर पड़ गई। आई जल्दी ठीक हो जाएगी बाबा। मैंने बाबा को ढ़ाढस बांधने की कोशिश की। सुबह देखा तो आई किंचन में थी। ये क्या आई आपको डॉक्टर्स ने बेडरेस्ट कहा है? अरे ज्यादा कुछ नहीं, तुम सबके लिए हलवा और गर्मागर्म पकौड़े बना लूं, कितने पसंद है न तुम सबको? बड़ी मुश्किल से उन्हें किंचन से हटाया।

चार दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन आई बोली निन्नी, नेहा तुम लोग बाबा को संभाल लेना। मुझे तो लगता है अब मेरा वक्त आ ही गया है। मैंने व नेहा ने रुंधे गले से कहा- ऐसा मत कहिए आई। सब ठीक हो जाएगा ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयां धीरे-धीरे असर करेगी तो उनका जवाब था चलो बहुत रात को गई है, सब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है।

सुबह उठे तो देखा आई सो रही थी। बाबा ने चाय के लिए जगाया तो पाया कि आई हमसे बहुत दूर चली गई। वे इस दुनिया में नहीं रही हम सबको अकेला छोड़कर चुपचाप चली गई। दो दिन पहले ही बिट्टू, नीलू, निखिल आई से मिलने आए थे। बिट्टू को आई ने बहुत सुंदर गुड़िया दी थी जिसकी ऊनी ड्रेस अपने हाथों से बुनी थी। निखिल को अपने हाथों से बुना सुंदर सा पुलोवर दिया था। दो दिन पहले ही तो अपनी अलमारी खोलकर बैठी आई, सभी को कुछ न कुछ गि ट दे रही थी। किसे क्या पता था हंसती मुस्कुराती आई ऐसे हमसे रूठ जाएगी। रो रोकर सभी का बुरा हाल था। ऐसी आई कब कहां अब मिलेगी।

सुहागिनों ने आई को तैयार किया तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था आई अभी बोल पडेगी बाबा बेहद रोये थे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, तो बिफर कर बोले। बच्चों सुनंदा क्या थी? ये तुम लोग नहीं जानते हो? प्रशांत ने पूछा-क्या हुआ बाबा? बाबा बोले- उसका त्याग, समर्पण और उसकी ममता-बेमिसाल थी वो- इतना कहकर बाबा फफक-फफक कर रो पड़े थे। फिर रुधे गले से उन्होंने कहा नेहा, प्रशांत वो तुम लोगों की असली सगी मां नहीं थी जब प्रशांत डेढ़ साल का और नेहा सिर्फ चार माह की थी तो तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई थी। सुनंदा ने मुझसे विवाह करके तुम दोनों को मां का प्यार दिया। इस बीच उसने अपने कोई संतान नहीं होने दी। हमेशा ही कहती अब किसी ओर बच्चे की चाह नहीं, जरूरत भी नहीं। ये तो मेरे अपने है। हमारे बच्चे हैं, यदि संतान आने के बाद मैं अपने और इन बच्चों के बीच कोई भेद कर बैठी तो- पूरी उम्र वो तुम बच्चों पर ही अपनी ममता और प्यार लुटाती रही।

नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, वो ही हमारी आई है, नेहा और प्रशांत बोले। मैं अवाक् और आश्चर्यचकित थी। आई सारी बातें मुझसे शेयर करती थी पर इस बात का उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया। धन्य थी वो जिन्होंने मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को स्नेह की डोर में आजीवन बांधे रखा।

मैंने मां को कभी नहीं देखा लेकिन आई से मिलने के बाद उनकी कमी कभी महसूस नहीं हुई। उम्रदराज होने के बावजूद वे पूरे उत्साह के साथ तीज त्यौहार मनाती। सभी बच्चों की फ्रिक और प्रेम भी उनकी आंखों में साफ झलकता था। ■

पहचान

■ अशोक भाटिया

- आप कौन हैं?
- आदमी।
- मेरा मतलब, किस धर्म से हैं?
- इंसानी धर्म।
- नहीं, मतलब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई वगैरा।
- हिन्दू धर्म से! कहकर वह मुस्कुराया।
- हिन्दुओं में कौन हैं?
- हिन्दुओं में हिन्दू ही तो होंगे।
- मेरा मतलब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरा?
- ओह! क्षत्रिय हूं।
- क्षत्रियों में कौन हैं?
- क्या मतलब?
- यानी खत्री या अरोड़ा?
- 'खत्री' कहकर वह हंसा।
- खत्रियों में कौन हैं?
- क्या मतलब, खत्रियों में खत्री ही तो होगा।
- नहीं, ऐसा नहीं है।
- तो खत्री क्या खत्री नहीं होता?
- मेरा मतलब खत्री में जाति। जैसे-मल्होत्रा, सल्होत्रा, गिरोत्रा वगैरा, तनेजा, बवेजा, सुनेजा बगैरा...
- हम मल्होत्रा हैं। वह अब गंभीर हो गया था।,
- सनातनी हो या आर्य समाजी?
- मैं कोई-सा नहीं।
- किस देवी-देवता को मानते हो?
- किसी को नहीं।
- पीछे से कहां से आए?
- क्या मतलब?
- मतलब, पीछे से पाकिस्तान से आए या यहीं के हो?
- पता नहीं।
- जिला कौन-सा था?
- पता नहीं।
- गांव कौन सा था?
- पता नहीं।
- सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी?
- पता नहीं।
- राजपूत हो या नहीं?
- पता नहीं।
- शाकाहारी हो या मांसाहारी?
- जब शाक-सब्जी खाता हूं तो शाकाहारी हूं। जब मांस-मछली खाता हूं तो मांसाहारी हूं।

(प्रश्नकर्ता थोड़ी देर चुप हुआ)

- तुम्हारा गौत्र क्या है?
- वो क्या होता है?
- तुम्हें अपना गोत्र ही नहीं पता। कैसे आदमी हो तुम?
- (खीझकर...) जीता-जागता आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हूं कि नहीं? फिर इन बेकार सवालों का क्या मतलब?

सम्पादक के नाम पत्र

पत्रिका से संवैधानिक कर्तव्यों एवं अधिकारों की जानकारी

सम्पादक महोदय,

मैं 'सामाजिक न्याय संदेश' का नियमित पाठक हूं। पत्रिका से हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्यों एवं मौलिक अधिकारों की सम्पूर्ण जानकारी मिलती है। यह पत्रिका भारतीय समाज के सबसे पिछड़े वर्गों खासकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान कराती है जिससे वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास कर सकते हैं। पत्रिका ने अपने लेखों के माध्यम से दलित वर्ग के लोगों में काफी मनोबल बढ़ाया है तथा जागृत करने का काम किया है।

अभय कुमार
बिहार

पत्रिका में दलित दर्शन

सम्पादक महोदय,

67वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाईयां। महोदय 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका को जब मैं पढ़ती हूं तो मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। पहले मुझ में दलित होने और उसमें भी स्त्री होने की बहुत हीन भावना थी। परन्तु जब से मैनें आपकी पत्रिका का पाठन शुरू किया तब से मुझ में काफी आत्मबल विकसित हुआ और अब तो मैं यह पत्रिका अन्य दलित महिलाओं को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करती हूं और इसके अच्छे परिणाम भी देखे जा रहे है। इस पत्रिका के माध्यम से दलित महिलाओं की दशा एवं दिशा दोनों में अवश्य सही परिवर्तन आयेगा विशेष कर ग्रामीण परिवेश में।

धन्यवाद

संगीता वर्मा
नई दिल्ली

पत्रिका में सामंतवादी सोच का पर्दाफाश

सम्पादक महोदय,

आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाऐं। 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका का जनवरी अंक पढ़ा। उसमें लिखित 'कामचोर' कहाना पढ़ी। कहानी मे एक दलित व्यक्ति का ऑफिस इंचार्ज बनकर आना और उससे सवर्णो को आपत्ति होना, घटना का वर्णन बताया गया है। वह दलित इंचार्ज ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ होते हुए भी सवर्ण कर्मचारियों को एक आंख नहीं भाता है। ऐसा लगता है यह कहानी नहीं एक सच्ची घटना का वर्णन है। ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से सरकारी कार्योलयों में सब जगह देखने को मिलती है। कोई भी सवर्ण एक दलित व्यक्ति को अपने से ऊंचे पद पर आसीन होते हुए नहीं देखना चाहता है। महोदय से गुजारिश है कि इसी तरह के लेखों से दलित व्यक्तियों की कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी जैसे सद्गुणों को समाज के सामने रखे और साथ ही सवर्ण मानसिकता का पर्दाफाश करते रहे।

कु. लक्ष्मी महावर
हीरापुर, जयपुर

सामाजिक सरोकारो की पत्रिका

सम्पादक महोदय,

'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका समाज में व्याप्त वास्तविक जीवनशैली का प्रस्तुतीकरण करती है। पत्रिका समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रात्तत्व जैसे विचारों की संवाहक है। इसके प्रत्येक अंक में समापयोगी रोचक तथ्य मिलते है। यह पत्रिका 'दलितो के मसीहा' बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों को अंतिम जन तक पहुंचाने का उत्तम कार्य कर रही हैं। पत्रिका सामाजिक न्याय का सपना पूर्ण करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाये जा रही है। पत्रिका में संपादकीय एवं सभी लेख बहुत प्रेरणादायक होते है। पत्रिका के सभी लेख शौधपूर्ण एवं गंभीर होते हैं।

शारदा प्रसाद
नई दिल्ली

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संगठन) की मासिक पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

सम्पादक : सुधीर हिलसायन

सम्पादकीय सम्पर्क : 011-23320588/सब्सक्रिप्शन सम्पर्क : 011-23357625

मई 2015

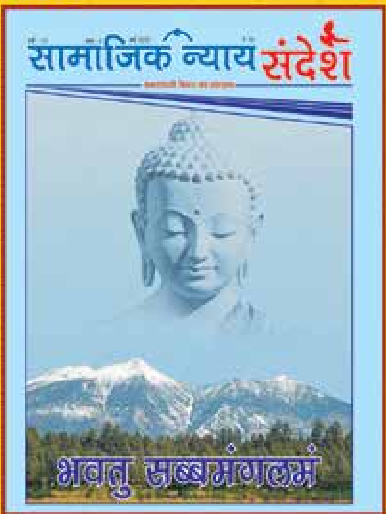

जून 2015

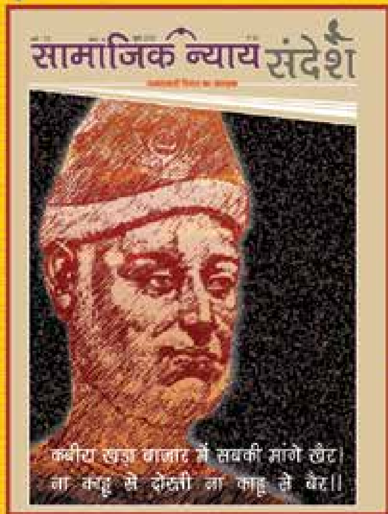

जुलाई 2015

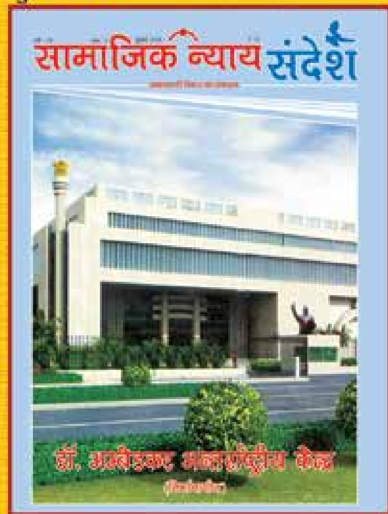

अगस्त 2015

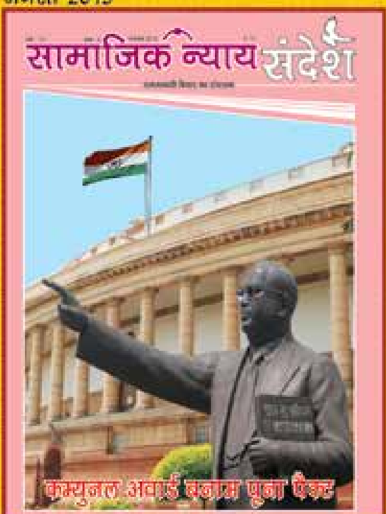

सितम्बर 2015

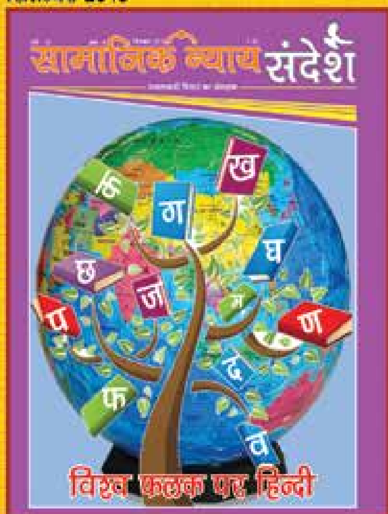

अक्टूबर 2015

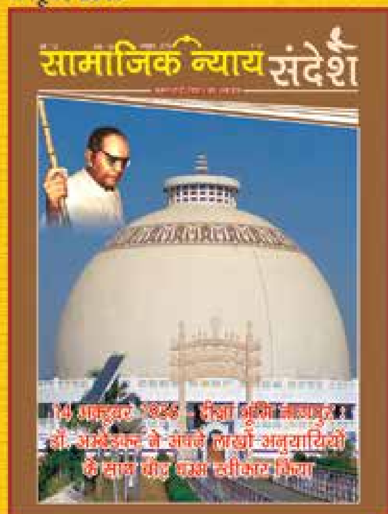

स्वयं पढ़े एवं दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

पाठक सदस्य बनें

कार्यालय : 15, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–23320588, 23320589, 23357625 फैक्स: 23320582
E-mail: hilsayans@gmail.com / Website: www.ambedkarfoundation.nic.in

पत्रिका उपर्युक्त वेबसाइट पर पढ़ी/देखी जा सकती है।

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका *'सामाजिक न्याय संदेश'* का प्रकाशन पुनः आरम्भ हो गया है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन को जानने/समझने में मदद मिलेगी ही तथा फाउन्डेशन के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी।

सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका से जुड़कर आप अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज ही पाठक सदस्य बनिए, अपने मित्रों परिवार-समाज के सदस्यों को भी सदस्य बनाईए, पाठक सदस्यता ग्रहण करने के लिए एक वर्ष के लिए रू. १००/-, दो वर्ष के लिए रू. १८०/-, तीन वर्ष के लिए रू. २५०/-, का डिमांड ड्राफ्ट, अथवा मनीऑर्डर जो **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम देय हो, फाउन्डेशन के पते पर भेजें या फाउन्डेशन के कार्यालय में नकद जमा करें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव का भी हमेशा स्वागत रहेगा। पत्रिका को फाउन्डेशन की बेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी देखी/पढ़ी जा सकती है।

– सम्पादक

सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता /चाहती हूं/

शुल्कः वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 100/-, **द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 180/-, **त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 250/-। (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

मनीऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नम्बर..दिनांक........................संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर 'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन' के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....पिन कोड ....

फोन/मोबाईल नं.......................................ई.मेलः ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित निम्न पते पर भेजिए :

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन

15 जनपथ, नई दिल्ली-110 001 फोन न. 011-23320588, 23320589, 23357625

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, 3 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड, निबंध प्रतियोगिता 2015 एवं 'स्टडी टूर टू लंदन' पर अपने अनुभवों को सम्यक रूप से पंक्तिबद्ध करने वाले स्कॉलर को सम्मानित करने हेतु आयोजित समारोह में सराहना प्रमाण–पत्र प्रदान करते हुए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री विजय सांपला, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनीता अग्निहोत्री।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, 3 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड और निबंध प्रतियोगिता 2015 के विजेताओं के साथ। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनीता अग्निहोत्री।

RNI No. DELHIN/2002/9036

प्रकाशक व मुद्रक जी.के. द्विवेदी द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1,
मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110064 से मुद्रित तथा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित।
सम्पादक : सुधीर हिलसायन